खण्ड-200, अंक-7
सोमवार, 20 माघ, शक संवत् 1880
(9 फरवरी, 1959 ई0)

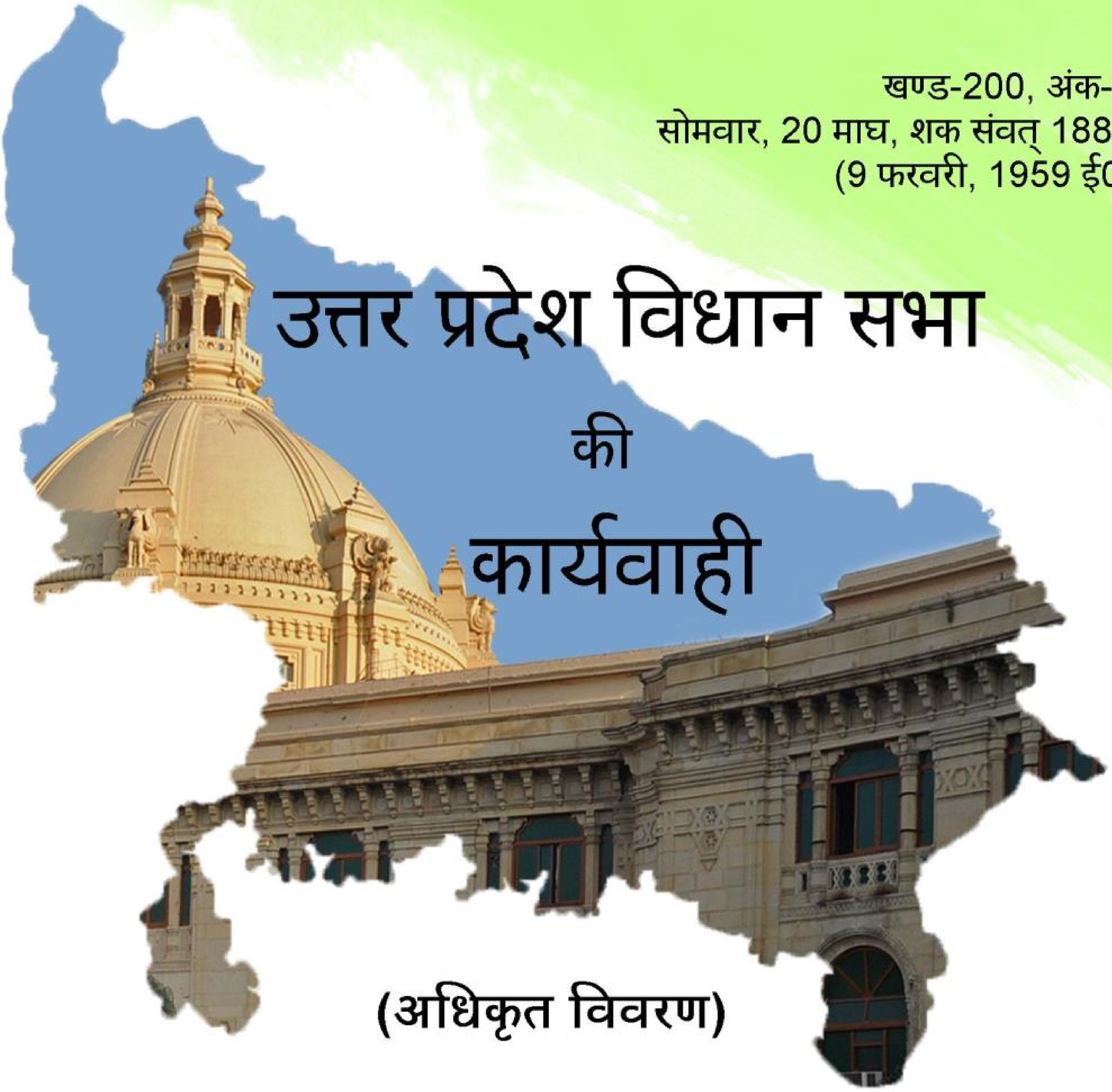

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५९३–५९७
प्रश्नोत्तर	५९७–६१८
विधान सभा सदस्या, श्रीमती सज्जन देवी महनोत क निधन पर शोकोद्गार ..	६१८–६२२
यू० पी० पंचायत राज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	६२२
कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	६२२
उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण नियमावली, १९५९ (मेज पर रखी गयी) ..	६२
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६२
उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६२
उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६२
उत्तर देश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६२
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६
उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	६
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक, १९५७ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	६२
सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	६२४–६
सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के विषय में सचिव की रिपोर्ट विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट की गयीं ।) ..	६२५–६
खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा मंहगाई के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (विवादार्थ स्वीकृत) ..	
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	६३३–
नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग	
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापित किया गया)	६३५–
इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापित किया गया)	६३६
श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (विचार स्थगित)	६३६
पंचायत राज नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार	६३६–६४७
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विवाद जारी)	६४७–६६२
खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा महंगाई के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव (स्वयमेव समाप्त)	६६३–६८५
नत्थियां	६८६–७०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरपुर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राव, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री

सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गल्ले का राज्य व्यापार तथा लखनऊ में खाद्यान्न व्यवस्था

****१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गल्ले का थोक व्यापार सरकार द्वारा चलाये जाने के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—यह विषय अभी केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है। अन्न वितरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये तथा रिजर्व स्टाक बनाने के लिये सरकार प्रदेश में जो गल्ले की खरीदारी कर रही है वह राज्य व्यापार की योजना का ही एक अंग है।

****२—श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में धान ले जाने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। निम्नलिखित जिलों के किसी स्थान से इन जिलों के बाहर किसी स्थान को धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध है:

१—मैनपुरी
२—सहारनपुर
३—मुजफ्फरनगर
४—देहरादून
५—बांदा
६—इटावा
७—फतेहपुर
८—कानपुर
९—गोंडा
१०—बहराइच
११—बस्ती
१२—वाराणसी
१३—गोरखपुर
१४—हरदोई
१५—लखीमपुर खीरी
१६—पीलीभीत
१७—शाहजहांपुर
१८—बदायूं
१९—नैनीताल
२०—रामपुर

२१—रायबरेली
२२—सीतापुर
२३—बाराबंकी
२४—आगरा
२५—मुरादाबाद
२६—बरेली
२७—उन्नाव
२८—मिर्जापुर

**३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय लखनऊ नगर में गेहूं की तेजी से बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो क्या?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं खरीदने की सुविधा जो कि पहले केवल १५० रु० तक मासिक आय वालों के लिये सीमित थी अब २५० रु० तक की मासिक आय वालों के लिये बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त ३ रु० का आटा तथा २ रु० का मैदा अथवा सूजी प्रति सप्ताह खरीदने की सुविधा सामान्यतः सब को दे दी गई है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने गल्ले के थोक व्यापार के संबंध में कोई अपनी योजना भी केंद्रीय सरकार के विचार के लिये भेजी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो सुझाव होगा वह भेजा जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने इस वर्ष रिजर्व स्टाक रखने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें कितना गल्ला वसूल हो चुका है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—डेढ़ लाख टन चावल का रखा था जिसमें २५,००० टन के करीब हमारी वसूलयाबी हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय लखनऊ में गेहूं की कीमतें क्या हैं और उन्होंने जो कीमतें बतायीं उससे कितनी कीमतें घटी हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस वक्त गेहूं करीब २८ रुपये मन है। जहां तक मुझे मालूम है, और कुछ समय पहले जो एक आध रुपये बढ़ गया था वह घट गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ रुपये मन की जो कीमत है वह थोक बिक्री की है या फुटकर बिक्री की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—२८, साढ़े २८ रुपये का दाम फुटकर बिक्री का है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार लखनऊ नगर की गेहूं की आवश्यकता कितनी है और उसमें सरकार कितना सप्लाई कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लखनऊ में हम यूनिट के हिसाब से गेहूं देते हैं और २५० रुपये तक मासिक वेतन पाने वालों के लिये जितना गेहूं आवश्यक होगा हम देंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या अब तक के तजुरबे के आधार पर सरकार २५० रुपये से ऊपर वालों के लिये भी कोई सुविधा देने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान इस बात पर आकर्षित हुआ है कि जब से स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम का एलान हुआ है तब से खाद्यान्नों के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये क्या सोचा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह हो सकता है कि जबसे उसका एलान हुआ तब से दाम बढ़े हों लेकिन अब हापुड़ की मंडी का हाल देखकर उनके घटने का ट्रेंड साफ मालूम होता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लखनऊ नगर में बढ़ती हुई तेजी को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये हैं वही कदम सरकार दूसरे नगरों में और दूसरे हिस्सों में उठा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह कदम सभी कवाल टाउन्स में उठाये गये हैं और दूसरी जगहों जैसे बरेली, मेरठ, सहारनपुर में भी उठाये गये हैं । कम से कम आटे की बिक्री तो सभी नगरों में बिना किसी आमदनी का लिहाज रखे हुये कर रहे हैं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १ से संबंधित विचाराधीन मसला रबी की फसल के पहले तय हो जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आशा तो ऐसी ही की जाती है ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश में महंगाई की स्थिति को देखते हुये वे सारे प्रदेश में राशनिंग की स्कीम चलाने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिस समय टोटल राशनिंग थी उस समय से भी ज्यादा हम इस समय गल्ला वितरित कर रहे हैं । टोटल राशनिंग के लिये एक नयी मशीनरी बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिये इस समय टोटल राशनिंग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि दालों पर रोक न लगाने के फलस्वरूप दालों के दाम बहुत बढ़ गये हैं और अरहर की दाल १४ छटांक की बिक रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह हो सकता है लेकिन अगर हम रोक लगायेंगे तो बाहर से आने वाली दालों पर भी रोक लग जायेगी । तो बात एक ही पड़ेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---जो योजना सरकार ने बताई कि कवाल टाउन्स में लगाई जा रही है क्या वह छोटे नगरों और देहातों के लिये भी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---छोटे नगरों और देहातों में हम गल्ला दे रहे हैं । उनको फेयर प्राइस शाप्स के जरिये आटा भी दे रहे हैं । टोटल राशनिंग की तरह से आइडेंटिटी कार्ड्स तो बनना सम्भव नहीं हैं मगर गल्ला उनको दिया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि धान ले जाने और चावल कूटने में जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उससे किसानों को खरीफ आन्दोलन में बड़ी दिक्कत हो रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जहां तक मुझे मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत हो भी तो भविष्य के सुख को देखते हुये उठानी पड़ेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी ने कवाल टाउन्स में कानपुर में भी इस व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है कि देहातों में भी फेयर प्राइस शाप्स खुलें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---देहातों में भी खोल रखी हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी को पता है कि देहातों में माइलों का वितरण हो रहा है न कि आटे का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब तो हमने गेहूं भी जनवरी की पहली तारीख से देना शुरू कर दिया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि इन जिलों से धान के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया लेकिन चावल के लिये नहीं लगाया गया ? अगर ऐसा है, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिले से बाहर नहीं जा रहा है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---जिस प्रकार सरकार आटे और गेहूं की महंगी को देखकर उनकी सरकारी दूकानें खुलवा रही है उसी प्रकार दालों की महंगी को देखकर दालों की सरकारी दूकानें भी खुलवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सब्जी खाइये।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि इस साल धान की फसल अच्छी होने पर भी क्यों खाद्यान्नों के दाम बढ़ते ही गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक चावल का संबंध है वह ठीक ही है कि उसका भाव नहीं बढ़ा।

तारांकित प्रश्न

गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों में सस्ते अनाज की दूकानें

*१---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिला गढ़वाल में कुल २०४ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं।

*२---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल में सस्ते गल्ले की दूकानें कहां-कहां के लिये स्वीकृत हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---समस्त नैनीताल जिले के लिये ३७ सस्ते गल्ले की दूकानें स्वीकृत की गई हैं जिनसे ३० मन प्रति दिन प्रति दूकान अर्थात् कुल १,११० मन अनाज प्रति दिन बेचे जाने की अनुमति है। किन्तु जिलाधीश, नैनीताल ने १,११० मन प्रति दिन विक्रय की मात्रा के अन्तर्गत और अधिक दूकानें जनता की सुविधा हेतु खोल दी हैं, जिनकी संख्या ५६ है। दूकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८६ पर)

*३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास जिला गढ़वाल व जिला नैनीताल के अनेक स्थानों से और अधिक सस्ते गल्ले की दूकानें खोले जाने की मांग आई है ? यदि हां, तो कहां-कहां से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिलाधीश, गढ़वाल को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जनता की आवश्यकतानुसार उचित स्थानों पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दें। इस समय गढ़वाल जिले में और सस्ते गल्ले की दूकानें खोले जाने की कोई मांग सरकार के पास नहीं पड़ी है। नैनीताल जिले में जहां कहीं भी आवश्यकता समझी गई उचित संख्या में दूकानें खोल दी गई हैं। इस जिले की भी कोई मांग सरकार के पास नहीं पड़ी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदयों के पास भी इस तरह की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगर जिलाधीश के पास आई होतीं तो वह सरकार के पास भेजते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस बीच में धान कूटने में प्रतिबन्ध लगने से और धान न कूटे जाने के कारण चावल देहात में न मिलने से जो विषम परिस्थिति पैदा हो गई है उसके लिये क्या प्रबन्ध सरकार ने देहाती इलाकों के लिये करने की कृपा की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहाड़ों में हम बराबर सरकारी चावल देते हैं ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि तहसील नैनीताल की बड़ी जगहों में जैसे चौगढ़, बिचूला, मल्लीरौ हैं, वहां अब तक सस्ते गल्ले की दुकानें क्यों नहीं खोली गईं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिलाधीश ने आवश्यकता नहीं समझी होगी ।

खाद्यान्न भंडारों पर सरकारी कब्जा

*४—**कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९५८ से अब तक सरकार ने प्रदेश भर से संग्रह करने वालों के यहां से कुल कितना खाद्यान्न अपने अधिकार में लिया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार जिलाधीशों एवं आर-एफ सीज ने निम्नलिखित गल्ला रिक्वीजीशन (Requisition) किया है :

	मन	सेर	छ०
गेहूं	२,९२४	०	०
चना	२,०५,७२४	४	१०
मटर	४४,९६४	०	०

*५—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्न ४ ने पूछे गये खाद्यान्नों के भंडार कहां-कहां पकड़े गये तथा कितने-कितने ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उपर्युक्त खाद्यान्न निम्नलिखित स्थानों में रिक्वीजीशन (Requisition) किये गये तथा उनकी मात्रा इस प्रकार है:

खाद्यान्न	स्थान	मात्रा		
		मन	सेर	छ०
(१) गेहूं	कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद	१५०	०	०
	रामनगर, जिला नैनीताल	१,६४२	०	०
	चन्दौसी, जिला मुरादाबाद	१,१३२	०	०
		२,९२४	०	०

खाद्यान्न	स्थान	मात्रा		
		मन	सेर	छ०
(२) चना	लखनऊ रीजन	२४,६५०	०	०
	मेरठ रीजन	१,४४,६२९	२४	१०
	कानपुर रीजन	३६,४४४	२०	०
		२,०५,७२४	४	१०
(३) मटर	मेरठ रीजन	२९,६१२	०	०
	कानपुर रीजन	१५,३५२	०	०
		४४,९६४	०	०

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८७–६८८ पर)

*६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिनके यहां से ये खाद्यान्नों के भंडार सरकारी कब्जों में लिये गये उन्हें उसके कुछ मूल्य भी दिये गये ? यदि हां, तो किस भाव से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन खाद्यान्न का भाव (Essential commodities Act, 1955) ऐसन्शल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ की धारा ३ (iii) (c) के अन्तर्गत, किसी क्षेत्र में व्यापक तीन महीने के औसत बाजार भाव के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। अतः ये भाव भिन्न-भिन्न क्षेत्र में अलग-अलग हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह गल्ला बाजार के बड़े-बड़े आढ़तियों से लिया गया है या देहात से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बाजार के बड़े बड़े आढ़तियों से।

श्री उग्रसेन—जो गल्ला आढ़तियों से जब्त किया गया है क्या उसके वितरण की व्यवस्था सस्ते गल्ले की दूकानों पर कर दी गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अधिकांश में हो चुकी है।

अल्मोड़ा जिले में सस्ते अनाज की दुकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*७—श्री प्रतापसिंह—क्या खाद्य मंत्री उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके धारचूला, पांशु, तकालकोट, मुन्सियारी आदि जगहों पर खाद्य स्थिति की जांच करा कर सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अल्मोड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके की जनता की सुविधा हेतु सरकारी अन्न भंडार धारचूला व मुन्सियारी में खोले गये हैं।

उक्त अन्न भंडारों से धारचूला, पांशु तथा मुसियारी क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा जनता को अन्न विक्रय किया जाता है। ताकुलाकोट में जनता से कोई मांग न होने के कारण वहां कोई सस्ते गल्ले की दुकान नहीं खोली गई।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धारचूला, पांशु और मुन्सियारी में उन्होंने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यही तीन जगहें हैं जहां सरकारी गल्ले का प्रबन्ध किया गया है। ये बार्डर एरिया में हैं।

श्री प्रतापसिंह—जिन सस्ते गल्ले की दुकानों का जिक्र मंत्री जी ने किया वहां किस भाव से जनता को अन्न दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसी भाव से, जो करीब-करीब २ सेर ६ छटांक होगा जहां तक मेरा खयाल है, क्योंकि उसे सबसिडाइज किया जाता है ईश्यू गोडाउन तक और उसके नजदीक वे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज की सब्सिडी पहले वहां दी जाती थी अब वह कम कर दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे फिर से देने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ईश्यू गोडाउन तक तो सब्सिडी दी जाती है और चूंकि वह वहीं है इसलिये प्रश्न नहीं उठता है।

लोहे का कोटा

*८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले को कितना लोहा सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कानपुर जिले को सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में ४४० टन लोहा का कोटा दिया गया था।

*९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ के तृतीय क्वार्टर में (तीसरी तिमाही) कितना लोहा उत्तर प्रदेश को एलाट हुआ था तथा उसमें से कितना राज्य में आया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् १९५८ के तृतीय क्वार्टर में उत्तर प्रदेश को ७,२३८ टन लोहा एलाट हुआ था और ६,८४२ टन की प्राप्ति हुई थी।

श्री मदन पांडेय—कानपुर को सन् १९५७-५८ की तृतीय तिमाही में लोहे का कितना कोटा एलाट हुआ था और कितना उसे दिया गया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जितना लोहा यू० पी० को एलाट हुआ उसके प्राप्त न होने के कारण क्या हैं और उन्हें दूर करने के क्या उपाय सरकार कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शायद सेंट्रल गवर्नमेन्ट के स्टाक में इतना नहीं रहा है।

श्री उग्रसेन—जो कोटा बाकी रह गया और नहीं मिला, उसे प्राप्त करने के लिये सरकार ने केन्द्र से कोशिश की है? यदि हां, तो कब?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमने एक डी०ओ० लेटर केन्द्रीय मंत्री को लिखा था और उन्होंने कृपापूर्वक हमें २,००० टन नया एडहाक कोटा दे दिया है।

सस्ते अनाज की दूकानें

*१०—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खुली हुयी हैं और इसमें कितनी शहरी क्षेत्रों में हैं और कितनी देहाती क्षेत्रों में तथा इन दुकानों में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर सन् १९५८ में कितनी खुली हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—राज्य में इस समय सस्ते गल्ले की कुल ४,२४० दूकानें खुली हुई हैं। इनमें से १,७८० दुकानें शहरी क्षेत्रों में और २,४६० दुकानें देहाती क्षेत्रों में हैं। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर सन् १९५८ में क्रमशः निम्नलिखित दुकानें खोली गई थीं:

सितम्बर, १९५८	..	..	..	४५५ दूकानें
अक्तूबर, १९५८	..	..	..	१५१ दूकानें
नवम्बर, १९५८	..	..	..	१०४ दूकानें

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि गल्ले की इस समय बढ़ती हुई तेजी को देखते हुए, क्या सरकार दूकानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आपने नवम्बर तक का प्रश्न पूछा था लेकिन दूकानें दिसम्बर और जनवरी में भी खुली हैं तथा और भी खोली जा रही हैं और जहां-जहां आवश्यकता होगी वहां-वहां दूकानें और खोली जायेंगी । उम्मीद है कि अब भाव बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही ।

देवरिया जिले में राशन कार्ड व्यवस्था

*११—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में कहां पर राशन कार्ड जारी किया गया है और उस राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति कितना गल्ला प्रति दिन दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१३ दिसम्बर, १९५८ तक की सूचना के अनुसार जिला देवरिया में नगरपालिका देवरिया, बरहज तथा पडरौना में परिचय पत्र (Identity cards) जारी किये गए थे और इन स्थानों पर प्रति यूनिट ६ छटांक गल्ला प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता था परन्तु हाल ही में जिलाधीश को यह आदेश दे दिया गया है कि गल्ले की मात्रा किसी हालत में भी २ सेर प्रति यूनिट प्रति सप्ताह से अधिक न होनी चाहिये । इसी मात्रा में गल्ला कवाल टाउन्स (Kaval Towns) में दिया जाता है ।

*१२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सस्ते गल्ले की दुकानों पर कहां-कहां से झगड़े और लूट-पाट की शिकायत आई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रदेश के किसी जिले से सस्ते गल्ले की दुकान पर झगड़े अथवा लूट-पाट की शिकायत नहीं आई ।

*१३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या खाद्य मन्त्री यह बतायेंगे कि जिला देवरिया में कौन-कौन बाजार बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बाजार माने गये हैं और वहां गल्ले की चोरी रोकने के लिये क्या प्रबन्ध विशेष किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला देवरिया में निम्नलिखित बाजार उत्तर प्रदेश-बिहार के सीमावर्ती बाजार हैं :—

१—भाटपार रानी,

२—तमकुही रोड,

३—भिंगारी बाजार,

४—तरया सुजान ।

गल्ले की चोरी रोकने के लिये भाटपार रानी तथा तमकुही रोड में एक-एक चेकिंग स्क्वाड स्थापित कर दिया गया है । प्रत्येक स्क्वाड में मार्केटिंग इन्सपेक्टर तथा चौकीदार हैं । विभागीय अधिकारी भी आवश्यकतानुसार इन मंडियों की देख-रेख करते रहते हैं तथा समय समय पर आकस्मिक जांच (Surprise raids) भी करते हैं । उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त ऐसे स्थानों पर जहां से गल्ले की चोरी की अधिक सम्भावना थी, ऐन्टी स्मगलिंग पुलिस स्क्वाड भी नियुक्ति कर दी गई है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन कार्डों की व्यवस्था सरकार की ओर से की गयी है या व्यापारियों ने स्वयं अपने खर्चे पर उनको जारी किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार ने इस लिये कि ब्लेक मार्केटिंग में अन्न न चला जाय, यह परिचय-पत्र स्वयं ही जारी किये हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उन्हें जो यह सूचना मिली है कि कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ है, यह कौन सी तारीख तक की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह बात हाल की ही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास झांसी वगैरह से गल्ले के लूटे जाने की खबरें आयी हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा गया था; उसने लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है । हमने कहा है कि प्रेस नोट निकाल दो ताकि सफाई हो जाय ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जो चेकिंग स्क्वाड बना दिये गये हैं, क्या इस प्रकार के स्क्वाड दूसरे सीमावर्ती जिलों में भी सरकार बनायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां-जहां आवश्यकता है वहां-वहां रखे गये हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्क्वाड स्मगलिंग के सिलसिले में रखे गये हैं वे इस प्रदेश के किसान जो दूसरे प्रदेशों में खेती करते हैं, उनको उनकी फसल लाने से भी रोकते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उस पर हमारे रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता । बिहार गवर्नमेंट उस पर रोक लगाती होगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह गलत है कि झांसी में गल्ले की दूकानें लूटने के सिलसिले में २२ महिलायें गिरफ्तार की गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गिरफ्तारी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन यह मालूम है कि कुछ औरतों को पी० एस० पी० वालों ने बहका कर दूकानें लूटने के लिये भेजा था लेकिन उन्होंने लूटा कुछ नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पहले उन्होंने उत्तर दिया कि झांसी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इस तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिये डी० एम० की तरफ से एक प्रेस नोट इश्यू किया जा रहा है और अभी जो उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ औरतों को पी० एस० पी० वालों ने बहका कर दूकानें लूटने के लिये भेजा, तो इन दोनों उत्तरों में से कौन सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शायद आप मेरी बात को समझे नहीं, मैंने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि यहां कोई लूट नहीं हुई, सिवा इसके कि पी० एस० पी० वालों ने कुछ औरतों को बहका कर भेजा था । यह उन्होंने नहीं लिखा है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई यह मैंने कहा था । अब मुझे मालूम नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—इसके पहले ६ छटांक प्रति यूनिट था तो अब हफ्ते में कम करके २ सेर कर देने की क्या स्थिति पैदा हो गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—दो चीजें एक नियम के अन्तर्गत नहीं हो सकतीं कि कवाल टाउन्स के लिये अलग हों और वहां के लिये अलग हों । इसलिये एक ही नियम सर्वत्र लागू किया गया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—सर्वत्र एक ही नियम लागू किया गया है तो क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि कहीं पर प्रति यूनिट राशन बंटता है और कहीं पर फैमिली कार्ड बनवाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन टाउन्स के अलावा देहातों में ऐसा ही किया गया है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मन्त्री जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर कि पी० एस० पी० वालों ने कुछ औरतों को भड़का कर गल्ले की दूकानें लूटने के लिये भेजा, इस सम्बन्ध में कोई जांच कमेटी नियुक्त करेंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं डी० एम० की रिपोर्ट का खंडन कर सकूं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनका प्रेस नोट निकल जाने दीजिये, उसके आधार पर आप जो कुछ चाहें लिखें, उसके लिये आप फ्री हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी उस रिपोर्ट को पढ़ कर सुना देंगे जिसके आधार पर डी० एम० ने शब्द "बहका कर" का इस्तेमाल किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो मैं समय चाहूंगा क्योंकि इस समय वह मेरे सामने नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में यह बात भी है या नहीं कि जो औरतें पी० एस० पी० द्वारा बहका कर भेजी गयी थीं उन्होंने दूकानों पर जाकर क्या किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किया तो कुछ नहीं, लेकिन वे दूकानें लूटने की कोशिश कर रही थीं।

मेरठ जिलान्तर्गत मवाना तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*१४—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में १९५७ तथा १९५८ में किस-किस तहसील में कितनी-कितनी दूकानें सस्ते गल्ले की खोली गयी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सन् १९५७ तथा १९५८ में मेरठ जिले की प्रत्येक तहसील में खोली गयी सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है :

तहसील का नाम	दूकानों की संख्या	
	सन् १९५७ में	सन् १९५८ में
१—मवाना	२०	२२
२—हापुड़	७	१४
३—गाजियाबाद	९	२७
४—मेरठ	४	६३
५—बाघपत	१	..
६—सरधाना	४	३
योग ..	४५	१२९

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि सन् १९५६ से मवाना तहसील बाढ़ और चोए के पानी से पीड़ित है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा कि माननीया सदस्या कह रही हैं, ठीक ही होगा ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि मवाना तहसील का वह भाग जिसमें सबसे अधिक अन्न पैदा होता है आज तक बाढ़ व चोए के रुके हुए पानी में डूबा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—आपने प्रश्न तो सस्ते गल्ले की दूकानों के बारे में पूछा है । अब आप ब्योरे में न जा कर केवल इसी सम्बन्ध में पूछें ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—इस तहसील में सन् १९५६ से लेकर आज तक बराबर पानी रुका हुआ है तो क्या माननीय मन्त्री जी उसमें अधिक गल्ले की दूकानें खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पश्चिमी जिलों में विशेष कर मेरठ में हाल ही में अभी चौधरी चरणसिंह जी गये थे और उन्होंने दस दूकानें मेरठ जिले को और दीं, कुछ और भी दे रहे हैं । लेकिन उनको कहां पर खोलें और कहां पर न खोलें यह निर्णय जिलाधीश, जिला खाद्य समिति से परामर्श ले कर करता है ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या कोई ऐसी आज्ञा जारी हुई थी कि ये दस दूकानें मवाना तहसील में ही खोली जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यहां से हम उनका हाथ नहीं बांधते कि वे कहां खोलें । जहां आवश्यकता समझें वहां खोल सकते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—सस्ते गल्ले की दूकानें खोलते समय केवल जिला मैजिस्ट्रेट की इच्छा पर ही निर्भर है या यह कि वहां के जन प्रतिनिधियों से भी कोई राय ली जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैंने कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट को जिले की खाद्य समिति परामर्श देती है और उसके अनुसार वे दूकानें खोलते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—जिला खाद्य समिति में कौन-कौन लोग रखे जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसके नियम हैं । जो विधान सभा के सदस्य हैं वे जब जाते हैं तो उनको कोई इंकार नहीं करता है, वे भी अपनी राय रख सकते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—यह खाद्य समितियां बनाने के आदेश कब जारी हुए हैं और ये जिलों में बनी भी हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक मुझे याद है अक्तूबर—नवम्बर में ये आदेश गये थे । यह नहीं कि वे स्टेटुटरी तौर पर बनायें हों, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है ये हर जिले में बनी हुई हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—बनारस जिले में यह खाद्य समिति बनी हुई है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बनारस के सम्बन्ध में मुझे सूचना की आवश्यकता होगी, हर जिले की मुझे याद नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या खाद्य मंत्री सस्ते गल्ले की दूकानों के साथ-साथ बेकारों को काम दिलाने के लिये नव-निर्माण काम खोलेंगे जिससे मजदूरी करके वे अन्न खरीद सकें ?

श्री अध्यक्ष---आप अपना सुझाव मंत्री जी को भेज दें ।

वेटेरिनरी ट्रेनिंग के लिए चुनाव

*१५---**श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेटेरिनरी ट्रेनिंग प्रदेश में कहां-कहां हो रही है । उसमें जनवरी सन् १९५७ से अगस्त, १९५८ तक कितने-कितने स्टाकमैन व डाक्टर ट्रेनिंग में अलग-अलग आये और उनमें क्रमशः कितने वेटेरिनरी स्टाक मैन व डाक्टर परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---(अ) वेटेरिनरी ट्रेनिंग इस समय प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर हो रही है:---

१---राजकीय वेटेरिनरी कालेज, मथुरा ।

२---कृषि यांत्रिक फार्म, हस्तिनापुर, जिला मेरठ ।

३---कृषि यांत्रिक फार्म, चक गंजरिया, जिला लखनऊ ।

४---लाइवस्टाक फार्म, पशुलोक, जिला देहरादून ।

(ब) जनवरी, १९५७ से अगस्त, १९५८ तक वेटेरिनरी डाक्टरों और स्टाकमैनों की संख्या जो कि ट्रेनिंग में लिये गये नीचे दी जा रही है:

	कुल संख्या जो ट्रेनिंग में लिये गये	पिछड़े वर्ग की संख्या	परिगणित जाति की संख्या
वेटेरिनरी डाक्टर ..	२४१	१४	–
वेटेरिनरी स्टाकमैन ..	३००	१०	४८

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि वेटेरिनरी चुनाव के लिये ३,५०० आदमी बुलाये गये थे उनमें से केवल ८० लेने थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, उतनी ही जगहें थीं, वेटेरिनरी सुपरवाइजर की जगह के लिए ८० ही लिये गये ।

श्री हरदयालसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब भर्ती होती है तो कोई ऐडवरटिजमेंट होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, होता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ८० उम्मीदवार ही लेने थे तो यह सही है कि साढ़े तीन हजार के करीब सेलेक्शन करने के लिये बुलाये गये ?

श्री मोहन लाल गौतम---कितने बुलाये इसके आंकड़े तो इस वक्त मेरे पास नहीं है । लेकिन जितने ऐप्लीकेंट्स होंगे उनमें से छांटने का कोई तरीका है उसी तरीके से बुलाये गये होंगे । स्टाक मैनों का तो यह तरीका है कि हर जिले में एक कमेटी होती है वहां से पांच-पांच आदमी आते हैं उन्हीं में से लिये जाते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि परिगणित जाति का डाक्टरों में कोई नहीं लिया गया इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसका कारण यह है कि स्टाकमैनों की भर्ती जब होती है तो नौकरी के लिये होती है और डाक्टरों की भर्ती पढ़ाई के लिये होती है और पढ़ाई के कालेजों में कोई रिजर्वेशन नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में पशु-सुधार कार्य

*१६---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५६-५७ व १९५७-५८ में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार के क्या-क्या विशेष कार्य किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८९ पर।)

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६ ग्राम समूह योजनाएं कहां-कहां खोली गई हैं और इन पर क्या कार्य होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसको अंग्रेजी में विलेज स्कीम कहते हैं। इसमें क्या-क्या कार्य होता है उसका जिक्र साहित्य में काफी है जिसको माननीय सदस्य पढ़ें। और एक आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर होता है वह एक है और उसके चारों तरफ उस स्कीम के हिसाब से ६ सेंटर्स होते हैं और जो काम वहां पर होता है वह माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है।

श्री रामचन्द्र विकल---जो शुद्ध वंशी पशु तकावी पर किसानों को दिये गये उनकी वापसी का क्या ढंग है, यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---तकावी वसूल की जायगी।

नये बागों का क्षेत्र

*१७---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में भूमि के कितने क्षेत्र में बाग लगाये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---२७,६३१·५२ एकड़ में।

शाहजहांपुर गन्ना सोसाइटी के सीजनल स्टाफ का वेतन

*१८---**श्री हरदयालसिंह**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर गन्ना सोसाइटी के सीजनल स्टाफ का जून का वेतन अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---शाहजहांपुर गन्ना सोसाइटी के सीजनल स्टाफ के जून का वेतन का भुगतान किया जा चुका है अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरदयाल सिंह---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रुपया कितने समय के उपरान्त दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो आदमी रखे गये थे वह खास जरूरत के हिसाब से उस वक्त बिना बोर्ड की इजाजत के रख लिये गये थे। उस पर आडीटर ने कुछ आब्जेक्शन किया कि फार्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। जब बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने उन फार्मेलिटीज को पूरा कर दिया तब उनकी तनख्वाह दे दी गई।

सीतापुर जिलान्तर्गत चांदपुर-फरीदपुर से गन्ना तौल का कांटा लगाने की प्रार्थना

*१९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सीतापुर की तहसील सिधौली के ग्राम चांदपुर-फरीदपुर के किसानों का प्रार्थना-पत्र गन्ने का कांटा लगवाये जाने हेतु गत वर्ष प्राप्त हुआ था और उसकी जांच-पड़ताल भी हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां ।

*२०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस वर्ष किसी मिल का कांटा उक्त स्थान पर गन्ना खरीदे जाने के हेतु लग जायेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच पड़ताल के सिलसिले में क्या इस बात की भी जांच की गई थी कि यदि कांटा लगाया जाय तो कितने मन गन्ना प्राप्त होने की संभावना है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह अन्दाज होने पर ही यह जांच हुई । लेकिन यह आधार नहीं है कांटा लगाने का कि कितने मन गन्ना प्राप्त हो सकता है । आधार यह है कि अगर वहां कांटा लगाया जाय तो मिल वहां से गन्ना अपने यहां ला सकती है या नहीं । उसकी दिक्कत यह है कि सड़क है नहीं । इसलिये कोशिश यह है कि जो रेलवे लाइन है कंकड़ ले जाने के लिये, उससे लाया जाय, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया । हम कोशिश कर रहे हैं कि कांटा लगे । तो गन्ना किस तरह से लाया जाय ।—साधन हो जाय तो कांटा लगाया जा सकता है । अभी उसकी सुविधा नहीं है और ट्रक से लाया नहीं जा सकता ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में गन्ने का कांटा लगाने का विरोध मिल मालिक गन्ने की क्वालिटी अच्छी नहीं है यह कह कर कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सब डिटेल इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

कृषि विभाग, जिला हरदोई में हरिजन कामदार

*२१—श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कृषि विभाग में कुल कितने कामदार हैं और उनमें कितन हरिजन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला हरदोई में, कृषि विभाग में, कुल ३८ कामदार हैं, जिनमें से तीन हरिजन हैं ।

*२२—श्री बुलाकी राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव विभाग, हरदोई में कुल कितने कामदार हैं और उन में कितने हरिजन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोआपरेटिव विभाग, जिला हरदोई में, ३२ (बत्तीस) कामदार हैं जिनमें कोई कामदार हरिजन वर्ग का नहीं है ।

केन यूनियन बढ़नी, जिला बस्ती के अन्तर्गत अल्प बचत योजना

*२३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन यूनियन बढ़नी, जिला बस्ती के गन्ना किसानों के ऊख के दाम से १९५३ ई० व १९५४ ई० क गन्ना सीजन में अल्पबचत योजना में कटौती की गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्राप्त सूचनानुसार यह विदित हुआ कि सन् १९५३–५४ के गन्ना सीजन में केन यूनियन बढ़नी, जिला बस्ती के गन्ना किसानों के ऊख के दाम से अल्प-बचत योजना में कोई कटौती नहीं की गई थी। पर गन्ना सीजन १९५४–५५ में उक्त योजना के अन्तर्गत अवश्य कटौती की गयी।

*२४—**श्री रामलखन मिश्र**—यदि हां, तो इस प्रकार कितना रुपया जमा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त योजना के लिये १४,३१५ रुपया जमा हुआ।

*२५—**श्री रामलखन मिश्र**—क्या यह सच है कि इसकी रसीद किसानों को अब तक नहीं मिली ?

श्री मोहनलाल गौतम—अल्प बचत योजना सर्टिफिकेटों पर किसानों का पूरा पता लिखने से छूट गया है इस कारण ये सर्टिफिकेट किसानों को अभी तक वितरित नहीं किये जा सके।

श्री रामलखन मिश्र—गन्ना किसानों में विश्वास वृद्धि के लिये क्या सरकार अपने इस उत्तर के सहित सर्टिफिकेटों को शीघ्र वितरित कराने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पूरी कोशिश की जायगी जल्दी वितरित कराने की।

बलिया जिले में चूहों की बढ़ती

*२६—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि जिला बलिया में दो सालों के अन्दर चूहों की अत्यधिक संख्या बढ़ जाने से फसल को तथा गल्ले को काफी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो जिले के सरकारी अधिकारी वर्ग ने इसको दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—चूहों की अत्यधिक संख्या बढ़ने की तो कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई परन्तु पिछले वर्ष चूहों के मामूली उत्पात की सूचना कृषि रक्षा उप-केन्द्र, आजमगढ़, में प्राप्त हुई थी जिसका उपचार कृषि रक्षा कर्मचारियों द्वारा तुरन्त कर दिया गया और फिर उसके बाद उत्पात की कोई सूचना आज तक नहीं मिली।

श्री जगन्नाथ चौधरी—बलिया जिले में चूहों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है और इतने बड़े-बड़े हो गये हैं कि अन्न और वस्त्र के अलावा आदमियों को भी काटना शुरू कर दिये हैं। क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकर जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक मनुष्यों के काटने का सम्बन्ध है उसकी तो हेल्थ मिनिस्टर साहब फिक्र करेंगे। लेकिन यह जरूर है कि चूहों का एक बड़ा प्रश्न है और अन्दाज यह है कि जो हमारे अन्न में कमी आती है, जो टोटल नुकसान होता है, वह कई कारणों से होता है। उसमें २० फीसदी के करीब चूहे खराब कर देते हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है और अभी दिल्ली में ६–७ तारीख को जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी, उसमें तीन आइटम्स में से एक रैट मीनेस का भी था। वह एक प्रश्न बहुत बड़ा है और उस तरफ सरकार का काफी ध्यान है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया में चूहों के अत्यधिक बढ़ने की खबर नहीं है परन्तु अधिक बढ़ने की खबर उन्हें है ?

श्री मोहनलाल गौतम—बढ़ने की खबर नहीं है लेकिन कुछ इलाज किया गया है, यही मैंने उत्तर दिया।

*२७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

बहराइच जिले की बाबागंज, अलियाबाद कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटियों का गल्ला

*२८—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बहराइच जिले में कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के केन्द्र, बाबागंजत था अलियाबाद द्वारा गत मास मई, १९५८ में कुछ गेहूं बेंचा गया था? यदि हां, तो कितना-कितना और किस दर पर ?

श्री मोहनलाल गौतम—बहराइच जिले की कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के केन्द्र बाबागंज तथा अलियाबाद द्वारा मई, १९५८ में कोई गेहूं नहीं बेचा गया। अतः दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं है।

*२९—श्री जयराम वर्मा—क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गेहूं का उक्त विक्रय किसके आदेश से और किसके हाथ किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—उपरोक्त परिस्थिति में इस प्रश्न का उत्तर शून्य है।

*३०—श्री जयराम वर्मा—मास मई, १९५८ में गेहूं की क्या दर थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रथम सप्ताह १५ रु० प्रति मन; द्वितीय—१५·५० रु० से १६·५० रु० प्रति मन; तृतीय—१६ रु० प्रति मन; चतुर्थ—१६·५० रु० प्रति मन।

श्री जयराम वर्मा—क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९५८ में उक्त केन्द्रों में मई मास के अलावा और किसी मास में भी गेहूं बेचा गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—क्या माननीय कृषि मंत्री जी इस बात का फिर से पता लगायेंगे कि मई में या किसी और मास में गल्ला बेचा गया या नहीं क्योंकि मेरी सूचना है कि वहां से गल्ला बेचा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर माननीय सदस्य ठीक-ठीक सोसाइटी आदि की सूचना मुझे दें तो मुझे तहकीकात में आसानी होगी।

बीज भण्डार तालबेहट, जिला झांसी का बकाया

*३१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बीज भंडार, तालबेहट (जिला झांसी) में सन् १९५७ तथा इस वर्ष अगस्त मास तक रबी का बीज (गेहूं, चना, जौ) अथवा बीज का रुपया किन-किन लोगों पर कितना-कितना बाकी है और वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना संलग्न † तालिका में दी है। वसूली न होने का मुख्य कारण यह था कि फसल अच्छी नहीं हुई।

*३२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों पर बीज अथवा बीज का रुपया बाकी है, उन्हें सन् १९५७ तथा सन् १९५८ में अब तक कितना-कितना बीज रबी का (गेहूं, चना, जौ) दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—बकायेदारों को बिलकुल बीज नहीं दिया गया।

---

† तालिका छापी नहीं गई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि सर्वश्री मोतीलाल कंचन, मनीराम कंचन, सियाराम कंचन और लछमन प्रसाद कंचन एक ही परिवार के हैं और उनके ऊपर ६,८५३ रुपया ७५ नये पैसे बाकी हैं और यह लोग सारा बीज बाजारों में बेच कर रोजगार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर झांसी जिले की कोई ऐसी शिकायत है कि कोई ऐसा गलत काम करता है और अगर ठीक-ठीक लिख कर दिया जायगा तो उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मन्त्री जी को मालूम है कि उक्त चार आदमियों में से तीन ने झूठे नाम और वल्दियत आदि लिखाकर गलत तरीके से बीज लिया है ?

श्री अध्यक्ष---यह आप को स्वतंत्र प्रश्न पूछना चाहिए था, मन्त्री जी यह कैसे बतला सकते हैं ? आपने बकाया की फेहरिस्त मांगी, वह उन्होंने दे दी । मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि तालबेहट से गत वर्ष रबी के खराब हो जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई बल्कि जब मंत्री जी ५ जनवरी को वहां गये थे तो उक्त व्यक्तियों ने मकान पर उनसे निवेदन किया था कि फसल खराब हो गई है और बीज इस कारण से माफ कर दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सदन का जो एक विशेषाधिकार है उसको समझ कर वह व्यक्तियों की बेईमानी वगैरह की बात न करें क्योंकि दूसरों को बचाव का अधिकार नहीं है और इस तरह का मुकदमें आदि का भी अधिकार नहीं है. . .

श्री अध्यक्ष---क्या शब्द उन्होंने कहे . . . .

श्री मोहनलाल गौतम---यह कि बेईमानी से वल्दियत वगैरह लिखा दी, ऐसी बात अपने जाती बुग्ज को निकालने के लिये ऐसा न किया करें ।

श्री अध्यक्ष---मैंने उसकी इजाजत नहीं दी थी । आप दूसरा प्रश्न करें ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---मैंने "बेईमानी" शब्द नहीं कहा, "झूठी वल्दियत" का कहा ।

श्री अध्यक्ष---उक्त पूरक प्रश्न की मैंने इजाजत ही नहीं दी थी जोकि झूठी वल्दियत के बारे में था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक विधि का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय मन्त्री ने माननीय सदस्य के लिये कहा कि "अपने जाती बुग्ज को निकालने के लिये ऐसा न किया करें" । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का आक्षेप किसी सदस्य के सम्बन्ध में किया जा सकता है और क्या यह विधि के अनुकूल है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, न उनका आक्षेप ठीक था और न जवाब भी उसका ठीक था जो उनको दिया गया है, क्योंकि मैंने उस प्रश्न की इजाजत नहीं दी थी । मैंने कहा था कि जाती विवाद के मामले की मैं इजाजत नहीं दूंगा और पहला जो है, जब उत्तर मुझे मालूम हुआ मंत्री जी का कंचन वगैरह के बारे में तो मेरी समझ में आया कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप है । अगर व्यक्तिगत आक्षेप करना है तो पहले से ही एक प्रश्न करना चाहिए कि किसी ने कोई ज्यादती की है या गड़बड़ी की है, मूल प्रश्न में ही उसका जिक्र आ जाना चाहिए, न कि यह कि पहले एक फेहरिस्त मांगी जाय बजाय कि कितनों के पास बकाया है और बकाया किसी पर हो तो उसके ऊपर धांधली, ज्यादती या गलत काम करने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाय तो मंत्री उसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि मंत्री ने उसके विषय में कोई तहकीकात वगैरह नहीं की ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--मैंने अन्त में निवेदन किया है कि क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट से कोई सूचना आयी थी रबी की फसल के सम्बन्ध में कि वह खराब हो गयी है और ५ जनवरी को जब मंत्री जी वहां गये तो उक्त व्यक्तियों ने उनसे प्रार्थना की थी कि यह बीज माफ कर दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह बीज माफ तो किया नहीं गया है, बीज बकाया है और बीज वसूली की जायगी। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं कि जब मंत्री जाते हैं तो की जाती हैं। मुझे याद नहीं कि किस आधार पर यह हुआ, लेकिन यह जरूर है कि यह जो बीज है इसके १३८ आदमी बकायादार हैं। ५ तारीख को जब मैं गया तो किसने क्या कहा और किसको क्या कष्ट है, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिन लोगों के जिम्मे बीज का बकाया है उनको पुनः बीज दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब तो दे दिया कि नहीं दिया गया है।

*३३--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

तम्बाकू का कृषि क्षेत्र

*३७--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में कितनी-कितनी एकड़ भूमि पर तम्बाकू की खेती होती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--तम्बाकू की खेती के जिलेवार आंकड़े संलग्न तालिका से विदित होंगे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९०-६९१ पर)

देवरिया व गोरखपुर जिलों में गंधीनाशक रसायन का प्रयोग

*३८--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या देवरिया व गोरखपुर जिले में धान की भदई फसल में गन्धी नामक कीड़ा लग गया है ? यदि हां, तो इन कीड़ों को नष्ट करने के क्या उपाय अमल में लाये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, कृषि रक्षा सेवा तथा नियोजन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रसायन का छिड़काव उन सभी क्षेत्रों में कराया गया जहां-जहां कि आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई।

*३९--**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रोग से कितने रकबे की फसल को और कितनी मात्रा में हानि पहुंची है ?

श्री मोहनलाल गौतम--लगभग ११,८७६ एकड़ में गन्धी कीड़े के आक्रमण के रोकथाम का कार्य किया गया। इस विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि धान की फसल को कोई क्षति हुई है।

बदायूं जिले में बाग लगाने के लिए तकावी

*४०—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में १९५७–५८ में बाग लगाने के लिये कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी तकावी दी गयी ? उन व्यक्तियों में से कितनों ने जुलाई सन् १९५८ तक बाग लगाये और कितने क्षेत्रफल में ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुल १९ व्यक्तियों को तकावी दी गई जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६९२ पर)

श्री टीकाराम—जो फेहरिस्त मेरे पास आयी है इसमें जिन्होंने बाग नहीं लगाये हैं उनके बाग न लगाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसके कई कारण हो सकते हैं, बीज न मिला हो या जमीन ठीक न हो, पानी की कुछ गड़बड़ी ही हो, इसके सारे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनको बगैर जमीन दिये ही रुपया दे दिया गया ? जमीन की जांच की गयी या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह रुपया जो दिया गया था १९५७–५८ में वह काफी देर में वसूल हुआ, उसकी सैंक्शन बहुत देर में हुई थी । इसलिये अगर उसमें कोई बात रह गयी हो तो कह नहीं सकता हूं । अगर माननीय सदस्य कोई बात बतायेंगे तो मैं उसकी तहकीकात करूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् १९५७–५८ में कुल कितने रुपये बाग लगाने के लिये मन्जूर हुए थे और वितरित करने के बाद उसमें से कितना रुपया बच गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका उत्तर कई बार इस सदन में दिया जा चुका है ।

गल्ला गोदाम अधिकारियों का चुनाव

*४१—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य गल्ला गोदाम अधिकारी के पद के लिये निर्वाचन हेतु सितम्बर, १९५८ ई० के अन्त में कितने प्रार्थी इन्टरव्यू में बुलाये गये थे और उनमें से कितने लोगों का चुनाव होना था तथा उसके लिये कुल प्रार्थना-पत्र कितने आये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—८१७ पदों के लिये चुनाव होना था । ८११ प्रार्थियों में से कमेटी ने चुनाव किया, इन्टरव्यू में कोई नहीं बुलाया गया ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चुनाव के लिये कमेटी ने कोई आधार बनाया था या अपने मन से जिसको चाहा चुन लिया ?

श्री मोहनलाल गौतम—आधार बनाया था और उसी के अनुसार चुना है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—वह आधार क्या था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो ऐग्रीकल्चर स्कूलों से पास किये हुए थे उन्हीं में से यह चुनाव हुआ है ।

देवकली दीन लालबहादुर, कोल डिपो होल्डर, रुदौली, जिला बाराबंकी की अनुज्ञप्ति का निलम्बन

*४२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार दिनांक ९ दिसम्बर, १९५८ के प्रश्न १११ के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न में यह बताने की कृपा करेगी कि रुदौली, जिला बाराबंकी के कोल इन्स्पेक्टर ने गैर-कानूनी ढंग से मंगाये गये जिस डस्ट कोल को सीज किया है वह कितने वैगन था और कितने व्यापारियों का था और उस पर सरकार की ओर से क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह कोयला-चूर लगभग तीन वैगन था। यह सब का सब सर्वश्री देवकली दीन लाल बहादुर, कोल डिपो होल्डर, रुदौली ने मंगाया था। इस कोल डिपो होल्डर की अनुज्ञप्ति (licence) निलम्बित (suspended) कर दी गई है तथा आगे की कार्यवाही के लिये जिले में मामले की जांच चल रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो तीन वैगन कोयले का चूरा है यह कहां से खरीदा गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन सभी बातों की जांच अभी हो रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—यह कोल किस तारीख को पकड़ा गया और लाइसेन्स किस तारीख को सस्पेन्ड किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—२३ अगस्त, १९५८ को ये वैगन्स सीज किये गये। लाइसेन्स जिला मैजिस्ट्रेट ने सस्पेन्ड किया, उसकी तारीख यहां नहीं भेजी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ से ५९ तक, ७ साल जांच में क्यों लगे और अब तक क्यों नहीं पूरी हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सात साल का प्रश्न कैसे उठा, मैं समझा नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस मामले को इतने महीने हो गये, तो ६ महीने के अन्दर जांच पूरी क्यों नहीं हो पायी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पांच महीने हो गये हैं और इसीलिये मैंने पूछताछ की है जिला मैजिस्ट्रेट से कि क्यों ५ महीने तक यह मामला लटका रहा।

सहकारी विभाग के अन्तर्गत सीतापुर जिले में गबन

*४३—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर सहकारी विभाग के अधीन संस्थाओं में पिछले दो वर्षों में कितना गबन हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सहकारी वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में सहकारी बीज भंडार, कुंवरपुर में १,९७९ रु० ७ आ० ६ पा० का गबन मालूम हुआ। सहकारी भट्ठा भण्डियां में ३,५०० रु० का और जिला सहकारी संघ, सीतापुर में २४,८८५ रुपये का गबन पाया गया।

*४४—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गबन की सूचना जिलाधीश को दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---कुंवरपुर बीज भंडार और भण्डियां भट्ठे के गबनों में सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, सीतापुर ने स्वयं पुलिस में रिपोर्ट और आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की। इसमें से कुंवरपुर बीज भंडार का मुकदमा अदालत सेशन पहुंच चुका है। भण्डियां भट्ठे के मामले में भी पुलिस द्वारा जांच हो रही है। जिला सहकारी संघ, सीतापुर में होने वाले गबन की सूचना जिलाधीश को दी गई थी। उस पर उन्होंने तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्तियों को निलम्बित किया गया और पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कराई गई और अभियोगी गिरफ्तार किये गये। सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को सूचना भेज दी गयी। उप-निबन्धक (केन्द्रीय) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जांच और हिसाब का आडिट शुरू करा दिया गया।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---जितने व्यक्ति निलम्बित हुये हैं क्या उनमें जिला सहकारी संघ के अधिकारी भी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो इससे संबंधित थे वह सब इसमें हैं। इस समय सूचना मेरे सामने नहीं है।

खीरी जिले में पलिया उपनिवेशन के क्वार्टर

*४५---**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)---क्या सरकार को पता है कि जिला खीरी के अन्तर्गत पलिया कालोनाइजेशन की जितनी बिल्डिंग तथा किसानों के क्वार्टर बने हैं उन सब में बरसात में पानी टपकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम---खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बनाये गये क्वार्टरों की छतों पर केवल ४ १/२ इंच की स्लेब लगाई गई थी इस कारण बरसात में उनकी छतें रसियाती थीं। अब २ इंच चूना कांक्रीट और बिछा दिया गया है। तब से फिर बरसात में छतें नहीं रसियाती हैं।

रायबरेली जिले में भट्ठों के लिए कोयला

*४६---**श्री चन्द्रिकाप्रसाद** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में तथा शहर में पृथक-पृथक ईंटों के कितने भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---शहर में ७ तथा जिले के अन्य दूसरे स्थानों में ९ भट्ठों को।

*४७---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८-४९---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**---[सोलहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर को टी० सी० एम० की सहायता

*५०---**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)---क्या टी० सी० एम० ने किसी प्रकार की कोई सहायता कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर में स्थापित करने के लिये देने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। टी० सी० एम० ने उत्तर प्रदेश में अमरीकी लैन्ड ग्रान्ट कालेज के आधार पर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के हेतु लगभग ७५ लाख रु० की सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

नोट---तारांकित प्रश्न ४४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५१--श्री नवलकिशोर--क्या इस सहायता के पीछे किसी किस्म की शर्तें भी हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--कोई शर्त नहीं है।

*५२-५३--श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--[२३ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले की ऊसर भूमि तथा सहकारी समितियां

१--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी में ऊसर बढ़ रहा है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जहां तक सरकार को ज्ञात है बाराबंकी जिले में ऊसर बढ़ नहीं रहा है किन्तु कम हो रहा है । अतः बढ़ते हुये ऊसर के रोकथाम का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन वर्तमान ऊसर को और कम करने का प्रयत्न जारी है।

२--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में अब तक कितनी सहकारी समितियां कायम हो गई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला बाराबंकी में ३१ अगस्त, १९५८ तक ११५३ (एक हजार एक सौ तिरपन) सहकारी समितियां कायम हो गई हैं।

हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियों को कर्ज

३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतायेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ की अवधि में राज्य में कितना धन कर्ज के रूप में Housing Co-operative Societies को दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--अल्प आय भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत १ जनवरी, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक ७,०४,२९० रु० (सात लाख चार हजार दो सौ नब्बे रुपये) का ऋण सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिया गया।

४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में ३० सितम्बर, १९५८ को कितनी Housing Co-operative Societies थीं और उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--३० सितम्बर, १९५८ को राज्य में ४३२ हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं। उनकी सूची † संलग्न है।

विधान सभा सदस्या, श्रीमती सज्जनदेवी महनोत के निधन पर शोकोद्गार

‡मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि आज से ठीक एक महीने पहले ८ जनवरी, १९५९ को इस सदन की एक सदस्या, श्रीमती सज्जनदेवी महनोत का देहान्त हुआ। श्रीमती महनोत का जन्म माघ, संवत् १९६५ में हुआ था। इस समय माघ सम्वत् २०१५ है। इसके माने यह हुये कि उनकी आयु देहान्त के समय लगभग ५० वर्ष की थी। पुराने दस्तूर के अनुसार १३ वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। थोड़े दिनों के बाद वह कलकत्ता चली गईं जहां उनके पति श्री सरदारसिंह महनोत

† सूची छापी नहीं गई।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहते थे। मेरा ऐसा खयाल है कि कुछ माननीय सदस्यों का सरदारसिंह जी से परिचय रहा है। सौभाग्य की बात थी कि पति-पत्नी दोनों एक ही विचार और एक ही स्वभाव के थे। सरदार सिंह जी बहुत ही गम्भीर प्रकृति के उदार व्यक्ति थे और राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत थे।

कलकत्ते जाकर बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रीमती सज्जनदेवी महनोत ने सार्वजनिक कार्यों में, विशेष रूप से महिला हित सम्बन्धी कार्यों में भाग लेना शुरू किया, जिसका कितना आदर हुआ समाज में, इसका अनुमान इस बात से हो सकता है कि १९२७ में जब उनकी उम्र १७,१८ वर्ष की ही थी वह अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस की अध्यक्षा चुनी गयीं। इन समाज कल्याण के कामों के साथ-साथ राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी थी और १९३८ के नमक सत्याग्रह आन्दोलन में अपनी गोद में लड़की को लिये हुये वे जेल गयीं। इसके बाद भी वे ऐसे ही काम करती रहीं। १९४२ में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ तो वे जेल जाना चाहती थीं, किन्तु उस समय वह अस्वस्थ थीं, इसलिये महात्मा जी ने विशेष रूप से उन्हें जेल जाने से रोक दिया।

१९४७ में उनके पति बनारस काटन मिल के मैनेजर होकर आये और सज्जनदेवी महनोत उनके साथ आईं। १९४२ के आन्दोलन में सरदारसिंह जी, उनकी पत्नी सज्जनदेवी महनोत, उनके लड़के और उनके लड़के की बहू, चारों प्राणी जेल गये। सरदारसिंह जी महनोत मेरे साथ जेल में थे और उनके लड़के भी मेरे साथ थे। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने कई प्रकार के अद्भुत काम किये। उस जमाने में कई लोग जो जेल के बाहर रह कर स्वाधीनता संग्राम के अनेक प्रकार के कार्यों में लगे हुए थे वे लोग जानते हैं कि रुपये पैसे से, और भी कई प्रकार से किस तरह से स्वाधीनता संग्राम की रक्षा की। हजारीबाग जेल से छूटने के बाद किस तरह स श्री जयप्रकाश नारायण उनके सम्पर्क में आये, किस तरह से उनके साथ रहे, किस तरह से सज्जनदवी जी ने वेश बदल कर उन्हें मिर्जापुर पहुंचाया यह अपनी एक अलग कहानी है। श्रीमती अरुणा आसफ अली की उस समय उन्होंने किस तरह से मदद की, यह भी एक अलग रोचक कहानी है जो इस समय नहीं, बाद में किसी वक्त लोगों के सामन आयगी। ऐसे अनेक राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे जिनकी उन्होंने रुपये पैसे से और अपने को हर तरह क खतरे में डाल कर मदद की। कलकत्ते में वे केवल जेल ही नहीं गयी थीं, पुलिस की लाठी से उनके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। यहां वाराणसी में उनके मकान की कोने-कोने की तलाशी लेने पर भी पुलिस कभी भी इस बात का पता न लगा सकी कि वह किस तरह से लोगों को आश्रय देती हैं, और सहायता करती हैं।

भगवान् ने उनको वैधव्य दिया। उनके पति का देहान्त हो गया। इस समय वे असेम्बली की सदस्या तो थीं ही, इसके पहले बार भी रह चुकी थीं और अनेक प्रकार के कामों में बच्चों और स्त्रियों के सम्बन्ध में, समाज कल्याण के सम्बन्ध में, नाना प्रकार के कामों में भाग ले रही थीं। शायद बीसियों ऐसी संस्थाएं थीं जिनसे उनका सम्बन्ध था। उन सब का चर्चा करना बेकार है।

इस सदन के सभी लोग उनसे परिचित थे। उनका स्वभाव, उनकी गम्भीरता, कष्ट में भी हंस करके सब बातों को टाल देना ये ऐसी बातें हैं जो लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेंगी। इधर वर्षों से उनका स्वास्थ्य खराब था। वर्षों से मेरा उनसे और उनके कुटुम्ब से निजी परिचय रहा है। यह उनकी कृपा थी कि मुझ को वे एक प्रकार से अपने घर का आदमी समझती थीं। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, इतना ही कहता हूं कि उनको इस समय और बातों के साथ अनेक प्रकार की कौटुम्बिक बाधाओं को सहन करना पड़ रहा था, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ वे उन बातों को बरदाश्त करती थीं और कभी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया।

इधर कुछ दिनों से उनका रक्तचाप बढ़ गया था। असेम्बली सेशन बन्द होने के बाद उनको एक बार पक्षाघात का आक्रमण हुआ। जब मैं उनको देखने गया था तो ऐसी आशा हुई कि शायद संभल जायं। वह लखनऊ आने की उम्मीद कर रही थीं। मुझको जो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कभी-कभी गाउट की तकलीफ हो जाती है इसका उन्हें ध्यान था और मेरे लिये वे विशेष दवाओं को बनवा रही थीं और उनको यह भरोसा था कि वे स्वयं यहां आ जायंगी और मुझे वे दवाएँ सेवन करने के लिये दे सकेंगी। दैव को कुछ और मंजूर था। ७ तारीख की रात में फिर रोग का आक्रमण हुआ और ८ तारीख को सबेरे उनका शरीर छूट गया। उनके लड़के, लड़कियां हैं, बहुएं हैं। मैं और क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि उन सब लोगों को, जिनका कि श्रीमती सज्जनदेवी से परिचय रहा होगा सार्वजनिक कामों के सिलसिले में या निजी तरीके पर, उनके उठ जाने से बहुत दुख होगा। मैं जानता हूं कि सभी माननीय सदस्य दुखी होंगे। मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि आप हम लोगों के दुख और हमारी समवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा दें। मेरा ऐसा विश्वास है कि वह उन लोगों में थीं जिनके सत्कर्म ही इस बात के प्रमाण हैं कि शरीर छूटने के बाद उनकी आत्मा को निश्चय ही उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, काल की गति निराली होती है। स्वर्गीया बहिन सज्जनदेवी को जानने का मुझे भी पिछले १३, १४ वर्षों से बहुत निकट का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे प्रदेश में विशेषकर स्त्रियों में समाज सेविकाओं की कमी है। सज्जनदेवी जी उन इनीगिनी समाज सेविकाओं में से थीं, जिनके लिये कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है। उनके सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय वह कम है। यह सही था कि कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब था किन्तु ऐसा अनुमान शायद किसी को न रहा हो कि वे इतनी जल्द हमारे बीच से चली जायेंगी। माननीय नेता सदन ने जो विचार उनके सम्बन्ध में प्रकट किये हैं उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं और मान्यवर से यह निवेदन है कि उनके न रहने से इस सदन के जितने भी सदस्य हैं उन्हें जो शोक हुआ है उसे उनके परिवार वालों के पास पहुंचाने की कृपा करें। हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते कि सज्जन देवी ऐसी स्त्रियां हमारे समाज में और हों और जो रास्ता वह दिखा गयी हैं बहनों को भी और भाइयों को भी उस पर हम चल सकें, यही प्रार्थना मेरी ईश्वर से है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी उन दुखी लोगों में से हूं जिन्हें स्वर्गीया सज्जनदेवी से २० वर्ष से भी अधिक समय से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त था। माननीय सदन के नेता ने उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहा है यह मैं जानता हूं कि वह सही है और सच बात यह है कि वे "यथा नाम तथा गुण" थीं। जैसा नाम उनका था वैसी ही वे सर्वथा सज्जन थीं। वे एक पुरानी और प्रतिष्ठित जनसेविका थीं। स्वाधीनता संग्राम की सेनानायिका थीं। मुझे तो सितम्बर, अक्तूबर से ही ऐसा लगता था कि अब उनको अपनी सेवाओं और अपनी योग्यता के अनुकूल काम करने का और भी अवसर मिलेगा तब उनके निधन के समाचार को सुनकर और भी हार्दिक दुख हुआ। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी हार्दिक समवेदना उनके परिवार को पहुंचा दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय नेता सदन ने श्रीमती सज्जनदेवी की असामयिक मृत्यु के सम्बन्ध में अपने उद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे पूर्ण सहमत हूं। मेरा भी निजी ढंग से श्रीमती सज्जनदेवी जी से और उनके परिवार के लोगों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और एक साथ काम करने का मौका भी मिला है। जेल में भी सज्जनदेवी जी के पुत्र और उनके पति हमारे साथ रहे हैं। जेल से बाहर आने पर भी बहुत समय तक हम लोग एक साथ काम करते रहे हैं। जिस समय सज्जन देवी जी की मृत्यु का समाचार हमको प्राप्त हुआ उस समय हमें महान् दुख हुआ था।

यह बात भी सही है कि बहुत सी कौटुम्बिक बाधा और कठिनाई वे छोड़ गई हैं। पता नहीं है कि उनका समाधान कैसे होगा। हमारा सज्जनदेवी जी के साथ जब राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद हुआ तब भी हर अवसर पर हमने देखा है कि सज्जनदेवी जी ने हमेशा अपने

नाम को सत्य सिद्ध किया है । हम इस अवसर पर अधिक न कहकर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक सहानुभूति और समवेदना प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी हार्दिक समवेदना और सहानुभूति उनके परिवार के पास पहुंचाने की कृपा करें ।

राजा यादवेंद्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सज्जनदेवी जी महनोत के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन ने तथा अन्यान्य नेताओं के प्रकट किये ह में उनसे अपने को पूर्ण सम्बद्ध करता हूं और जनसंघ पार्टी की ओर से भी सम्बद्ध करता हूं । इस बात का दुख अवश्य होता है कि जो लोग नारी जगत् में जागृति उत्पन्न करने में अग्रणी हुये हैं वे आज हमारे बीच से धीरे-धीरे उठते चले जा रहे हैं । तो ऐसी घटना पर और विशेषकर ऐसी दुखद घटना पर हार्दिक कष्ट जरूर होता है । इसलिये श्रीमन्, श्रीमती सज्जन देवी जी के निधन पर मैं अपनी ओर से और जनसंघ की ओर से, जो हमको हार्दिक कष्ट है, समवेदना और दुख है उसको उनके दुखित परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, माननीया सज्जनदेवी महनोत एक क्रांतिकारी महिला थीं । वह गम्भीर और शांत स्वभाव की थीं । पिछले सात वर्षों से मुझे इस सदन में उनको देखने और समझने का अवसर प्राप्त रहा है । मेरे हृदय पर उनकी गम्भीर और शांत मूर्ति की गहरी छाप सर्वथा रही है । जब उनकी छोटी उम्र थी, जब वह एक प्रकार से नवयुवती थीं, उस समय कलकत्ता की सड़कों पर अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने उनको एक मील तक घसीटा था और पुलिस की लाठी चार्ज से उनकी कलाई टूटी थी । उतनी बड़ी घटना के बाद भी उस छोटी उमर में उन्होंने देश भक्ति के मार्ग से अपना मुंह नहीं मोड़ा बल्कि आगे बढ़ीं । अगस्त, १९४२ की क्रांति में देश भक्ति का महान् परिचय उन्होंने दिया । उस अगस्त क्रान्ति के अवसर पर देश के कोने-कोने से जिन हजारों नवयुवकों ने उस क्रान्ति के पथ पर अग्रसर हो भाग लिया उनमें हमारे प्रदेश में एक प्रमुख महिला श्रीमती सज्जनदेवी जी भी थीं । इस अवसर पर जो विचार माननीय नेता सदन ने प्रकट किये हैं उससे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना और सहानुभूति उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें कि हम उस परिवार के इस महान् दुख में अपनी समवेदना का भाव प्रकट करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---देवी सज्जनदेवी के निधन पर जिन शब्दों में नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपनी सहानुभूति और समवेदना व्यक्त की है उसके साथ में भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मेरा प्रत्यक्ष उनका परिचय सन् १९४६ के बाद ही हुआ और इस अवसर में उन्होंने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में असेम्बली में रहते हुए, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी, जो कार्य किये हैं उनसे मैं भली-भांति परिचित होता ही गया हूं क्योंकि मेरे घर में भी स्त्रियां उनके साथ मिल कर काम करती रही थीं और उनसे प्रेरणा पाती रही हैं । मैं हर दम घर में यही सुना करता था कि अगर स्त्रियों में यथानाम तथा गुण कहीं है तो वह सज्जनदेवी में है । बड़ी सज्जन हैं । बड़ी चरित्रवान् हैं । सती हैं । जब उनके पति बीमार रहते थे उस समय भी जिस प्रकार से वह पति की सेवा करती रहीं सब काम करते हुए भी, वह एक ऐसा आदर्श है, जो कि हमारे भारतवर्ष की स्त्रियों का सर्वोच्च आदर्श समझा जाता है और वह उनमें दिखायी देता था । इसलिये मैं उनको देवी सज्जनदेवी कहता हूं और ऐसी श्रद्धास्पद् कार्यकर्त्री हमारे बीच में से असामयिक, काल के वश हो कर, चली जाय उससे हम सभी को दुख होना स्वाभाविक ही है । मुझे कई बातें, जो अभी नेता सदन ने बतायीं, पहली बार मालूम हुईं । उनको जानने के बाद मेरी उनके प्रति श्रद्धा और भी द्विगुणित हो गयी और मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि यह बातें मैंने पहले क्यों नहीं जानीं ताकि उनके द्वारा प्रेरणा कुछ अधिक प्राप्त कर सकता और उससे हमारे साथी या अन्य स्त्रियां लाभ उठा सकतीं । मैं सब के

[श्री अध्यक्ष]

साथ इस समय पर अपनी और इस सदन की समवेदना उनके कुटुम्ब के प्रति भेज दूंगा और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनका चरित्र हम सब के लिये, चाहे पुरुष हों अथवा स्त्रियां, पथ-प्रदर्शक हो और हम सबको प्रेरणा देता रहे।

अब दो मिनट के लिये उनकी आत्मा की शान्ति के लिये हम सब मौन होकर प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

यू० पी० पंचायतराज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० पंचायतराज रूल्स में पंचायतराज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ५२२९-प/३३---७०२-५५, दिनांक ३ नवम्बर, १९५८ एवं संख्या ४३२३-पी/३३---२२९-५७, दिनांक १५ दिसम्बर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पूर्व परम्पराओं के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव पहले आने चाहिये थे। मेज पर विज्ञप्तियों को रखना, यह तो एक साधारण-सा विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि यह परिवर्तन कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष---इस आदरणीय सदन की जो नयी प्रक्रिया नियमावली बनी है उसके अनुसार ही यह कार्यक्रम रखा गया है। आप कृपा करके नियम ३१९ देखें उसमें विभिन्न वर्गों के कार्यों को इस क्रम में दिया गया है---(१) शपथ अथवा प्रतिज्ञान, (२) प्रश्न, (३) निधन के निर्देश, (४) मेज पर रखे जाने वाले प्रश्न, (५) राज्यपाल से संदेशों की संसूचना इत्यादि। नियम में यह कार्य-क्रम बहुत ब्योरे से दिया हुआ है और उसी के अनुसार यह रखा गया है। इसमें अगर कहीं पर अर्थ समझने में कोई गल्ती होकर क्रम गलत हो गया हो तो मेरे दफ्तर में आप बतलायें और आगे चलकर क्रम में परिवर्तन हो सकता है लेकिन आज तो यही क्रम रहेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह लागू कब से हुआ ?

श्री अध्यक्ष---जबसे पास हुआ। ११ दिसम्बर, १९५८ इसमें लिखा हुआ है।

श्री राजनारायण---मेरी अनुपस्थिति में हुआ है।

श्री अध्यक्ष---आपकी अनुपस्थिति में कोई चीज पास न हो यह पहले कृपया नियम बना दीजिये तो अच्छा होगा।

उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण नियमावली††, १९५९

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण नियमावली, १९५९ को उत्तर प्रदेश-भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन †

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी नियमावली, १९५४ में राजस्व विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या ५४४१—सी०एच०/१-ए, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८ के साथ पठित उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७०५—ए०जेड०/१—अ, दिनांक २० जून, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०बी० आर० ए० एम०—१७—५००३ टी०एम०/३०—३३२५—टी—५७, दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १५ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ दिसम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का ४०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १५ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ दिसम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का ४१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ नवम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ दिसम्बर, १९५८ को, प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४२ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ दिसम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४३वां अधिनियम बन गया।

---

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ दिसम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २५ दिसम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ४५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ नवम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १४ जनवरी, १९५९ को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक, १९५७

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ दिसम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ जनवरी, १९५९ को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—सदस्यों की गिरफ्तारियों के संबंध में सूचना मुझे मिली है। मेरे पास एक तार माननीय गेंदासिंह की गिरफ्तारी के सिलसिले में आया है। वह इस प्रकार है--

"Sri Genda Singh arrested by S. O. Taraya Sujan, under section 47/342 I. P. C. on February 6, 1959. Confined in District Jail Deoria. Remanded for ten days."

श्री गेंदासिंह को दफा ४७/३४२ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है तथा डिस्ट्रिक्ट जेल देवरिया में कनफाइन कर लिया गया है। इसमें १० दिन का रिमान्ड लागू हुआ है।

दूसरा तार श्री रामायणराय जी के बारे में है। वह इस प्रकार है--

"Sri Ramayan Rai Member Legislative Assembly arrested, details follow."

अभी तक मेरे पास उसका कोई ब्योरा तो नहीं आया है लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं यह सूचना सदन को देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—किस तारीख को गिरफ्तार हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तार भी ६ तारीख का ही है।

श्री राजनारायण—इसमें कोई दफा नहीं दी गयी है। मेरा ख्याल है लीगल्ली ही उनको गिरफ्तार किया गया होगा।

श्री अध्यक्ष—जो नये नियम बने हैं उसके शिड्यूल में दिया हुआ है कि इसकी इत्तला किस प्रकार से आयेगी। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री इस अनुसूची को सब जगह भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और उसके अनुसार सूचना आ जाया करेगी। तार के आने के बाद जो ब्योरा आये वह अनुसूची के अनुसार आना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री या गृह मंत्री जी के पास अगर इसकी सूचना आ गयी हो कि उनको किस धारा में गिरफ्तार किया गया है तो वे उसको सदन को दे दें।

श्री अध्यक्ष—यदि गृह मंत्री जी को यह मालूम हो कि माननीय रामायणराय जी किस धारा में गिरफ्तार हुए हैं, तो वे बता दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, इस समय सूचना नहीं है। बाद में दे देंगे।

सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के विषय में सचिव की रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष—अब सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के संबंध में सचिव की रिपोर्ट पर विचार होना है। रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है लेकिन उस समय जिन सदस्यों के संबंध में यह रिपोर्ट थी उनमें से शायद ही एक दो मौजूद थे। मैंने उस वक्त यह कहा था कि आज सब सदस्यों को इसकी सूचना भेज दी जाय। वह सूचना मिलने पर इस विषय में फैसला बाद में दूंगा कि इसको मैं इन-आर्डर मानता हूं या नहीं। पुराने नियमों के अनुसार मैंने सचिव को रिपोर्ट पढ़ने की अनुमति दे दी थी। उस वक्त यह नये नियम लागू नहीं थे। पहले नियमों के अनुसार ही उनको पढ़ दिया गया था। अब फिर से उनको पढ़ने के लिये कहूंगा। (कुछ ठहर कर) क्योंकि आज के कार्य-क्रम में एपेंडिक्स में यह दी हुई है इसलिये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह प्रोसीडिंग्स में मौजूद है। अब किसी को इस विषय में कोई वैधानिक प्रश्न उठाना हो तो वह उठा सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, माननीय सचिव के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, मैं उस संबंध में अपनी और अपने सभी साथियों की तरफ से . . .

श्री अध्यक्ष—आप केवल वैधानिक दृष्टि से ही कुछ कहें।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मान्यवर ने क्या आज्ञा दी थी, इस सदन के बाहर उनको निकाल दिया जाय या यह कि सचिवालय के पूरे भवन के बाहर उनको निकाल बाहर किया जाय?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न कबूल अज वक्त है। सिर्फ एक प्रश्न यहां है कि यह रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है, इस रिपोर्ट के हिसाब से अब मुझे यह नियमानुसार निश्चय करना है कि यह रिपोर्ट वैध है कि नहीं। यह वैध है, मैं फैसला यह देता हूं तो प्रश्न कमेटी के सामने जायेगा, प्रीविलेज कमेटी के सामने और अगर सदन नये नियम के अनुसार चाहे तो एक दम से इस रिपोर्ट पर विचार करना प्रारम्भ कर सकता है। नये नियम में यही दिया हुआ है कि तत्काल भी सदन विचार करना शुरू कर सकता है कि और रिपोर्ट को प्रीविलेज कमेटी में भेजना आवश्यक नहीं है। पहले के नियम में यह है—

"When the Secretary has to make a report complaining a breach of privilege, the Speaker shall, if he gives his consent, acquaint the House of it.

[श्री अध्यक्ष]

The Secretary shall then read his report to the House. The House may take the report into consideration atonce or at some future time within which the report may be printed and supplied to members."

अब अगर मैं यह फैसला करूं कि यह इन-आर्डर है तो या तो इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दूं या अगर मैं यह निर्णय करता हूं कि इसको कंसिडरेशन में अभी ले लिया जाय और जब यह सदन के विचार में ले ली जाय तो सदन जो कुछ चाहे करे। सदन उसको फिर स्वयं प्रीविलेज कमेटी में वाकयात जानने के लिये भेज सकता है। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि जब एक दफा रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है तो इसके पहले कि मैं फैसला दूं कि यह वैध है या नहीं है, आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

एक सदस्य—मेरा यह वैधानिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, उनका भी वैधानिक प्रश्न ही सामने है। तो माननीय नेता विरोधी दल को कोई वैधानिक आपत्ति हो तो आप कहें ।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, मेरी दिक्कत यह है कि इसमें इल्जाम है कि अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन किया, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा क्या थी, निश्चित तौर पर यदि मैं उसको जान जाता तो बड़ा अच्छा होता। मैंने कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी है, मैं तो केवल जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—शायद आप उस वक्त मौजूद नहीं थे।

श्री त्रिलोकीसिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि श्री राजनारायण जी को माननीय नेता सदन के प्रस्ताव पर निलम्बित कर दिया गया था। निलम्बित करने के बाद भी जब वे सदन से नहीं हटे तो मार्शल ने उनसे प्रार्थना की' फिर भी वे नहीं हटे। उसके बाद मैंने उनको सदन से हटाने में कोई गड़बड़ी न हो इस हेतु से कुछ देर के लिये सदन को ऐडजर्न कर दिया। उसके बाद जो कार्यवाही हुई उनको हटाने में शक्ति का उपयोग करना पड़ा, वह तो इस रिपोर्ट में मौजूद है। जो सदन के सामने घटनायें हुईं वे भी इसमें दी हुई हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर ही विचार किया जा सकता है। तो कोई आपकी वैधानिक आपत्ति तो है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपके सामने प्रक्रिया नियमावली के नियम ७१ को पढ़ देता हूं—

"Whenever a question of breach of privilege has been raised on the report of the Secretary or by a petition as given under rules 64(ii), or 64(iii), the Speaker may, if he gives consent thereto, refer the matter to the Committee on Privileges and acquaint the House thereof or he may, after reading the complaint and hearing any member decide whether the complaint is in order and if it is held to be so, may refer the matter to the Committee on Privileges."

तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आर्डर में नहीं है। इसमें जो हवाला पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १२७ का दिया गया है जिसमें यह दिया गया "रेजिस्टिंग दी सार्जेंट एट आर्म्स या आब्सट्रक्टिंग दी सार्जेन्ट एट आर्म्स" तो इस मामले में न रेजिस्टिंग थी और न आब्स्ट्रक्शन था। "रेजिस्टिंग" के मानी हैं कि किसी का कार्य करने में विरोध किया जाय और "आब्स्ट्रक्शन" के मानी हैं कि किसी के कार्य करने में अवरोध पैदा किया जाय। जो कुछ भी घटना हुई है उस घटना में न रेजिस्टिंग थी और न आब्स्ट्रक्शन था। यह जरूर माना जा सकता है कि उस घटना के अन्तर्गत सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजनारायण जी के लिये कुछ आर्डर्स

दिये गये थे और उस आर्डर को कार्यान्वित करने के लिये किसी अधिकारी ने कुछ किया था। किन्तु उस पार्टी के अन्य सदस्यों का भी कुछ कर्त्तव्य था और उस कर्त्तव्य में उन्होंने अपने नेता का साथ दिया। इस साथ देने में किसी प्रकार की रेजिस्टेंस नहीं की, न आब्स्ट्रक्शन किया।

मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि रेसिस्टेंस में उसे कहूंगा जब हम उनके किसी आर्डर को मानने में अवहेलना करें। हम यहां से निकाले जाने के बाद लौट कर नहीं आये। और निकाले जाने के पहले हमने उनका मार्ग नहीं रोका। हाँ, यह अवश्य किया कि जो कुछ अन्याय हो रहा था उसे हम अकेले सहन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी थी।

श्री अध्यक्ष---आप तो वाकयात के ब्योरे में जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं ब्योरे में जाना नहीं चाहता। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह आब्स्ट्रेक्शन था ही नहीं या रेसिस्टेंस था ही नहीं। पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १२७ के अन्तर्गत जिस रूप में इसे कोट किया गया है यह उसके अन्तर्गत आता है ही नहीं। इस तरह से यह इन आर्डर है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---जिस समय कंसिडरेशन का सवाल हाउस के सामने आये और हाउस इस पर कंसिडर करने लगे तब आप कहें कि यह आबस्ट्रक्शन था या नहीं। आप उपस्थित प्रश्न के इन आर्डर के विषय में नहीं कह रहे हैं। आप तो वाकयात बयान कर रहे हैं।

श्री मोती लाल अवस्थी---जिस प्रकार लिखा है "एनी मेम्बर कैन हीयर" तो एनी मेम्बर इस रूप में भी अपनी बात कह सकता है।

श्री अध्यक्ष---कह सकता है इसका यह मतलब नहीं है कि फैक्ट्स के ऊपर सब बातें कहने लगे और वैधता के विषय में कुछ न कहे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उसी विषय में कह रहा हूं। जब तक हाउस यह न समझ ले लेकिन हमने कोई आब्स्ट्रक्शन किया या नहीं और रेजिस्टेंस किया या नहीं तब तक यह लागू होता ही नहीं। ये दोनों ही शब्द "रेजिस्टेंस" और "आब्स्ट्रेक्शन" इंडिपेंडेंट हैं जिनके मानी अलग-अलग रूप में हैं। आप यह देखें कि जो कुछ भी काम हुआ उसमें न रेजिस्टेंस था और न आब्स्ट्रेक्शन ही था....

श्री अध्यक्ष---जब हाउस इस विषय पर विचार करने लगे तब यह आप कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते। आप तो बहस कर रहे हैं पूरे विषय पर। आप केवल यह कहिये कि जो प्रश्न उठाया गया है वह वैधानिक है या नहीं। यदि इतनी बात आपने कह दी तो बात खत्म, लेकिन आप उस पर बहस करना चाहते हैं, वह आप बाद में करियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मूल बात यह है कि यह इन आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह आपने कह दिया, बस ठीक है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मुझे यह आपत्ति है, श्रीमन्, कि नियमों के अनुसार यह जो रिपोर्ट इन आर्डर करार देनी चाहिये, ऐसी यह रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि इसमें एक से अधिक विषय रख दिये गये हैं जबकि विशेषाधिकार प्रस्ताव में एक विषय होता है। इसमें बहुत से सदस्यों पर एक साथ आरोप लगाये गये और राजनारायण जी पर अलग आरोप है, बाकी औरों पर और आरोप हैं। तो यह अलग-अलग रिपोर्टों में होना चाहिये। और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसमें बहुत से बातों को मिला दिया गया है, पुलिस भी है, सारजेन्ट एट आर्म्स भी है। तो बहुत से विषयों को एक साथ जोड़ दिया गया है जो विशेषाधिकार के नियम के अनुसार उचित नहीं है।

दूसरा एतराज यह है कि सेक्रेटरी द्वारा की गई है। सारजेन्ट एट आर्म्स के द्वारा नहीं की गई है। जो रिपोर्ट है उसके पढ़ने से पता चलता है कि सेक्रेटरी महोदय को खुद अपने प्रति कोई शिकायत नहीं है, यानी सेक्रेटरी का काम आबस्ट्रक्ट नहीं किया गया बल्कि सारजेन्ट एट आर्म्स का किया गया। तो नियम के अनुसार सारजेन्ट एट आर्म्स को स्पीकर को पेटीशन देनी चाहिये थी और वह पेटीशन भी यहां हमारे सामने आनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—आप नियम ६४ पढ़ें जो इस प्रकार हैं :—

"६४—किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से—

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,
(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,
(३) याचिका द्वारा, अथवा
(४) समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा सदन की सूचना में लाया जा सकेगा:

इसको ध्यान में रखते हुये आप भाषण करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (पंद्रहवां एडीशन) के पेज १४९ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं:

"When the Serjeant at Arms has a communication to make to the House of Commons the regular course is for the Speaker to acquaint the House that the Serjeant has a communication to make to the House; whereupon the Serjeant comes to the bar and makes his communication to the House."*

तो यहां सारजेंट ऐट आर्म्स ने आपसे कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं की। तो यह तरीका यहां पर एडाप्ट नहीं किया गया इसलिये यह रिपोर्ट इर्रेगुलर है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी का जोरदार समर्थन इस सदन में सुनता रहा हूं। उसके बाद आज का भाषण सुनने से मुझे अनुमान हो सका कि वह आपत्ति जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया कितनी कमजोर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तीन आपत्तियां उठाई गईं यह बिलकुल निराधार हैं। मैं यह भी कह दूं कि यह रिपोर्ट वैध है।

एक बात तो यह कही गई कि इसमें कई आपत्तियों को एक साथ मिला दिया गया इसलिये यह अवैध है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि लीगल जूरिस्प्रूडेंस का यह सिद्धांत है कि मल्टी प्लीसिटी आफ प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिये। माननीय तिवारी जी ने जो आपत्ति उठायी है इससे मल्टीप्लीसिटी आफ प्रोसीडिंग्स होती है यह इसलिये वैध नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह सेक्रेटरी द्वारा उठायी गई जिसके लिये नियम ६४ मौजूद हैं।

तीसरी बात यह है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का उद्धरण माननीय तिवारी जी ने सुनाया। मेरा कहना इस सम्बन्ध में यह है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में जो चीज है वह हमारे लिये प्रकाश दे सकती जब कि हमारे नियमों में कोई निश्चित व्यवस्था किसी कार्य के लिये न हो। लेकिन जब हमारे नियमों में एक निश्चित व्यवस्था है तब जो उद्धरण अभी दिया गया उसका कोई मूल्य नहीं है। इस कारण से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि यह वैध है और मैं श्रीमन् से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र यह विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द की जाय, इसलिये कि इस घटना से श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस शुरू कर रहे हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---वैध है श्रीमन्, यह मैंने कहा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जहां तक श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव जी ने सदन के अवमान के संबंध में रिपोर्ट पेश की है, मैं उसकी वैधानिकता और अवैधानिकता में जाना पसन्द नहीं करता । मैं चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष---तो फिर आप सदन का इस वक्त समय न लें, बाद में ले लें ।

श्री राजनारायण---जो बात छिपी है उसी को निवेदन कर रहा था । मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था और आपने उस समय कहा था कि हमारा विशेषाधिकार का जो प्रश्न है वह भी इसी में जुड़ जायेगा । यह शायद श्री देवकीनन्दन मित्थल उठाते या न उठाते मगर मैं स्वतः आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये और जो इसकी कापी आपको दी थी मैं समझता था कि वह भी इसके साथ संलग्न रहेगी, मगर वह कापी इसके साथ संलग्न नहीं है । हमने मूल प्रति अपने कार्यालय से मंगाई है । तो मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो भी साधु सम्मति हो उसके अनुसार आप काम करें । मगर जितनी अवैधानिक और जालिमाना हरकतें हुई हैं पुलिस विभाग की ओर से और आपके जो अन्य सचिवालय के कर्मचारी हैं, मैं स्वतः आपसे कहना चाहता हूं कि चकिया, चन्दौली का निर्वाचन न रहता तो अब तक मामला हाईकोर्ट चला गया होता और जाऊंगा इस मामले को लेकर । तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारा जो प्रश्न विशेषाधिकार का है, वह भी पढ़ दें । आप चाहें उसको वहां भेजें, चाहें यहां लें । मगर सदन की मर्यादा से, इस सदन में जितना कोई भी संबंधित है मैं अपने को उससे कम नहीं समझता । हम चाहते हैं कि सदन की मर्यादा की सुरक्षा हो, सदन के सम्मानित सदस्यों की मर्यादा की सुरक्षा हो, प्रत्येक कर्मचारी की मर्यादा की सुरक्षा हो । इसलिये आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हमें ब्योरे में जाना चाहिये कि किस किस मौके पर क्या क्या ज्यादतियां की गई हैं और किस-किस अधिकारी द्वारा, सबको विस्तार से सोचना चाहिए । मैं आपको बताऊं की लोक सभा के अध्यक्ष से हमारी दो घंटे बात हुई । यह मामला हो सकता है कि पार्लियामेन्ट में फिर से उठे । इसलिये मैं चाहता हूं कि ब्योरे में जाकर जितनी दूर जा सकें, न्यायहित में जायं ।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कहा था कि वैधानिकता के संबंध में कोई आक्षेप हो तो कर सकते हैं । राजनारायण जी ने बिल्कुल नया सवाल उठाया । जहां तक उनका विशेषाधिकार का प्रश्न था, पहली दिसम्बर को यह प्रश्न उठाया गया था । मैंने उस रोज भी कहा था जो घटनायें ज्यादती वगैरह के बारे में उन्होंने बताई है उन पर जिस वक्त विशेषाधिकार का प्रश्न समिति के सामने चला जायेगा उस वक्त वे ज्यादती वगैरह हुई कि नहीं, इसके बारे में शहादत दी जा सकेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्वाइंट आफ आर्डर .....

श्री अध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तब कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता । आप कृपा करके बैठ जायं, मैं फैसला दे रहा हूं । तो बात यह है कि जब उस वक्त यह प्रश्न उठाया गया था तो मैंने कहा था कि इस बारे में जो ज्यादतियां वगैरह का प्रश्न है वह तो बाद की बात है । पहले तो यह प्रश्न सामने है कि कोई सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना सदस्यों द्वारा आब्स्ट्रक्शन करने से हुई कि नहीं । अगर ऐसी अवहेलना हुई और उस प्रश्न को जांच होने लगे तो उस समय आब्स्ट्रक्शन हटाने में उसमें जो शक्ति का उपयोग किया गया

[श्री अध्यक्ष]

वह अधिक हुआ या ज्यादती हुई, इस पर शहादत होगी पर वह पृथक प्रश्न होगा। लेकिन वह प्रश्न स्वयं मूल में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता है। विशेषाधिकार का जो प्रश्न हो सकता है वह यह है कि सदन ने कोई आज्ञा दी, या अध्यक्ष ने आज्ञा दी और उसकी अवहेलना की गई जिस पर कि यह उसके ऊपर रिपोर्ट की गई है। अब यह रिपोर्ट वैधानिक है या नहीं, इस बारे में अभी विचार चल रहा है तो उस संबंध में एक तो आक्षेप यह उठाया गया है कि रिपोर्ट की घटनाओं द्वारा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हुआ। तो रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ या विशेषाधिकार की अवहेलना के दायरे के अन्दर उक्त सदस्यों का कार्य आता है कि नहीं आता। इस वैधानिक प्रश्न पर विचार करते हुये केवल प्रागदर्शन में ही हमको विचार करना है, फिर जिस वक्त समिति के सामने यह प्रश्न विचारार्थ जायगा वहां पर उस पर ब्योरे से बहस होगी और समिति की राय, अवहेलना हुई है या नहीं हुई है इस विषय पर सदन के सामने आयेगी और तब सदन उस पर सूक्ष्म और गहरी दृष्टि से देखकर तय करेगा कि वाकई अवहेलना हुई है या नहीं हुई है और अपना अंतिम फैसला देगा। जहां तक अवस्थी जी का आक्षेप है वह तो सदन के अंतिम निश्चय का प्रश्न है और वे समिति की रिपोर्ट के बाद उठा सकेंगे। अब सचिव की रिपोर्ट में जो कथन है उसको अगर सही मान लिया जाय तो स्पष्ट दिखलाई देता है कि प्राइमाफेसी या प्रागदर्शन में रेजिसटेंस हुई, उसी को सही मानकर चलना उचित है, फिर विशेषाधिकार समिति में जब उस पर विचार होगा तब शहादत में अन्य बातें सामने आवेंगी जिन पर विचार होगा। उस वक्त अगर सचिव की रिपोर्ट की बातें सही नहीं पायी जावेंगी तो मामला गिर जायगा। इस समय कोई उचित वैधानिक आपत्ति अवस्थी जी ने नहीं की है।

दूसरी वैधानिक आपत्ति श्री नारायणदत्त तिवारी ने उठाई है कि सार्जेन्ट एट आर्म्स या मार्शल की रिपोर्ट या शिकायत इस घटना में होनी चाहिये। मार्शल की रिपोर्ट इस संबंध में है लेकिन नियम में दिया हुआ है कि अगर मार्शल की रिपोर्ट भी अध्यक्ष या सचिव के पास आये तो भी सचिव की रिपोर्ट द्वारा ही यहां सदन में कार्यवाही होगी। नियम ६४ में स्पष्ट दिया हुआ है कि या तो कोई मेम्बर शिकायत करे या सचिव रिपोर्ट करे, अब सचिव रिपोर्ट किस आधार पर करे? यह स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में वह मार्शल की शिकायत के आधार पर ही करेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही सचिव ने अपनी रिपोर्ट उपस्थित की है जो नियम के अनुसार है। यह हमारी नियमावली के अनुसार सही है।

श्री राजनारायण---सचिव की रिपोर्ट किस तारीख को आई?

श्री अध्यक्ष---८ सितम्बर की वह रिपोर्ट है। सचिव का जो प्रतिवेदन है उस पर अध्यक्ष विचार कर सकता है कि वह वैध है या नहीं। अगर वह वैध करार देता है तो कमेटी के सुपुर्द कर सकता है अथवा यह भी कह सकता है कि नये नियमों के हिसाब से उस पर सदन में तत्काल विचार हो जाय।

मेज पार्लियामेंटरी पद्धति के बारे में जो कहा गया उसके अनुसार भी जो तरीका अपनाया गया है वह सही है, क्योंकि सार्जेन्ट ऐट आर्म्स द्वारा ब्रिटेन में रिपोर्ट होती है और यहां पर भी अध्यक्ष या सचिव के पास मार्शल की रिपोर्ट या पेटीशन आ चुकी है, तो वह अपनी शिकायत दे चुके और उसके बाद यह मामला सदन के सामने सचिव की रिपोर्ट के द्वारा आया है। इसलिये हमारे नियमों और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस दोनों की ही दृष्टि से इसको लाने में सही प्रकिया अपनाई गई है। मैं समझता हूं कि यह वैद्य है और मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं। वहां पर घटना आदि के संबंध में जितनी बातें हैं वह माननीय सदस्य उपस्थित कर सकते हैं और अगर वहां समिति के सामने मालूम हो कि किसी दूसरे ने भी अवहेलना की है तो वह चीज भी समिति के सामने आ सकती है.....

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखा जाय कि दो प्रकार के काउन्टर चार्जेज यहां किये गये हैं। आप की रूलिंग के अनुसार वह समिति एक ही बात को देख सकती है और दोनों को नहीं देख सकती...

श्री अध्यक्ष---मैंने दूसरे विशेषाधिकार के प्रश्न को माना ही नहीं है, मैंने उस चीज को प्राइमाफेसी प्रश्न विशेषाधिकार का नहीं माना है लेकिन जब गवाहियां या शहादतें होंगी, उनमें अगर कोई ऐसा मामला होगा या समिति के सामन आयेगा तो समिति को अधिकार है कि वह कह सकती है कि इस में कोई अन्य अवहेलना भी हुई है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, एक निवेदन करूंगा .....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आप ने कहा था कि जब यह आयेगा, इस पर कोई पहली कलिंग नहीं है कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता .....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप बैठ जायं, अब मैं सदन के सामने कामरोको प्रस्ताव रखूंगा ।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय पर आप की आज्ञा चाहता था, आप कहेंगे तो हम बैठ जायेगें लेकिन भविष्य में, सदन का समय हमारे द्वारा नष्ट न हो इसलिये मैं आपकी सम्मति चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---काहे के लिये ?

श्री राजनारायण---एक विषय पर आपकी आज्ञा चाहता था भविष्य के लिये, ताकि सदन का समय हमारे द्वारा नष्ट न हो । जैसा कि आपने कहा, हमारे मन में, मस्तिष्क में एक शंका उत्पन्न हो गयी है और मैं बुद्धि विभ्रम-जन्य भ्रान्ति में विचरण नहीं करना चाहता । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर सचिव ने यह प्रतिवेदन न किया होता तो सचिव के प्रतिवेदन के अभाव में अगर किसी कार्यवाही के संबंध में किसी अधिकारी ने गृहमंत्री, केन्द्र, या लोक सभा के अध्यक्ष के पास कोई गलत सूचना दी हो तो उसके संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है या नहीं ? इसके संबंध में आपकी साधु सम्मति जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---शर्तिया चीज के ऊपर तो मैं अपना मत नहीं दूंगा । उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि किसने रिपोर्ट दी और क्या दी । उसके ऊपर शर्तिया या अन्दाज लगाकर अपना मत दे दूं तो यह उचित नहीं हो सकता ।

श्री राजनारायण---हमने तो आपको बता दिया था कि पंत जी को यहां के पुलिस अधिकारी न बिलकुल गलत रिपोर्ट दी थी ।

श्री अध्यक्ष---उसके संबंध में आपने न कोई रिपोर्ट लगायी है.....

श्री राजनारायण---वह तो है, आप चाहें तो लगा सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---वह सब समाप्त हो गया ।

श्री राजनारायण---कल आयेगा ।

श्री अध्यक्ष---अब खत्म है ।

अब श्री यादवेन्द्रदत्त जी का काम रोको प्रस्ताव है :

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---नियम ६४ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें दिया हुआ है कि .....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—श्रीमन्, उसमें दिया हुआ है कि शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे। हम लोगों में से किसी की सफाई नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा मंहगाई के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दुबे जी का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है—

"राज्य में खाद्यान्नों का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिस मंहगाई के कारण राज्य की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है और स्थान-स्थान पर गल्ले की दूकानें लूटी जा रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की शान्ति तथा शासन व्यवस्था में गड़बड़ी होने की अवस्था है।

इसलिये इस सदन का मत है कि इस निश्चित और आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य-स्थगित करता है।"

इस प्रस्ताव को मैं वैध करार देता हूं। माननीय यादवेन्द्र दत्त जी अनुमति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इसको वैध किया। स्थिति दिन पर दिन जैसी हो रही है वह समाचार पत्रों के द्वारा सबके सामने है। ऐसे महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय पर हम एक बार पुनः विचार विनियम कर सकें इस दृष्टि से मैं अनुमति चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को मुझे रखने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—कोई आपत्ति तो है नहीं। तो आज शाम को ४ बजे इसको लिया जायगा और ४ से ६ बजे तक बहस चलेगी।

बाकी के प्रस्ताव कल लिये जा सकेंगे चूंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक बैठक में एक ही लिया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या वह कल ले लिये जायंगे या नोटिस देने की आवश्यकता होगी ?

श्री अध्यक्ष—अगर नोटिस आप देंगे तो लिये जायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—फिर से नोटिस देने की क्या जरूरत है ? ऐसा भी कर सकते हैं कि कल अपने आप ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि अगर मैं फैसला दे दूं कि अमुक प्रस्ताव अवैध है, तो वह फिर से नहीं आयेगा। तो जब आज मैंने एक ले लिया है तो बाकी जो होंगे उन पर मैं कल फैसला दूंगा, क्योंकि मैं इन्हें देख नहीं सका नहीं तो उन पर आज ही फैसला दे देता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो पूरा लिखकर देना होगा ?

श्री अध्यक्ष—आप फिर से नोटिस दे दें तो मैं फिर सब को जांच लूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न से संबंधित प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत ३ प्रस्ताव आये हैं ।

तीन में एक मदन पाण्डेय जी का है कि रामपुर नगर की रजा व बुलन्द चीनी मिलों के लगभग ३,५०० मजदूरों नें हड़ताल कर दी है । उक्त मजदूरों की मांग है कि उनकी मांगों को पंच-निर्णायक के सुपुर्द कर दी जाय जिससे मजदूरों के साथ न्याय हो ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, सबसे पहला शायद मेरा है ।

श्री अध्यक्ष---आप जरा ठहर जाइये । अगर ३-४ प्रार्थना-पत्र इस तरह के आयें तो उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण होगा उसकी मैं इजाजत दूंगा ।

दूसरा श्री नारायणदत्त तिवारी जी का है कि प्रदेश भर में गेहूं, मोटे अनाज, दाल आदि की कीमतों का अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाना (उदाहरणार्थ लखनऊ में सवा सेर का गेहूं बिक रहा है), तथा चावलों की खरीद संबंधी सरकारी योजना से किसानों को निजी इस्तेमाल के लिये भी चावल कूटने में भारी कठिनाइयों का सामना करना ।

इसी प्रकार के विषय पर एक कामरोको प्रस्ताव मैंने स्वीकार कर लिया है इस वास्ते इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

तीसरा गौरीशंकर राय जी का है कि प्रदेश के हजारों शिक्षकों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५८ को सरकार को दिये गये व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की १९५९ की परीक्षाओं के बहिष्कार किये जाने के नोटिस से प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने की संभावना है जिससे संबंधित विषय पर यह प्रस्ताव है:---

और यह गोविन्दसिंह जी का है . . . . . .

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, मेरा गन्ने के विषय का है ।

श्री अध्यक्ष---यह अभी मेरे सामने आया है । मैं इसको जरा पढ़ लूं फिर फैसला दूंगा ।

"इस आदरणीय सदन ने सर्वसम्मति से कुछ ही काल पूर्व यह निश्चय किया था कि गन्ने का मूल्य बढ़ा कर १ रुपया १२ आने फी मन कर दिया जाय, किन्तु वर्तमान सरकार ने इस आदरणीय सदन की मर्यादा का ध्यान न रखा और कोई ठोस कदम गन्ने के मूल्य को बढ़ाने का नहीं उठाया । इससे गन्ना उत्पादक कृषकों में बेचैनी फैली इत्यादि इत्यादि" । चूंकि इस विषय पर इस सदन में पहिले चर्चा बहुत काफी हो चुकी है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । सिर्फ गौरीशंकर राय जी का मैं समझता हूं कि ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण है और प्रदेश भर से संबंधित भी है । तो इसकी नियम ५२ के अनुसार मैं इजाजत देता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मैं यह समझूं कि मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपको मिला नहीं ?

श्री अध्यक्ष---कार्य-स्थगन प्रस्तावों का विषय तो समाप्त हो गया । नियम ५२ में यह दिया हुआ है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

(१) कोई सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हो ऐसे विषय की उस दिन के उपवेशन के आरम्भ से आध घंटे पूर्व जिस दिन

[श्री अध्यक्ष]

वह विषय उठाना चाहता हो द्विप्रतिक सूचना देगा। सचिव सूचना की एक प्रति संबंधित मंत्री को भेज देगा।

(२) यदि अध्यक्ष उक्त विषय को उठाने के लिये अपनी अनुमति दे दे तो यह कार्य प्रश्नों के उपरान्त और कार्य-सूची प्रारम्भ करने से पूर्व किया जायगा।

(३) मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे या किसी भावी समय या तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे ।

(४) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाय, कोई वाद विवाद नहीं होगा।

(६) एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे।

(६) एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को प्राथमिकता दी जायेगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।"

तो मैंने सब से अविलम्नीय और महत्व का विषय गौरीशंकर राय जी का समझा है। अब मंत्री जी इस विषय में अपना स्पष्टीकरण या वक्तव्य जो भी देना चाहें, अगर वे आज न देना चाहते हों तो मैं इसे दूसरे रोज उठाने की इजाजत दूंगा। क्या मंत्री जी आज इस विषय में वक्तव्य दे सकेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं यह निवेदन करूं कि यह विषय ऐसा है कि जो अभी बजट आ रहा है और बजट का समय बहुत निकट ही है इन तमाम प्रश्नों के ऊपर वाद विवाद हो जायगा। इस समय वक्तव्य देने से विशेष कोई लाभ भी नहीं होगा। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि कोई नोटिस इस प्रकार के माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से सरकार के पास नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस पर आज वक्तव्य दें सकेंगे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है जिसमें लिखा हुआ है कि नोटिस दिया जाय तो वह विषय प्रस्तुत ही नहीं है क्योंकि नोटिस कहां आया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आप आज वक्तव्य देना चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट आ रहा है .....

श्री अध्यक्ष---यह तो आपकी राय है, लेकिन अब नये नियम लागू हैं और उनके अनुसार कार्य संचालन को समझ लेने की अवाश्यकता है। इन नियमों के अनुसार बजट तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। यह काम रोको प्रस्ताव नहीं है। यदि कामरोको प्रस्ताव होता तो मैं यह नियम लागू कर देता कि चूंकि बजट आ रहा है उसमें इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है। लेकिन यह विषय ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पर तात्कालिक वक्तव्य माननीय सदस्य चाहते हैं जो वक्तव्य मंत्री जी देंगे। उसके ऊपर वाद विवाद नहीं होगा। उसके ऊपर सिर्फ स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न सदस्य गण पूछ सकेंगे। अब मैं इस नियम से बाध्य हूं, तो मैंने जब इन आर्डर इसे कह दिया है और मैंने इस विषय को महत्वपूर्ण समझ कर चुन लिया है तो मंत्री जी कृपा करके यह बतला सकते हैं कि किस रोज इसके ऊपर वे वक्तव्य दे सकते हैं और उसमें वक्तव्य तथा प्रश्नोत्तरों के लिये केवल आध घंटा का समय रहेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जब आप कह चुके हैं तो मैं क्या कहूं। विलम्बनीय और अविलम्बनीय का निश्चय करने में जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा

है वह अप्रासंगिक नहीं है । मेरा खयाल यह है कि यह इतने महत्व का विषय है और मैं उनकी बात नहीं कह सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि इसमें एक सप्ताह जरूर लगेगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें एक सप्ताह लगेगा तो ठीक है । जिस दिन आप वक्तव्य दें बतला दें कि उस दिन होगा । जानकारी के लिये जितनी कम से कम समय की आवश्यकता है वही समय जल्दी से जल्दी समझा जायगा । जो आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा समय इसमें लगेगा वह अविलम्बनीय ही समझा जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन् १२ साल बीत गये तब विलम्ब नहीं हुआ तो एक सप्ताह में क्या विलम्ब होगा ?

श्री अध्यक्ष--मैं श्री गौरीशंकर राय जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)-- जी हां ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, एक निश्चित तिथि तो यदि आप आज्ञा दें एक घंटे में बता दूंगा लेकिन एक सप्ताह से पहले नहीं हो सकेगा ।

श्री अध्यक्ष--निश्चित तिथि आप बतला दें ।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अविलम्बनीय प्रश्न के ऊपर क्या कितने ही दिनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष--इसमें यह दिया हुआ है कि "मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे या किसी भावी समय या तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे"। सवाल यह है कि वह कम से कम समय लगायेंगे और कम से कम समय मांगना चाहिये यह तो मैंने उनको सूचना दे ही दी है ।

नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव नियमांवली के अध्याय ९ के प्रश्न ५३ में चर्चा उठाने के संबंध में है ।

श्री अध्यक्ष--मैंने इसे अभी देखा नहीं है, देखूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आज ही आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--कोई जरूरी बात नहीं है कि आज ही आ जाय । मैं खुद निश्चय करके समय मुकर्रर कर दूंगा । नियम ५३ में ऐसी चीज नहीं है कि चर्चा आज ही उठाई जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैंने १६ दिसम्बर को एक प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत दिया था । आपने उस पर यह निर्णय दिया था कि सदन की अगली बैठक में इस पर निर्णय दिया जायगा । मैं चाहता हूं कि उसके संबंध में आप निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष--मैं देख लूंगा और कल दोनों का एक साथ फैसला दे दूंगा ।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष--अब आगे की कार्यवाही होगी ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ [The U. P. weights and Measures (Enforcement) Bill, 1959] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ [The U, P. weights and Measures (Enforcement) Bill, 1959] को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६९३-७०४ पर ।)

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

स्वायत्त शासन उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Intermediate Education (Amendment) Bill 1959] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इंटरमीड़िएट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Inermediate Education (Amendment) Bill, 1959] को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष, महोदय, मैं इंटरमीडिएट एजूकेशन, (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Intermediate Education (Amendment) Bill, 1959] को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७०५-७०६ पर)

श्री गेंदा सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष---श्री गेंदासिंह के २१ फरवरी, १९५९ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २५ से २७ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार ।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मेरा निवेदन यह है कि आज श्री गेंदा सिंह जी उपस्थित नहीं हैं । ऐसी हालत में इसका लाना अनुचित होगा । इसलिए आगे किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---जब वह आयें उस वक्त लिया जाय, तो ठीक है । कोई आपत्ति नहीं है ।

पंचायत राज नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार

श्री अध्यक्ष---पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६२६४-/३३-५५२---५७, दिनांक २८ जून, १९५८ के अधीन प्रख्यापित यू० पी० पंचायतराज नियमावली के संशोधनों में जो १ दिसम्बर, १९५८ को सदन की मेज पर रखे गये थे, श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य, द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार होगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं---

(१) १७६ (१) (*a*) की पंक्ति ३ में अंक '५८' के स्थान पर अंक '५५' रख दिया जाय ।

(२) १७६ (१) (*l*) के प्रतिबन्धात्मक खंड को निकाल दिया जाय ।

(३) संशोधन २ हटा दिया जाय ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं तो मेरे सामने तमाम प्रदेश की स्थिति है और मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख इन सब बातों को रखना चाहता हूं । श्रीमन्, इस समय जो नियम में संशोधन किया गया है इसके पूर्व उनके जो कर्मचारी थे पंचायत विभाग में, उनकी उम्र ५५ वर्ष थी उसके बाद वह रिटायर होते । अब इस संशोधन के द्वारा ५८ साल की उम्र कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ५५ साल की उम्र इस देश में जबकि आज खाने-पीने में भी गड़बड़ हो और डालडा जैसे घी का प्रचार हो जिसको रोकने के लिये सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रहा है और दिनोंदिन जनता का स्वास्थ्य गिर रहा हो ऐसी अवस्था में ५८ साल तक कोई राज्य-कर्मचारी किस तरह से अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा । इससे एक तो राज्य के कामों की क्षमता घटेगी और बहुत से सरकारी काम अधूरे भी रह जायेंगे । इस वजह से यह आवश्यक है कि ५८ से ५५ साल कर दिया जाय । अगर यह नहीं किया गया तो एक तो अच्छे आदमी जो काम करने के लिये होने चाहिये वह नहीं रह जायेंगे और वर्तमान कर्मचारियों के स्वास्थ्य में कमी होने की वजह से जो गड़बड़ी होगी उससे प्रदेश के कामों में कितनी गड़बड़ी होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि ५८ साल की उम्र रहने से एक बड़ी कठिनाई जो उपस्थित होगी वह यह होगी कि जो बहुत से लोग बेरोजगार हैं और उनको समय-समय पर काम मिल जाया करता है उसमें गड़बड़ी होगी । ३ साल तक वही पुराने आदमी चाहे काम करने के अयोग्य क्यों न हो जायं और काम न कर सकें लेकिन उनके स्थान पर नये आदमी नहीं रखे जा सकते जिससे काम में क्षमता बढ़े ।

मेरा तीसरा तर्क यह है श्रीमन्, कि जब ५८ साल की उम्र तक लोग रखे जायेंगे तो उनको तनख्वाह वगैरह ज्यादा देनी होगी क्योंकि वे अपनी उच्चतर सीमा पर पहुंचे होंगे और अधिक पैसा लेंगे । तो ज्यादा पैसा देने के बाद में भी लोगों की एफीशियंसी कम हो जायगी । इस दृष्टि से भी यह वांछनीय नहीं होगा कि उनको रखा जाय । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और इस संशोधन को स्वीकृति देने की कृपा करें जिससे हमारे राज्य-कोष पर भार कम पड़े और अच्छे से अच्छे नये आदमी आकर काम पर लगें जिससे बेकारी भी दूर हो । इन तर्कों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो संशोधन माननीय वर्मा जी ने पेश किया है उसे स्वीकार नहीं कर सकता । श्रीमन् आज से डेढ़ वर्ष पूर्व राज्य कर्मचारियों के लिये भी अधिकतम सीमा ५८ वर्ष, ५५ वर्ष के स्थान पर कर दी गयी है । इसके अलावा जो प्रदेश की और स्थानीय संस्थायें हैं उनके कर्मचारियों के लिये भी ५८ वर्ष की उम्र हो गई है । मुझे माननीय वर्मा जी के तर्क को सुनकर आश्चर्य होता है कि वे अपने संशोधन के तर्क का आधार यह बतलाते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य गिर गया है जिसके कारण लोग ५८ वर्ष तक कार्य नहीं कर सकेंगे । मेरी समझ में नहीं आया कि पिछले वर्षों का अनुभव उनके सामने है । पिछले वर्षों के आंकड़े तो हमको यह बतलाते हैं कि लोग अब पहले की अपेक्षा ज्यादा दिनों तक जिन्दा रहते हैं । लोग अब ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं यह बिलकुल स्पष्ट आज लोगों के सामने है । डालडा का क्या असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है लेकिन जो तथ्य है वह यही है कि आज लोग ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं । इसी कारण राज्य कर्मचारियों की उम्र भी ५५ से ५८ कर दी गई ।

[श्री रामस्वरूप यादव]

जहां तक स्थानीय संस्थाओं का सम्बन्ध है उनकी भी सीमा अधिक है। माननीय वर्मा जी को भय नहीं होना चाहिये कि डालडा का बुरा असर पड़ेगा। पंचायत मंत्री लोग देहातों में रहते हैं। जब सारे राज्य के कर्मचारी ५८ पर रिटायर होते हैं तो सिर्फ पंचायत मंत्रियों को ५५ पर रिटायर करना उचित नहीं होगा। पंचायत इंस्पेक्टर तो रिटायर हों ५८ वर्ष के उमर में और पंचायती मंत्री रिटायर हों ५५ वर्ष की उम्र में, यह ठीक नहीं है। इस वास्ते यह मुनासिब समझा गया कि पंचायत के जो मंत्री हैं उनके लिये ५८ वर्ष कर दिया जाय यही उचित है। मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि यादव जी ने, रामस्वरूप जी के संशोधन का जो अर्थ था, उसको समझने की कृपा नहीं की। यहां पर कोई प्रतिद्वन्द्विता इन्सपेक्टर और पंचायत सेक्रेटरी में नहीं है। निश्चयरूप से यह पालिसी का सवाल है। अगर राज्य सरकार कोई गलत पालिसी कर लेती है तो उसके लिये जहां-जहां हमको मौका मिलेगा उसका विरोध करेंगे। हमारी निश्चित धारणा यह है कि राज्य सरकार ने पूर्णतः मनमाने ढंग पर ५५ साल की अवधि को बढ़ाकर ५८ कर दिया है। इस सरकार ने सेवाओं की जिन-जिन जगहों में इसको किया है हम सब जगह उसका विरोध करते हैं। इसलिये कि अगर इसका कोई औचित्य रहता तो मैं समझता कि कुछ इसमें तर्क है। यह कह देना कि इन्सपेक्टर का ५८ साल रहता है इस वजह से सेक्रेटरी का ५५ नहीं होना चाहिये यह विरोध पड़ने वाली बात है और इससे प्रतिद्वन्द्विता हो जायगी इसको मैं सही नहीं समझता। अगर आप ऐसा समझते हैं तो उन इन्सपेक्टर का भी ५५ कर दें। इसमें कौन-सी ऐसी बात है कि अगर इन्सपेक्टर की ५८ से घटाकर ५५ कर दी जायगी तो कठिनाई होगी। एक बात यह कही कि ६० से घटाकर हमने ५८ ही कर दिया है। इसमें भी मैं सच्ची वस्तुस्थिति को नहीं देखता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि ५८ वर्ष सेवा का कार्यकाल होने के बावजूद भी सरकार एक्सटैन्सन कर सकती है और करती है। इसलिए यह कह देना कि हमने ६० को घटाकर ५८ कर दिया है यह सत्य पर परदा डालने वाली बात है। हर विभाग के बारे में चाहे वह जेल विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो और चाहे सेवा का कोई भी विभाग हो, हर विभाग के बारे में हमने पूरा हिसाब लगाकर इस बात को पाया है कि उनमें धन और जन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। राजकोष का दुरुपयोग हो रहा है। धन अधिक खर्च हो रहा है और दूसरे नये-नये व्यक्तियों को स्थान देने पर बाधा हो रही है। इससे बेकारी बढ़ रही है। लोगों की एफिशियेन्सी (कुशलता) नष्ट हो रही है। यह इसी सरकार के शासन-काल में हो सकता है किसी प्रजातान्त्रिक सरकार के राज्य में इस तरह से नहीं हो सकता इसलिये मैं आपके द्वारा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम अपने विभाग को बचा लें। रामस्वरूप वर्मा जी का बहुत बढ़िया संशोधन है। अगर इस तरह का संशोधन दूसरे विभागों के लिये भी आये तो हम उनके लिये भी इसका विरोध करेंगे और पहले भी विरोध किया है। यदि और विभाग कोई गलत बात करता है तो उसका समर्थन आपको नहीं करना चाहिये और उसको अपने विभाग में कार्यान्वित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। जो औसत आय पहले थी वही आज भी कायम है। जो २ साल पहले औसत आयु थी वही आज भी है। वह औसत आयु बढ़ी नहीं है किन्तु यहां पर ५५ से बढ़ाकर ५८ किया जा रहा है। यादव जी को मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर इस विषय के ऊपर काफी मतभेद रहा है। हम लोग उस समय जेल में थे। उस समय १० मई, सन् ५७ वाला आन्दोलन चल रहा था। माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी सम्मति से एक राजकीय आज्ञा जारी करके इसको बढ़ा दिया। हमने इसका जेल से विरोध किया था। इसके लिये एक तार भी भेजा था और चिट्ठी भी भेजी थी कि आज जो यह ५५ से बढ़ाकर ५८ कर रहे हैं यह हर मायने में और हर दृष्टिकोण से आपत्तिजनक है। हमें अफसोस है कि हमारी उस वाणी में उतनी ताकत नहीं हो पाई कि हम मुख्य मन्त्री जी या इस सरकार

को बाध्य कर सकें कि वह यह सही बात मान ले। आज इस संशोधन के जरिये से पुनः इस पर जोर देना चाहते हैं कि सरकार इस बात को माने कि सरकार सेवाओं के लिये ५५ साल रखे और इसको ही दूसरे विभागों के लिये ५८ साल से घटाकर रखे। इन शब्दों के साथ में रामस्वरूप जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर है कि हाउस की सिटिंग के बारे में नई प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक जो यह रिसेस नहीं हो रही है तो इसमें क्या कोरम की दफा लागू नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य को मैं यह बतला दूं कि हमारे नये नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है और हमारे ही यहां नहीं, मैं समझता हूं कि हर राज्य के विधान मंडलों में यह व्यवस्था की गयी है कि जहां तक हो सके नये नियम लोकसभा के नियमों के अनुरूप बनाये जायं। इसी आधार पर यह नियम बनाया गया है। जो प्रश्न आपने उठाया है इस बात की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या कार्यवाही होगी, लेकिन कंवेंशन लोक-सभा का यह है कि रिसेस के टाइम में, जो आमतौर पर सवा १ से सवा दो तक होता है, माननीय सदस्यों द्वारा मत लेने का प्रश्न नहीं उपस्थित किया जाता और न कोरम का प्रश्न ही उठाया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मैं यह समझूं कि आपकी यह रूलिंग आज से लागू हो गयी, इस वक्त से ? इस टाइम में मत नहीं लिये जायंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---मुझे आशा है, इसी कंवेशन पर यह सदन भी चलेगा। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण---अगर मत नहीं लिया जायगा तो कोई संशोधन गिर गया अथवा माना गया, यह कैसे पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न को मुल्तवी कर दिया जायगा। यही कंवेंशन है। मत बाद में ले लिया जाता है।

श्री राजनारायण---यह तो नये नियम लागू हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आज तो आपको मालूम हो गया कि कोई सदस्य कोरम का प्रश्न नहीं उठाता। यही लोक सभा की प्रथा है।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। जो संशोधन उन्होंने रखा है उसमें उनकी मांग है कि ५८ के स्थान पर ५५ रख दिया जाय। माननीय वर्मा जी स्वयं यह जानते होंगे कि यह कंट्रोवर्सी काफी चली और सरकार ने इस संबंध में अपनी नीति साफ-साफ रखी, जैसा कि अखबारों में उन्होंने पढ़ा होगा। हमारे इस राज्य के अधिकारीगण जो ५५ साल की अवस्था में ही रिटायर हो जाते थे, वह अन्य प्रदेशों और रियासतों में जाकर वहां अपनी सेवायें देते थे और उन्होंने वहां पर अच्छे-अच्छे कार्य किये हैं यह किसी से भी छिपा नहीं है। ऐसी अवस्था में जब वे ५५ साल की अवस्था के बाद भी एफीशियेन्टली सेवा कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि ५५ के स्थान पर ५८ क्यों न कर दिया जाय। जहां तक पंचायत मंत्रियों का संबंध है, हमारे राज्य में यह पंचायत प्रणाली एक नया अनुभव है और इसमें आवश्यकता इस बात की है कि यह पंचायत मंत्री, जो पंचायतों में काम करते हैं और मासेज में अपना कार्य संचालन करते हैं और गांव के लोगों को तैयार करते हैं कि वे प्रजातांत्रिक ढंग पर अपना काम चलाना सीखें और उसमें सफलता प्राप्त करें, अपना अधिक से अधिक अनुभव से गांव वालों को लाभ पहुंचायें। यदि उनके लिये यह अवसर न दिया गया तो गांव वाले, जिनको इन मंत्रियों ने पढ़ाया और लिखाया है, उनके

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

अनुभव से वंचित रह जायंगे । तो ऐसी अवस्था में सरकार ने जो यह कदम उठाया है कि उनकी भी सेवायें अन्य कर्मचारियों की भांति ५५ के बजाय ५८ वर्ष तक बढ़ा दी जाय, तो यह उचित ही है और ऐसा करके सरकार ने कोई गलती नहीं की । मैं इसको उचित समझता हूं और विशेषकर देहात में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वह पंचायत मंत्री हों अथवा किसी अन्य रूप में हों, उनको अवसर मिलना चाहिये कि वे अपने तजुर्बे से, जो उनको हासिल हुआ है, गांव वालों को लाभ पहुंचा सकें ।

सभी गांव वाले उससे लाभ उठा सकते हैं जबकि उनके इस पके हुये अनुभव से वह वंचित न रहें । तो ऐसी अवस्था में सरकार ने जो यह संशोधन किया है कि उनकी सेवायें भी ५५ के बजाय ५८ तक ली जायं उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

जहां तक उनकी तन्दुरुस्ती और डालडा खाने की बात कही गई, मैं उससे सहमत नहीं हूं । यह तो एक थोथी बहस है और इस बहस में पड़ने से कोई लाभ नहीं है । वास्तव में देखना यह चाहिये कि ५५ के बजाय ५८ की जो सीमा रख दी गई है वह सही है या नहीं । श्रीमन्, मेरे तुच्छ विचार से मैं समझता हूं और मुझे भी जो कुछ अनुभव हुआ है इस पंचायत क्षेत्र में काम करने से उसके आधार पर मैं तो यहां तक भी कहने को तैयार हूं कि ५८ वर्ष के बाद जो रिटायर हो गये हों उनकी भी सेवायें अगर पंचायतों को मिल सकें, किसी प्रकार से, सोशल सर्विस के आधार पर या आनरेरी तरीके पर, तो उनको भी गांवों में भेजकर अपनी पंचायतों को सफल बनाने में और उनका कार्य ठीक प्रकार से संचालन करने में उनकी सेवाय हम उपयोग करें । आज की अवस्था में हमको तजुर्बेकारों की जरूरत है गांवों की पंचायतों के कार्य संचालन के लिये और चूंकि उनका तजुर्बा काफी बढ़ा हुआ होगा इसलिये हम उससे लाभ उठायें । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और सरकार ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय क्या इस संशोधन के ऊपर भी कोई संशोधन लिये जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—जब आप कोई संशोधन उपस्थित करेंगे तो उसकी मेरिट पर विचार होगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता था कि इस प्रदेश में और इस प्रशासन में जो लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं या कोई विशेष मन्त्री हैं उनकी शान के अलावा भी यह ५५ और ५८ वर्ष का प्रश्न विवादास्पद है और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । मैं जिनसे मिलता हूं चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों या सदन के बाहर के लोग हों वे सब इस मामले में एक मत हैं कि यह बड़ा गलत हुआ है । लेकिन इस सभा में उस तरफ के एक अनुभवी सदस्य जब यह कहते हैं कि अनुभव के लिये इसे बढ़ा देना चाहिये तो मुझे मालूम होता है कि अगर उनका यह दृष्टिकोण सर्विसेज की अवधि के बारे में सही हो तो फिर यह नियम बन जाना चाहिये कि जबतक वह अंतिम सांस न ले तबतक उसे सेवा का अवसर दिया जाय यानी सारे जीवन में केवल मृत्यु ही रिटायर करा सकती है । तो उस प्रकार सरकार के विभिन्न विभागों की नौकरियों में यह नियम बना दिया जाय कि जबतक मृत्यु नहीं उठा ले जाती तबतक वे काम करते रहें । मैं उनसे नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में केवल एक ही दृष्टिकोण नहीं है । यह उस देश के लिये बात है जिसमें काफी रोजी हों, यह उस देश के लिये हैं जहां सभी देशवासियों के काम करने से काम समाप्त न हों और वहां पर अगर ५८ के बजाय ६८ भी कर दिया जाय और काम करने के कुछ घंटे भी बढ़ा दिये जायं तो वहां यह सम्भव हो सकता है, लेकिन इस देश में जबकि योजना के चलते हुये भी बेकारी की संख्या बढ़ रही है ऐसा करना उचित नहीं है । आज नये आदमी बढ़ रहे हैं । पुराने आदमियों को बढ़ाने

में जैसा कि अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि खर्चा अधिक पड़ता है यानी ५५ साल तक एक आदमी रहा और वह जब ५६ साल में जाता है तो उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है इसलिये खर्चा भी बढ़ता है जबकि नये आदमियों की नियुक्ति में कम खर्चा पड़ता है ।

श्री रामस्वरूप यादव—खर्चा बढ़ता नहीं है, यह गलत खयाल है। वह मैक्सिमम पर होता है ।

श्री गौरीशंकर राय—मान लीजिये कि कोई मैक्सिमम पर रहे और उसी सेवा के लिये एक मिनिमम पर रहे तो इससे भी अन्तर पड़ेगा, मैं समझता हूं कि उसे माननीय मन्त्री जी बता दगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अन्तर पड़ेगा और उसका असर खर्चे पर भी पड़ने वाला है ।

दूसरी तरफ बेकारी के लिये इतनी परेशानी मची हुई है तो सेवाकाल की अवधि नहीं बढ़ानी चाहिये । आर्थिक और सभी दृष्टियों से यह अनुचित काम हुआ है । उस तरफ के एक मित्र ने कहा कि अनुभवी लोग काम करेंगे । आखिर ७५ साल की सीमा भी आप लगा दें तो नये व्यक्तियों को भी तो कुछ करना होगा । राजनीति में चर्चिल और एटली रिटायर हो सकते हैं, लेकिन यहां तो मृत्यु या जनता ही रिटायर करा सकती है । मैं समझता हूं कि सदन के अधिक से अधिक लोगों का भी यही मत है कि सेवा की अवधि न बढ़ाई जाय । सरकारी नौकरियों वाले लोगों का भी मत है कि ५५ साल के बाद उनके लड़कों को काम करने को मिले । अगर सरकार के लिये शान का सवाल न हो तो उसे यह संशोधन मान लेना चाहिये और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । इससे पहले सूबे की सरकार ६० साल तक चलती थी और उसे हटाकर ५५ किया गया था । तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि ६० से ५५ जब किया गया तो अब क्यों ५८ किया जा रहा है । फिर ऐसा ही क्यों न किया जाय कि सदव क लिय वह काम करे और अपने तजुर्बे से लोगों को लाभ पहुंचाता रहे । ५५ से ५८ में ही कौन-सी बात है ? जब तक वह जिन्दा रहे तब तक अपने अनुभव से लोगों को फायदा देता रहे । मृत्यु तक उसे चलने दिया जाय । इससे मेरी समझ में तो एक ही बात आई कि यह सरकार प्रदेश में बेकारी बढ़ाना चाहती है । सरकार बेकारी को रोकती ही नहीं है, क्योंकि यह कोई ऐसा उपाय ही नहीं करती है जिससे बेकारी रुके । ५५ वर्ष से ५८ करके और बेकारी बढ़ी है । नये नौजवानों के लिये कम से कम १ रुपया रोज खर्च के लिये चाहिये । वह कहां से आवे। बेकार आदमी भ्रष्टाचार, चोरी और डकैती में पड़ता है । रामायण में भी एक चौपाई है कि "आरत काह न करें कुकर्मू, मांगे भीख छोड़ निज धर्मू ।" नौजवान आदमी के जिस्म में नया खून होता है, इसलिये वह कुकर्मों की ओर चला जाता है । ५५ साल तक नौकरी करने के बाद लोगों के पास इतना पैसा भी हो जाता है कि वह कुछ धंधा कर सकें मगर नौजवान जिसके पास एक पैसा भी नहीं है वह क्या करे ? अगर सरकार चाहती है कि चोरियां, राहजनी और बदमाशियां बढ़ें तो ५८ से ५५ मत कीजिये, बल्कि जब तक जीवित रहे तब तक के लिये कर दीजिये । अगर सरकार चाहती है कि बदमाशियां दूर हों तो ५८ से ५५ करने में उसे कोई उज्र नहीं होना चाहिये और वर्मा जी के संशोधन को मान लेना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विचार इस विवाद में भाग लेने का नहीं था मगर जो बातें यहां कही गई हैं उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि कुछ कहूं । मेरा अपना तजुर्बा यह है कि सन् १९४८ में, स्वराज्य के बाद, जब यह पंचायत राज्य ऐक्ट आया तो कुछ लोगों को पोलीटिकल जागीरें दी गईं, कुछ को पेंशनें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

दी गईं और कुछ को छोटी-छोटी नौकरियां दी गईं। जिन्होंने कांग्रेस में कार्य किया उनको किसी को पेंशन और किसी को तराई भावर में जमीन दी गई। इसी तरह ज्यादातर पंचायत राज्य सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और उनमें से काफी हद तक इलेक्शनों में कांग्रेस उम्मीदवारों का काम करते हैं। तो उन्हें खुश करने के लिये ३ साल बढ़ाये जा रहे हैं। वरना आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस की नीति के अनुसार ५५ साल का माना हुआ सिद्धान्त है कि ५५ वर्ष के बाद किसी आदमी को नौकरी नहीं दी जायगी। लेकिन यू० पी० की सरकार उसके खिलाफ कर रही है। यह भी जनता में कहा जाता है कि यह कुछ लोगों के लिये किया गया है और जब वे ५८ साल के हो जावेंगे तो यह अवधि फिर ५५ कर दी जावेगी। इसके लिये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जनता में ऐसी बात है। कुछ मित्रों ने बहुत से कारण दिये कि ५५ रहना चाहिये। इन सब चीजों के होते हुये राज असल में यह है कि सन् १९६२ के इलेक्शन तक के लिये अवश्य इन लोगों को रखा जाय। उनको नाखुश न करने के लिये यह किया जा रहा है, वरना कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्लाज यहां रखा जाय। माननीय मंत्री जी को मैं चैलेंज देता हूं कि अगर यह बात नहीं है तो वह बतलावें कि बेकारी बढ़ते हुये क्यों ऐसा किया जा रहा है। बावजूद दो पंचवर्षीय योजनाओं के बेकारी बढ़ रही है और सेकेंड फाइव-ईयर प्लान की योजना में भी तस्लीम किया गया है कि बेकारी इस अर्से में बढ़ी है। तो फिर किस मुंह से सरकार इसे support करती है।

इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बात साफ यह है कि ज्यों-ज्यों मंत्रियों का बुढ़ापा बढ़ता जाता है त्यों-त्यों बुढ़ापे से मोह कुछ बढ़ता जाता है। यह देखा गया है कि ५५ वर्ष की आयु में ही किसी की जबान में किसी की बांह में लरजिस पैदा हो जाती है और नजर कमजोर हो जाती है। किसी को फाइल ढूंढ़े ही नहीं मिल रही है। मेरी आंखों देखी बात है कि ५५ साल के ऊपर के अफसरों को एक सैन्टेंस टटोलने में घंटों लगते हैं। फिर भी, तुर्रा यह है कि ५८ साल किया जा रहा है। इसका सम्बन्ध प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता से है और उसके जीवन से आज यहां खिलवाड़ की जा रही है। ५५ साल की उम्र हो गयी है, सुनाई नहीं पड़ता है, लिखने में, दस्तखत करने में ओवर राइटिंग हो जाता है, लेकिन उनको सरकार ५८ साल तक मौका देना चाहती है। इसके बड़े भयंकर परिणाम हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं लखीमपुर-खीरी की उस घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो स्टेट बैंक का खजाना लखीमपुर से देवकली जाते हुए लूट लिया गया। इसमें लुटेरों ने दो आदमियों को जान से मार दिया। एक खजाञ्ची था और दूसरा संतरी। यह काम चार जेन्टिलमैन पढ़े-लिखों ने किया। इनमें से दो डाकुओं को वहां की जनता ने मार डाला और दो पकड़ लिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मालूम हुआ कि चारों ग्रेजुएट थे। उन्होंने इस बात को कहा कि हम दो साल से नौकरी ढूंढ़ रहे थे। एक-एक मंत्री और एम० एल० ए० का दरवाजा खटखटाया, सभी दफ्तरों के दरवाजे खटखटाये, हजारों एप्लीकेशन्स दीं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और मजबूर होकर हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया, अपने और कौम के साथ विश्वासघात किया। उसकी साफ वजह है कि लोगों को ५८ और ६० साल तक मौका दिया जा रहा है और देश के नये खून को नजरअन्दाज किया जा रहा है। वह नया खून, जो कि बी० ए०, एम० ए० करके बेकार घूम रहा है, जो अपने मां-बाप की हल की जुताई और चकिया की पिसाई की गाढ़ी कमाई के पैसे से पढ़े, लेकिन आज उनके लिये रोटियों का ठिकाना नहीं है। आज तो खुर्राट लोगों को मौका दिया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में देश भक्त लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये।

श्री रामस्वरूप यादव---लेकिन पंचायत सेक्रेटरियों का रिक्रूटमेंट तो आजादी के बाद हुआ है।

श्री शिवप्रसाद नागर---आजादी के बाद भी उन्हीं लोगों में से किया गया है जिन्होंने १९४७ के बाद खद्दर पहन लिया और आपको सलाम झुकाया और फिर यह भर्ती भी तो उन्हीं लोगों के द्वारा की गयी। ये वही लोग थे जो अत्याचार करते थे, देश की सीक्रेट्स आउट किया करते थे, लेकिन १९४७ के बाद उन्होंने खद्दर धारण कर लिया और सलाम करके वफादारी का परिचय देने लगे। रिक्रूटमेंट करने वाले भी तो वही लोग हैं जो ५५ साल के बाद ५८ साल अपने लिये करवाना चाहते हैं। इसका नतीजा यह है कि वह खून जो आज बी० ए०, एम० ए० पढ़ कर निकला है, जो यह आशा करता है कि हम भी शासन में योग दें, उनकी आवाज को आज कोई सुनने वाला नहीं है। वे ऐसा रास्ता ढूंढ़ेंगे कि हमारा देश और प्रदेश तबाह हो जाय। वे ऐसा रास्ता ढूंढ़ेंगे कि वे हमको आपको और आने वाली सन्तानों को तबाह करेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे बहुत गौर से इस पर ध्यान दें और तवज्जह दें कि जहां तक हो सके वहां तक देश में ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न होने पावे कि नये खून के आने वाले लोग कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर लें जिससे देश का कल्याण के बजाय अकल्याण हो जाय।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके लिये आधा घंटा समय ही निर्धारित था।

श्री उपाध्यक्ष---आधे घंटे में समाप्त करने का सरकार का विचार था, लेकिन उसको मैंने माना नहीं। चेयर की तरफ से यह कहा नहीं गया था कि आधे घंटे में ही इसको समाप्त करना है। दो एक माननीय सदस्य और बोल लें तो मैं समझता हूं कि उसमें किसी को दिक्कत न होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं श्री वर्मा जी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यद्यपि इस प्रस्ताव के ऊपर सदन में सभी दल की तरफ से अपने-अपने विचार रखे गये हैं और सरकारी पक्ष जैसा कि उसका नियम है, वह अपनी बात की ताईद में विरोधी पक्ष की बातों को कभी भी ध्यान से नहीं सुनना चाहता, उसी तरह से हो सकता है कि वह उसका निराकरण करे। लेकिन मुझे श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी, जो अब किसी प्रकार से उन्नति में जा रहे हैं, यानी डिप्टी मिनिस्टर से मिनिस्टर ग्रेड में जा रहे हैं, उनके उन विचारों को सुनकर आश्चर्य-सा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---जा नहीं रहे हैं, बल्कि चले गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अब देखना है कि वे रहेंगे या लौटेंगे। उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि ५५ साल की उम्र के बाद प्रायः देखा यह गया है कि जो बहुत अनुभवी लोग हो जाते हैं वे दूसरे प्रान्तों में ले लिये जाते हैं या उनके कथनानुसार यह कहूं कि दूसरे देशों में उनका आदर हो जाता है।

(इस समय २ बजे श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए।)

मालूम यह होता है कि यह टुकड़ा उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के किसी कथन से लिया है। उनको यह जानना चाहिये कि प्रधान मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख उस समय किया था जब उनको यह बतलाना था कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम स्किल्ड लेबर कहते हैं या विशेषज्ञ हैं, ऐसे अनुभवी लोगों के द्वारा देश में कुछ न कुछ अनुभवी प्रति वर्ष बढ़ते जायेंगे और उनकी योग्यता का आदर भी होता है। उम्र की अवधि का कोई लिहाज न करते हुए सरकारी नौकरी से वंचित होने पर भी विदेशों में उनका आदर होता है। उनको यह जानना चाहिये था कि कुछ विशेष विभागों के विशेषज्ञों के बारे में ही प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी और उसी के आधार को वे पकड़ते हैं।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यहां तो विवाद इस बात का है कि ये पंचायतराज के अधिकारी जो अधिकतर मंत्री या कुछ ऐसे-ऐसे छोटे अधिकारी हैं, उनकी अवधि बढ़ा कर क्या हम देश के लिये कोई लाभप्रद बात कर रहे हैं? श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं, इन पंचायत राज के अधिकारियों में बहुत थोड़ ही दर्जे के बुद्धिमान लोग रखे जाते हैं। ये सेक्रेटरी या और अधिकारी विशेष ऊंचे वर्ग के नहीं होते इसलिये उनकी अवधि बढ़ाने की बात सोचना भी अनुचित होगा। अतः इन नौकरियों में जिनका कि ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध है कितने सुयोग्य आदमी ५५ वर्ष की उम्र के बाद ५८ वर्ष तक की उम्र तक के मिलते हैं, और इनके न रहने से समाज सेवा की हानि होगी, यह एक अनुचित खयाल है, बल्कि सोचना तो यह चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं में यदि ये लोग बढ़ते जायेंगे तो छोटी उम्र के लोग जो आज भी बेकारी से पीड़ित हैं और जिनको बाहरी या शहरी क्षेत्रों में सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम मौका पा सकेंगे। अतः यह जरूरी है कि अन्य विभागों में इसे करना आवश्यक था तो कम से कम पंचायत राज विभाग में उम्र के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। उम्र की बात को लेकर सरकारी दल में कसरत राय ऐसी है जो इसे पसन्द नहीं करती है कि अवधि बढ़ाई जाय और इसी विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक दराज बन चुकी है और जो लोग इसके विरोध में हैं वे ईमानदारी के साथ इसका विरोध करते हैं और उनका यह खयाल है कि उम्र का बढ़ाना देश की बेकारी को देखते हुए हितकर नहीं है। यद्यपि उनके विचार आज प्रभावित नहीं हो सके हैं और बहुमत उनके दल का अल्पमत की इस बात को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, लेकिन बहुमत अल्पमत की बात को न मानने का परिणाम स्वयं देख रहा है और भुक्तभोगी है। इसलिये स्वतंत्र विचारों को दबाना उचित नहीं है।

यह बात प्रत्यक्ष है, चाहे इस पक्ष के लोगों में देखा जाय या उस पक्ष के लोगों में देखा जाय यह बात महसूस की जा रही है कि इस प्रकार उम्र की अवधि हर विभाग में बढ़ा कर कुछ उन लोगों के लिये एक विरोध की बात पैदा की जा रही है जो आशा लगाये हुए हैं कि उन्हें भी इस सेवा में योग देने का मौका मिलेगा। यह प्रस्ताव यद्यपि एक ही विभाग से सम्बन्धित है और साधारण-सा दिखाई देता है, लेकिन इसका सम्बन्ध मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है। हम सिद्धान्ततः इस बात के विरोधी हैं कि उम्रें बढ़ाई जायं और एक जगह की गलती दूसरी जगह दोहराई जाय। सरकार एक दफा जो गलती कर चुकी है उसकी पुष्टि करती चली जाय इसके हम विरोधी हैं। अतः यह जो प्रस्ताव रामस्वरूप जी वर्मा का है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन उसकी महत्ता को समझता होगा। इस प्रकार से यह एक टेस्ट प्रस्ताव है। इसके पास करने के बाद हम सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल सकते हैं कि वह अपनी नीति पर पीछे लौटे और जो गलती कर चुकी है उसे दुरुस्त कर ले।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि यों तो केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने ५५ वर्ष ही अवधि को माना है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या समझ कर अवकाश प्राप्त करने की अवधि ५५ वर्ष से बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी है? जिस विभाग में मंत्री जी अब ५५ से ५८ करना चाहते हैं वह विभाग ऐसा है जिस पर देश का सारा नियोजन आधारित है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है वह सहकारी समितियों के विकास और नियोजन से सम्बन्धित है। ये गांव पंचायतें जो प्राथमिक इकाइयां हैं उस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर इन प्राथमिक इकाइयों के नियमों में हम कोई ऐसा संशोधन पास कर दें जिससे स्टेटस को बना रहे तो ये प्राथमिक इकाइयां कभी मजबूत नहीं हो सकतीं और ग्राम राज्य चल नहीं सकता। गांव पंचायतों में जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे तो किस प्रकार के लोग आये थे

इस पर माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिये । जब सन् १९४७ में गांव पंचायतों का विधान बनाया गया तो उत्तर प्रदेश में उस समय माननीय पंत जी मुख्य मंत्री थे और एक बहुत बड़ा सपना सारे देश के सामने रखा गया और दूसरे राज्यों व इस प्रदेश के लोगों के सामने यह बात आई कि अब देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और उसमें गांवों में गांव वालों का राज्य होगा और गांवों का विकास करने के लिये ये गांव पंचायतें कायम हो रही हैं । मंत्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं। जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को गांव पंचायतों से मिलती हैं उनसे उनको मालूम है कि कितनी सत्यता उनमें होती है। सही माने में गांव सभाओं की कतई कोई बैठक नहीं हुई। अधिकारी आये, उन्होंने फर्जी रजिस्टर भरा और रिपोर्ट दे दी और उसी के आधार पर दूसरे विभागों ने कार्यवाही कर दी। तो ऐसे पुराने लोगों को अगर तीन वर्ष के लिये और रखा जाता है तो नतीजा यह होगा कि जो नौजवान आना चाहते हैं, सही माने में पूरे शिक्षित हैं और गांवों के नियोजन में सक्रिय सहयोग देना चाहते हैं उन्हें अवसर नहीं मिलेगा और एक नैराश्य का वातावरण सारे प्रदेश में पैदा होगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम पंचायत राज विभाग को इससे अछूता रखें और ५५ साल से ५८ साल न करें।

मंत्री जी को मालूम है कि जिलों में जो पंचायत सेक्रेटरीज के पद खाली हो जाते हैं, मसलन देवरिया, गोरखपुर, किसी भी जिले को लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जगहें खाली होती हैं पंचायत मंत्री की उनके भरने में सालों लग जाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है और न्याय पंचायतों का काम ठप रहता है। अगर उनकी पूर्ति समय से कर दी जाय तो उनका काम बराबर चलता रहे। नतीजा यह होता है कि एक, दो पद अगर खाली होते हैं, तो ५०० आवेदन-पत्र हाई स्कूल और इंटर पास लोगों के आते हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता। अब अगर रिटायरमेंट की एज ५५ साल ही रख दी जाय तो उनकी जगहों पर अच्छे नौजवान आयेंगे।

इधर पंचायत राज नियमावली में संशोधनों की बाढ़ सी आ गई है। सदन की मेज पर नियमावली में संशोधन आ जाते हैं और धीरे से पास हो जाते हैं और माननीय सदस्यों की निगाहों में बात नहीं पड़ती है। मगर यह तो ऐसा बड़ा प्रश्न है कि इस पर मैं समझता हूं सभी लोग एक राय के होंगे कि तीन साल का मार्जिन इन्हें न दिया जाय। अगर दिया जायगा तो अनर्थ होगा। उत्तर प्रदेश तो एक्सपेरीमेंट में ही मारा जा रहा है, प्रदेश की सरकार को इस बात का शौक रहता है कि कोई नई चीज करे जिसका सारा देश अनुसरण करे और हमारा नाम हो। तो मैं कहता हूं कि इस प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता के साथ इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट न किया जाय। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गांव पंचायतें हैं जिनमें अच्छा काम होता है। महाराष्ट्र में गांव पंचायतें तब से हैं जब प्रदेश में हमारे पंचायत राज ऐक्ट भी नहीं बना था। उनका जो पुराना गांव पंचायत का तरीका था उसी के मुताबिक काम करती रहीं। मगर रोज रोज नियमावली में तब्दीली करना, रोज-रोज संशोधन लाने का नतीजा यह होता है कि जनता का विश्वास नियमों, अधिनियमों से उठ जाता है। श्रीमन्, दुनिया का इतिहास बतलाता है कि च्यांगकाईशेक की सरकार ने चीन के कानून में इतनी रद्दोबदल की कि बाद में च्यांगकाईशेक को और क्युमिन्तांग को चीन में रहने तक की जगह नहीं मिली। हमारे विधानों में इतनी तब्दीली हुई, सेल्स टैक्स में १८ संशोधन आये, कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जो संशोधन आते हैं उनको फिट करके समझ सकें कि क्या अर्थ है इसका? संशोधन में संशोधन देना तो इतना कठिन है कि इसके लिये कोई अलग स्कूल होना चाहिये जिसमें इसकी शिक्षा दी जाया करे। तो अगर सही माने में सहकारी समितियों को चलाना है प्लानिंग कमीशन की रपट, बलवन्तराय मेहता की रपट जिसमें वह कहते हैं कि गांव पंचायतें सक्रिय नहीं हैं, उनको पूरा अधिकार नहीं है गांव पंचायतें ठोस काम नहीं कर रही हैं। उन्हें सत्ता के विकेन्द्रीकरण में अपने गांव की सत्ता नहीं दी गई है। अगर सही मानी में यह काम की बात को माननीय मंत्री जी मान लेते हैं और अगर देश, समाज तथा प्रदेश को बनाना चाहते हैं तो उसके लिये यह आवश्यकता होगी। वह एक्सपेरीमेंट करके देखते हैं कि वह लोग काम करते हैं या कितना काम करते हैं और अगर फिर वही लोग रख दें, तो क्या नतीजा होगा। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस पर पूरा ध्यान दिया है और वह देना होगा। माननीय मंत्री जी को फिर से जरूरत उपस्थित होगी।

[श्री उग्रसेन]

तो पंचायतराज विभाग को माननीय मंत्री जी कम से कम एक अपवाद रक्खें और उसमें ५५ से ५८ रिटायरमेंट एज न बनाई जाय। अगर ऐसा होगा तो नौजवान नहीं आएंगे, देश नहीं बनेगा। कोई भी सहकारी समिति या कोई सहकारी बात यहां इस प्रदेश में नहीं चल सकती है। इन शब्दों के साथ में वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो तर्क दिया था उसका सम्बन्ध सिर्फ पहले से है, बाकी दो पर कोई उत्तर नहीं दिया था। इस सम्बन्ध में हमारे कई माननीय सदस्यों ने तर्क पेश किये हैं। तीसरी बात जो यहां एक माननीय सदस्य ने कही कि अनुभव ज्यादा बढ़ता है ज्यादा उम्र बढ़ने से।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूं कि इतिहास में यह बात बहुत साफ है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी, राजाओं की दिशा में भी जो आदमी नये रहे हैं। उन्होंने ज्यादा काम किया है। काम करने में अनुभव तो अपनी जगह पर बना रहता है, लेकिन काम करने की सक्षमता पुराने आदमियों में नहीं आ पाती है और इससे काम में मुसीबत हो जाती है और हम लोगों का काम है और कि इस प्रश्न को देखें कि जो ५८ साल की उम्र रक्खी गई है। इस संबंध में दो-तीन उदाहरण आपके इतिहास में दिये हुए हैं कि जहां कहीं नये आदमी हैं उन्होंने काम किया है और पुरानों ने नहीं किया है। इतिहास में अशोक दि ग्रेड का नाम आता है। ३२ साल की उम्र में अशोक गद्दी पर बैठा था। उसने तमाम सुधार और राज्य का विस्तार अपनी जवानी में किया और १० साल बाद जब पुराना हो गया तो काम चलता रहा, लेकिन क्या नतीजा हुआ? इसी तरह से मैं अकबर का उदाहरण दूंगा। १३ साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था और अपनी जवानी में काम किया। यह स्पष्ट है कि नौजवानी में काम करने का उत्साह होता है। मैं एक और उदाहरण प्रजातंत्र के देश इंगलैंड का देता हूं। जेम्स पिट दि यंगर दो दफा १७ साल तक लगातार वहां का प्रधान मंत्री रहा जब कि २५ साल की उम्र में प्रधान मंत्री हुआ था। इंगलैंड में कोई भी प्रधान मंत्री इतने समय तक नहीं रहा। तो यह तमाम उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि जहां शासन को, राज्य को चलाने की बात है वहां नौजवान आदमी ज्यादा अच्छे साबित होते हैं और नौजवान आदमियों के हाथों में ही काम करने की बागडोर देनी चाहिए। यह जो माननीय मंत्री जी ने ३ साल की अवधि बढ़ाई है इससे प्रदेश का नुकसान होगा और पंचायत विभाग जिससे उनका सम्बन्ध है उसमें ही ऐसा संशोधन करके वह एक नयी पद्धति अपनायेंगे और इसी का अनुसरण फिर दूसरे विभाग भी करेंगे। इसलिये इसको घटाकर फिर ५५ ही रखा जाय। राज्यकोष पर जो भार पड़ता वह भी कम हो जायगा और विभाग को क्षमता भी अधिक मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे संशोधन का समर्थन करेगा और आशा है कि मंत्री जी अपनी हठधर्मी को छोड़कर विचारपूर्वक इसे स्वीकार करेंगे। यह कोई ऐसा बड़ा प्रश्न नहीं है और मंत्री जी के लिये यह शोभा की बात होगी यदि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री रामस्वरूप यादव—अधिष्ठाता महोदय, मुझे केवल उत्तर में यह निवेदन करना है कि जैसा कि कई हमारे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इससे बेरोजगारी और बेकारी बढ़ेगी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या केवल सरकारी कर्मचारी और गांव पंचायतों के कर्मचारियों की संख्या जो चन्द लाख है, लाखों लड़के जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट पास करते हैं उन पर कोई असर करती है। सरकारी नौकरियों से बेकारी कभी दूर नहीं हो सकती।

मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह से बेकारी किस तरह से दूर होगी। अगर वह समझते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की या पंचायत राज के कर्मचारियों की नौकरी की अवधि बढ़ाने घटाने से बेकारी दूर हो सकती है तो वह गलत बात होगी क्योंकि लाखों लड़के हर साल पास होते हैं तो इससे उसका कैसे सम्बन्ध है। मुझे यह देख कर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि

इससे इतनी बड़ी बेकारी की समस्या कैसे दूर हो सकती है, इससे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सन् १९४७ के बाद सन् १९४९ में पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी जो उस समय करीब-करीब २० और ३० साल की उम्र के बीच में थे और अब से २५ साल के बाद यह प्रश्न ५५ या ५८ साल के रिटायरमेंट का आयेगा, उस वक्त तक वह समझ सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा। डेढ़ साल से जो राज्य कर्मचारियों की उम्र ५५ से ५८ की की गई उससे सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ा बल्कि जो विभागों में जरूरत बड़ी और अनुभवी लोगों की कमी के कारण जो असन्तोष था वह दूर हो गया और कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे कहा जा सके कि राज्य सरकार ने गलती की। यह ठीक भी था और जरूरी भी था कि अनुभवी लोगों का लाभ उठाया जाय और इसीलिये ऐसा किया गया।

यह भी कहना ठीक नहीं है कि ५५ साल तक रखने से कोई खर्च में कमी हो जाती है, ५५ साल पर ही करीब-करीब सब उस स्केल में पहुंच जाते हैं कि जितने में उन्हें जाना चाहिये। अगर दूसरी दृष्टि से भी देखा जाय तो ५५ साल के बाद भी आदमी की जिम्मेदारियां रहती हैं और यह कहना भी ठीक नहीं है कि वे इतना रुपया संग्रह कर लेते हैं जिससे वे अपना जीवन चला सकें, यह भी मेरी समझ से ठीक नहीं है। पंचायत राज के कर्मचारियों के लिये तो अभी पेन्शन की भी सुविधा नहीं है इसलिये यह चीज उनके लिये तो और भी उचित होगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय वर्मा जी से आशा करता हूं कि वह इसे स्वयं वापस ले लेंगे और वह सेक्रेटरीज के साथ न्याय करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि (१) नियम १७६ (१) (a) की पंक्ति ३ में अंक '५८' के स्थान पर अंक '५५' रख दिया जाय, (२) नियम १७६ (१) (b) के प्रतिबन्धात्मक खंड को निकाल दिया जाय और (३) संशोधन २ हटा दिया जाय।--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में २८,
विपक्ष में ५९।)

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप प्रचलन विधेयक, १९५९

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम के अनुसार ३ दिन पहले हमें विधेयक की कापी मिल जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मेरा ख्याल है नियम १३० है। इतना ही काफी है, आपको तो याद होगा ही।

श्री शिव प्रसाद नागर--१३० ही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--बिलकुल ठीक निकला श्रीमन्। उसमें, परन्तुक में, है कि "जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने से ३ दिन पूर्व उपलब्ध न कर दी गयी हों।" तो "उपलब्ध करने" के माने यहां पर डिस्पैच करने के नहीं है कि फलां तारीख को सदस्यों को भेज दी गयीं। मैक्सवेल के "इन्टरप्रिटेशन आफ स्टैट्यूट्स" के अनुसार भी "दी कांट रीड बिटवीन दि लाइंस।" तो मतलब यहां यह है कि सदस्यों को ३ दिन पूर्व प्रतियां मिलें, वह तैयार करके आयें और सब लिट्रेचर देख लें। अगर बिना पढ़े-लिखे आयेंगे तो क्या कानून बनायेंगे ? तो श्रीमन्, मेरा एतराज है कि वह उपलब्ध नहीं हुई।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

मैं अपना केस बता दूं। ४ तारीख को पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की बैठक में मैं था। लिखा है कि ३ तारीख को भेजी गयीं। अगर भेजी गयीं तो घर भेजी गयी होंगी। वहां से रिडायरेक्ट होकर मुझे कल शाम को मिलीं। तो खाली डाक में भेजना उपलब्ध नहीं होता है। हमने इस विधेयक को देखा भी नहीं कि इसमें क्या है और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के अन्य सदस्यों को भी, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, इसके अध्ययन का मौका नहीं मिला होगा।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य देखेंगे कि इसकी प्रतियां ३ फरवरी को डाक से भेज दी गयी थीं। दूसरे २३ जनवरी को जो प्रोग्राम भेजा गया उसमें यह स्पष्ट है कि ६ फरवरी को यह विषय लिया जायगा। तो यदि आपको यह प्रोग्राम मिल गया था और आप दो दिन पहले यहां आये हुये थे तो आप कापियां मांग सकते थे। रही डाक की बात, तो अगर आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में आये हुये थे तो अपने घर पर एक सूचना छोड़ आते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---कल शाम को यह कापी मिली। मैंने कोशिश की....

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठ जाइये। मैंने आपकी आपत्ति सुन ली। तो यह डाक से ३ फरवरी को भेज दी गई है। इसके बाद प्रोग्राम में भी यह छपा हुआ है कि यह विधेयक लिया जायगा, लिहाजा आपकी यह आपत्ति ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जैसा आपने फरमाया कि २३ तारीख को कार्यक्रम भेजा गया तो क्या उसमें यह छपा है कि यह विधेयक आज ही लिया जायगा?

श्री अधिष्ठाता---जी हां, इसमें छपा है कि इस विधेयक पर विचार तथा पारण आज के दिन होगा।

(श्री गोविन्द सिंह विष्ट के खड़े होने पर) आप कृपया बैठ जाइये।--- क्या आप कोई नयी बात कहना चाहते हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जी हां। प्रोग्राम कैसा, इसमें क्या संशोधन रखना है...

श्री अधिष्ठाता---देखिये, मैंने आपको व्यवस्था दे दी। अब आप बैठ जाइये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अगर ऐसे ही कानून बनता है तो बड़ी मुश्किल है। मैं सदन का परित्याग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---हां, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा न करें।

(श्री गोविन्द सिंह विष्ट ने सदन का परित्याग किया।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। नयी नियमावली के नियम १३८ को आप देखें। उसमें लिखा है---

"If notice of an amendment to the clauses or schedules of a Bill has not been given thirty-six hours before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved."

यद्यपि आपने अपनी रूलिंग के मुताबिक यह आर्डर दे दिया कि तीन दिन की लिमिट न लगायी जाय.....

श्री अधिष्ठाता---अवस्थी जी, जो मैंने कहा यदि आप उसे सुनते तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वह मैंने सुना। लेकिन उसी रूलिंग के आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जब हमारे सामने बिल है और आज के एजेन्डा में यह भी है कि इसको पारित किया जाय तो यह पूरे का पूरा बिल हर स्टेज पर आज पास किया जा सकता है। जो नियम १३८ मैंने कोट किया है उसके मुताबिक ३६ घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिये। अमेंडमेंट्स तो प्रापर कंसीडरेशन के बाद ही दिये जाते हैं। यदि आज ही इस पर जनरल डिस्कशन, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग भी हो जाती है तो अमेंडमेंट्स देने का टाइम नहीं रह जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह के हेस्टी मेजर्स लाना उचित नहीं होगा। बल्कि होना यह चाहिये था कि इन्ट्रोडक्शन के बाद आप यह रूलिंग दे दें कि फर्दर स्टेजेज आज नहीं लिये जायंगे।

श्री अधिष्ठाता—यदि आप मेरी बात सुने होते तो यह आशंका नहीं रहती। प्रोग्राम दे दिया गया फिर भी स्पीकर को अधिकार है कि आप कोई संशोधन देना चाहें तो वह लिया जा सकता है और आपसे आशा की जाती है कि आप उसे पढ़ लें। अगर आपने पढ़ा नहीं लेकिन संशोधन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं आपके संशोधन स्वीकार कर लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जब तक कोई बिल इंट्रोड्यूस न कर दिया जाय तब तक कोई अमेंडमेंट नहीं लिया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, लेकिन अब आप दे सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां। आज यह इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते थे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की परम आवश्यकता है और इसका कारण यह है कि हमारे अन्य राज्यों में इस बिल को पास कर लिया गया है और नये बाट बन रहे हैं और हमारे प्रदेश में अलीगढ़ वगैरह जहां बाट बनते हैं उनकी इंडस्ट्री खत्म होती चली जा रही है और दूसरे प्रदेशों को जा रही है। इसलिये इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि हम अपने प्रदेश की इस इंडस्ट्री को बचा सकें इसलिये इसके शीघ्र पारित करने की परम आवश्यकता है। यों हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में अनेक प्रकार की नाप और तौल की चीजें हैं और लगभग सारे देश में एक सेंट्रल सर्वे के मुताबिक ११४३ किस्म की नाम तोल की चीजें पाई गईं।

हमारे प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में देखें कि वहां पर अनाज के लिये ४० सेर का मन माना जाता है और राब के लिये ५२ सेर का माना जाता है। आजमगढ़ में भी एक उदाहरण आप देखिये कि गेहूं के लिये सात सेर का मन माना जाता है, घी के लिये ५२ सेर का और आटे के लिये ४० सेर का मन माना जाता है। इन चीजों में ही नहीं बल्कि धान में अलग तोल है तथा अन्य दूसरी चीजों में भी अलग-अलग तौल है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं पर पत्थर के बाट पाये जाते हैं, कहीं पर लोहे के बाट पाये जाते हैं और कहीं पर बांस के बाट पाये जाते हैं और कहीं पर लकड़ी का एक कुन्दा बना लिया जाता है और उसी से काम चलाया जाता है। इससे बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है और इससे काफी कठिनाइयां व्यापारियों को होती हैं और सबसे बड़ी भारी बात यह है कि जूट के लिये मैट्रिक सिस्टम १ जूलाई, १९५८ से चालू हो चुका है। टैक्सटाइल, लोहे, स्टील, इंजीनियरिंग, हैवी कैमीकल्स, कागज तथा पल्प इंडस्ट्री आदि में चीजों का आदान-प्रदान अक्तूबर, १९५८ से चालू हो चुका है। जूट में जुलाई से हो गया है और इन चीजों में अक्तूबर, १९५८ से चालू हो गया है। ऐसी सूरत में हमारे प्रदेश के जितने व्यापारी हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इंडियन एयर लाइन्स तथा गवर्नमेंट के दूसरे विभागों ने इसी तारीख से इसको अपना लिया है तो यह १ अक्तूबर, १९५८ (व्यवधान)। यह बड़ी कठिनाई अपने प्रदेश में महसूस कर रहे हैं। रेलवे और पोस्ट आफिस में भी हो जायगा। यद्यपि दो साल तक दोनों मेजर्स

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

चलेंगे मगर यह प्रदेश की सुविधा के लिए है। जल्दी पास करने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि २, ४ महीने का विलम्ब करने से हमारी इंडस्ट्री अन्य प्रदेशों को चली जायगी। और हमारे यहां के लोग बेरोजगार हो जायंगे। इसलिए इस इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए माननीय सदन को इसे शीघ्रातिशीघ्र पास कर देना चाहिए।

हमारे भाई श्री गोविन्द सिंह जी अगर इस बात को समझे होते और सुनने का कष्ट उठाया होता तो संभवतः आपत्ति भी नहीं करते और विरोध-स्वरूप बाहर जाने की भी तकलीफ शायद न उठाते। इसमें कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें कोई मतभेद हो सकता हो। यह ऐसा बिल है जिसमें किसी को कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही लाभ है। यह हो सकता है कि जो नये बाट बन रहे हैं मीट्रिक सिस्टम में किसी को मतभेद हो। मगर जब सिक्के के मामले में हमने बना लिया है तो कोई प्रश्न रह नहीं जाता है कि इसमें न बनायें। फिर पार्लियामेंट ने जब वेट्स ऐंड मेजर्स के सम्बन्ध में कानून पास कर दिया है और उसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया है तो इससे बाहर जाने की बात नहीं कि इसे न किया जाय। जब हमें करना ही है और न करने से हमारी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ सकता है तो जितनी जल्दी हो सके पारित किया जाय। मेरी दृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं आयी जिसमें कोई संशोधन देने की बात हो। किसी को दंड देना नहीं है। ऐसा विधेयक है जिससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता और इसमें कोई संशोधन आ भी सकता है मेरी समझ में नहीं आया। यही संशोधन आप ला सकते थे कि जनमत के लिए घुमाया जाय या सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। मैं अर्ज कर दूं कि हम चाहते थे कि इसको तुरन्त आर्डिनेंस द्वारा लागू कर दिया जाय। मगर ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि हम यह समझते थे कि यह माननीय सदन इस चीज को समझेगा और स्वीकार करेगा। इसको तो बिना बहस के पारित कर देना चाहिए यह हमारे ही हित में है।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धित प्रस्ताव कि उस पर विचार किया जाय, मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि इसे इस आदेश के साथ एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय कि वह तीन दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक वैज्ञानिक नाप तौल की व्यवस्था का प्रश्न है कोई भी इसमें दो मत नहीं हो सकते लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने कहा हमारे प्रदेश में इसकी विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है। एक गांव में कुछ व्यवस्था है और थोड़ी दूर पर दूसरे में कुछ। जैसा कि उन्होंने बताया बांस और लकड़ी के बांट भी हैं। पत्थरों के भी बांट हैं। कहीं पर पंसेरी पांच सेर की, कहीं पर ६ सेर की और कहीं ७ सेर होती है। इसके सम्बन्ध में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

मुझे अधिष्ठाता महोदय, क्यों यह संशोधन लाना पड़ा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय इसका एक विशेष कारण है। एक परम्परा है कि जिस किसी भी लेजिस्लेशन में दंड की व्यवस्था होती है उसको इस तरह से नहीं पास किया जाता कि अभी पेश हुआ और पारित कर दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है लेकिन मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि इसकी धारा २६ में ५ सौ रुपये तक के दंड की व्यवस्था है, धारा २७ में पांच सौ रुपये तक के दंड की व्यवस्था है, धारा २८ में अर्थदंड पांच सौ रुपये तक का हो सकता है और इसके साथ-साथ १ वर्ष की सजा भी हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। धारा २९ में अर्थ दंड से ५ सौ रुपये तक या १ वर्ष की सजा या दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार की इसकी धारायें हैं कि १ वर्ष की सजा या अर्थदंड या दोनों दंड का दंडनीय हो

सकता है। अधिष्ठाता महोदय, अगर इस तरीके के लेजिस्लेशन को जिसमें दंड की व्यवस्था हो बिना देखे हुये, या बिना संशोधन उसमें किये हुये, और बिना उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किये हुये पास कर देने में कोई औचित्य नहीं जंचता।

जहां तक मंत्री जी ने जल्दी की बात कही है उसके लिये मैंने तीन दिन की बात रखी है। तीन दिन में प्रदेश की इंडस्ट्री पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि सरसरी तौर पर देखने में इसमें कोई बात नहीं मालूम पड़ती लेकिन गौर से देखने पर हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें आ जायं। जैसे इसमें २ वर्ष की अवधि लिखी हुई है उसमें कुछ ढिलाई हो जाय। मेरा मत है कि यह जो नई नाप तोल की व्यवस्था है वह सरकारी कार्यों के लिये तो आप लागू कर दें लेकिन और लोगों के लिये, पब्लिक के लिये कुछ बिलम्ब लगाने की जरूरत है और उनको उन तक पहुंचने में अवश्य कुछ समय लगेगा। छोटे से लेकर बड़े घर तक, व्यापारी के पास इस नयी नाप तोल की प्रणाली को इतनी जल्दी लाने में कठिनाई अवश्य होगी। आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जैसे गिनती वगैरह की। हमारे प्रदेश में नारंगी का सैकड़ा कुछ और है और आम का कुछ और है। गांवों में अलग-अलग तरीके से सैकड़े होते हैं। किसी के लिये १२५ का, किसी के लिये १२० का और किसी के लिये १०० का सैकड़ा होता है। गांव-गांव में ऐसी व्यवस्था निकलेगी। हमारे यहां तो १४ गंडे का पुराना सेर होता था। बलिया जिले में १४ गंडे का सेर होता है और गाजीपुर में २८ गंडे का है। तो इसमें काफी व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी और इसी को देखते हुये और यह देखते हुए इस लेजिस्लेशन में दंड की व्यवस्था है और छोटे नहीं बड़े दंड की व्यवस्था है यह संशोधन मैं लाया हूं। तो इस दृष्टिकोण से अगर सिर्फ ३ दिन प्रवर समिति इस पर विचार कर ले और उसके बाद इसको पास करें तो इससे कोई खास परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जितने तर्क माननीय मन्त्री जी ने इस बिल को पेश करते हुये रखे हैं कि यह कठिनाई होगी तो उन कठिनाइयों को दूर करने में यह कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत सीधा सा है और मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे और ३ दिन के लिये इस पर लोगों को विचार करने का अवसर देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको उसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर उपस्थित करे।

श्रीमन्, मैं अपने संशोधन के ऊपर बोलने से पहले आपको और आपके द्वारा उपाध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नई प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक हमको जो अधिकार मिला है कि हर एक फाइनेन्शियल बिल के साथ एक मेमोरेन्डम मिलना चाहिये जैसा कि इस नियम १२१ में लिखा है कि:

"A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in bolder type or in italics."

तो इस नई प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक जो हमको अधिकार मिला है यह स्वागत के योग्य है क्योंकि इसी विधेयक के साथ हमको एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—यह मेमोरेन्डम इसके साथ दिया हुआ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां, इसके अन्दर है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसी प्रक्रिया के कारण हमको यह मेमोरेन्डम प्राप्त हुआ है अन्यथा पहले नहीं था। पहले यह मालूम नहीं होता था कि आगे उसके क्या प्रभाव होंगे। यह ज्ञापन जो हमको मिला है उसी के आधार पर हम आप से कहना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जिस बिल को हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत सरल बतलाया है और विवाद की आवश्यकता नहीं बतलाई है क्योंकि दूसरे प्रान्त वाले इसको कर रहे हैं तो मुझे यह कहने का साहस है कि इस विधेयक के साथ बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन इस देश में होने वाला है।

इसी के साथ एक बात यह भी है कि इस बिल को कार्यान्वित करने में सरकार के पास व्यय का तखमीना ६ लाख रुपये का है। जब ६ लाख रुपया व्यय होगा तब यह विधेयक कार्यान्वित हो सकेगा। लेकिन इस ६ लाख रुपये से उतना मुझे एतराज नहीं है जितना इस बात से है कि यह सरकार तो ६ लाख रुपया व्यय करेगी लेकिन उससे कहीं ज्यादा रुपया जनता से वसूल होगा। तब हम यह कह सकते हैं कि यह विधेयक एक कैश पेइंग यानी टैक्स मेजर है और यह विधेयक हमारे ऊपर कर का बोझ लादने वाला है। इसलिये मुझे यह कहने का साहस मिलता है कि इस विधेयक की छाया में सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी भी मुकर्रर होने वाले हैं तो उसी प्रकार से निरंकुश कार्य करने के लिये स्वतंत्र होंगे जैसे कि अन्य विभागों में पाये जाते हैं। हमारे देश और समाज में एक व्यवहार है कि हम अपने कार्य को शान्ति से करते हैं और जब तक किसी राजनीतिक अथवा अन्य किसी आन्दोलन में हम न पड़ें तब तक अपने निजी या घरू कामों में किसी का हाथ डालना पसंद नहीं करते। मैं अर्ज करूंगा कि यह एक क्रान्तिकारी बिल बन रहा है। यद्यपि यह सुधारवादी है और मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन चाहे इसको केन्द्रीय सरकार ने पास कर के हमारे लिये भेजा हो अथवा हमारी प्रदेशीय सरकार इसको आवश्यक समझ कर पास कराना चाहती हो, यह हमारे दैनिक जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला बिल है। मीट्रिक सिस्टम के एक अंग के रूप मे नये सिक्के हमारे यहां चालू हो चुके हैं और देखा गया कि उनमें कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं पड़ी और मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें कठिनाई इसलिये नहीं पड़ी कि उसमें जनता का कोई धन सरकार के पास नहीं गया। एक सिक्के को बदल कर दूसरा सिक्का उसी मूल्य का जनता पा लेती है, लेकिन इस बिल के द्वारा तो एक बड़ी परिवर्तनशील समस्या हमारे सामने रखी गयी है। यह जो नये मापक बाट होंगे इनके रूप को निश्चित करने का अधिकार सरकार को होगा और उनके चलन में किसी प्रकार की बाधा आने पर सरकार उसको कानूनतः रोकेगी और जो लोग बाधा डालेंगे उनको सरकार दंडित भी करेगी। एक प्रकार से यह बिल न केवल टैक्सेशन बिल है वरन् पनिशिंग बिल भी है जो नये प्रकार के बाटों को बनायेगा और नये प्रकार से दंडित भी करेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि हमारे ज्ञापन पत्र में बताया गया है कि ६०,००,००० खर्च करने के साथ साथ शुल्क भी वसूल किया जायगा और उसके साथ-साथ जो उनके निर्माणकर्त्ता होंगे और जो व्यापारी होंगे उनको जो हम लाइसेंस देंगे उनका हम नवीनीकरण भी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--आप लोग कृपया शान्त रहें, सदन में बातचीत बहुत हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो उनसे जो शुल्क लेंगे वह हमारी एक नियमित आय हो जायगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हम शुल्क भी लेंगे और लाइसेंस भी देंगे बनाने वालों को। तो लाइसेंस देने की जो प्रणाली हमारे यहां चल पड़ी है उसमें हम पार्टिजनशिप में चलते हैं और इसका फल यह होगा कि आगे चल कर किसको अपनाया जाय और किसको दुराया जाय यह बहुत व्यापक रूप से बढ़ेगा। इससे सरकार को टैक्स मिलेगा, लेकिन इन्डाइरेक्ट रूप में वह जनता ही पर पड़ेगा। हमारे जितने भी बाट अब तक होते थे वे बाजार में फ्रीली मिल जाया करते थे और उन पर सरकार की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन अब तो सब सरकार द्वारा ही मुद्रित होंगे, जैसा सिक्कों में हुआ करता है और वे निश्चित क्षेत्रों में

ही निर्माण हो सकेंगे और उनकी चेकिंग के साथ साथ जो उनको बनावेंगे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम कह सकेंगे कि यह एक सारी कंट्रोल्ड चीज होगी जो सरकार द्वारा हर कदम पर नियंत्रित रहेगी। यह खर्चा जो होगा उसमें आधा हिस्सा (केन्द्रीय) सरकार देगी और आधा हिस्सा प्रदेशीय सरकार लगावेगी और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन बाटों और मापों के संगठनों के बारे में ऋण देने की भी व्यवस्था है कि सरकार इसमें मदद देगी। मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस नये परिवर्तन को लाने के लिये सहायता दे रही है, लेकिन हमें देखना यह है कि यह नया परिवर्तन जो हमारे दैनिक जीवन के हर अंग में आने वाला है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा और कहां तक यह जनता में एक्सेप्टेबल है। मैं आपका ध्यान इस बिल की चन्द धाराओं की ओर आकर्षित करूं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनमें यद्यपि कुछ प्रारम्भिक धाराओं में बतलाया गया है कि कुछ स्टैंडर्ड होंगे और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक माप होंगे, लेकिन उसके साथ साथ द्वितीय मानक भी है जिसके द्वारा यह तुलेंगे या उनकी जांच हुआ करेगी। इनके साथ हमको बताया गया है कि इन मापों और बांटों को व्यवहार में लाने के लिये किसी किसी हद तक उनको हम नियमित रूप से प्रख्यापित करते रहेंगे। सेक्शन ७ (१) में कहा गया है कि "किसी अन्य विधि या रूढ़ि, प्रथा या चलन में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे क्षेत्र में अथवा माल या व्यवसाय संस्थाओं के ऐसे वर्ग के जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में या किसी व्यवहार या संविदा या किये जाने वाले किसी कार्य में अथवा बेचे जाने वाले या दिये जाने वाले किसी माल के लिये मानक बाटों या मापों के अतिरिक्त कोई धन अथवा माप की इकाई प्रयोग में नहीं लाई जायगी।"

श्रीमन्, यह तो बहुत ही क्रान्तिकारी बात है। मंत्री जी ने अभी बतलाया कि कोई काठ का डब्बू होता है। उसको ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। मैं मानता हूं कि पुरानी विधियों का महत्व है लेकिन क्या सारा ग्रामीण क्षेत्र इस नये परिवर्तन के साथ होगा? हमें चाहिये कि हम उनकी वृत्ति का भी ध्यान रखें। श्रीमन्, आप देखें कि जितने भी बाट हैं, माप हैं उनको एकदम बदलने में हमारे जीवन में कितना खर्चा बढ़ जायेगा। हर छोटे छोटे व्यापारी, मसलन गल्ले का व्यापारी है उसको एक आधी छटाक से लेकर एक मन के बटखरे तक, जो भी इस सिस्टम के होंगे उसको लाने के लिये उसे काफी खर्च करना पड़ेगा। यह धन एक छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक को खर्च करना पड़ेगा। प्रत्येक काश्तकार को करना पड़ेगा। उसे प्रत्येक विधि और रूढ़ि को करना पड़ेगा अन्यथा वह दंड का भागी होगा। इस नये खर्च को उठाने में उसके स्वभाव को नहीं देखा जायगा और न उसको इसे समझने का मौका दिया जायगा और न उसकी सहायता ही की जायगी बल्कि ऐसा न करने पर उसके लिये ६ महीने की सजा और ५०० रुपये तक दंड देने की व्यवस्था की गई है।

इस संबंध में मुझे इस समय केवल इतिहास की एक कथा, एक ही उदाहरण ध्यान में आ रहा है। चौदहवीं शताब्दी के समय मोहम्मद तुगलक ने कुछ ऐसा ही करना चाहा था। उसने यह चाहा था कि उस समय जो सोने और चांदी का सिक्का चलता था उसे बदल कर उसकी जगह तांबे का सिक्का लाये। परिणाम यह हुआ कि आज यह कहा जाता है कि वह एक बहुत ही योग्य बादशाह होते हुये भी बेवकूफ साबित हुआ जैसा कि अंग्रेजी में "वाइजर इज दि मोस्ट फूल" कहा जाता है। आज मैं नहीं कह सकता कि सरकार योग्य है और उसके मूर्ख साबित होने की गुंजाइश है, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तनों के समय जो कि जनता को ग्राह्य होने में दिक्कतें पैदा करते हैं उनको किसी कानून के द्वारा लाने में हमेशा दिक्कतें पैदा होती हैं। मैंने अभी आपके सामने रखा कि मुद्रा के लाने में आपको जो कामयाबी हुई है उसमें और इसमें बहुत बड़ा अन्तर है। इसमें हर एक को पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहां तक कि इसमें एक धारा १३ है जिसमें कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति सीलबंद पैकेट अथवा पात्र में कोई

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वस्तु तब तक न बेचेगा, न बिक्री के लिये प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित करेगा, और न बिक्री के लिये अपने कब्जे में रखेगा , जब तक कि उस पैकेट अथवा पात्र पर अथवा उस पर सुरक्षित रूप से लगे लेबिल पर उसमें बन्द वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप अंकित न हो।

भला आप सोंचे कि कोई भी सीलबंद पैकेट खोला जा सकता है और अगर उसके भार में कमी पायी गयी तो उसको डिटेन किया जा सकता है । अभी तक तो मेल (चिट्टियों) में ही सेंसरिंग होता था लेकिन अब तो वह सेंसरिंग आफीसर को पकेट तक खोलने का अधिकार होगा और वह देखेगा कि उसमें उतना ही भार है या नहीं जितना उस पर लिखा है और लिखा होना भी लाजिमी है । यह देखने में तो बहुत ही निर्दोष विधेयक मालूम होता ह, लेकिन जब इसके मुताबिक पावर उन अधिकारियों को दी जायगी जिनकी गवर्नमेंट कभी-कभी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है, लेकिन उनकी निरंकुशता सब को पीछे छोड़ जाती है । आज हमारा ग्रामीण जब सेल्स टैक्स इंसपेक्टर के पास जाता है तो उसका कितना भयानक रूप दिखायी देता है । तो छोटी-छोटी बातों जैसे तौल माप में कंट्रोल लगाने से सोसाइटी में अस्त-व्यस्तता फैल जायगी, यह गौर करने की बात है । मंत्री जी यह न समझ लें कि मैं कोई इस परिवर्तन का विरोधी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो भी परिवर्तन हों वे व्यावहारिक हों । मंत्री जी का प्रस्ताव है कि इसको ५ बजे तक पास कर दिया जाय । अगर वह जल्दबाजी में पास कर दिया गया तो कल से ही धर-पकड़ शुरू हो जायगी । जब लोग पकड़े जायंगे तब कहीं जाकर वह देखेंगे कि वह कानून क्या है । इसलिये इस कानून को हज्म करने के लिये जनता को मौका चाहिये । मंत्री जी कहेंगे कि हमने बहुत से पर्चे छपवा कर लोगों में बंटवा दिये हैं । उसमें तस्वीरें उसकी अवश्य हैं । लेकिन वह चित्र आपके कमरे तक ही सीमित है और चित्र ही है । लोगों ने उसको चित्र ही समझा है । जब लोगों को व्यावहारिक रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा और पुराने बटखरों को रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा और नये बटखरों को न रखने के जुर्म में दंड भुगतना पड़ेगा तब मालूम होगा कि लोगों में इसके विरुद्ध कितना रोष है । इसके लिये मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त आप सोशलिस्ट पार्टी को दोषी ठहरायेंगे कि उसने जनता को ऐसा बहका दिया । निरीक्षण आदि करने का अधिकार दफा १६ में दिया हुआ है जो इस तरह से है ।

"१६-(१) निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में समस्त उचित समयों पर ऐसे बाट, माप तथा तोलने और मापने के यंत्रों का, जो व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होते हों, या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति के कब्जे में हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी भू-गृहादि में हों, निरीक्षण कर सकता है, तथा प्रत्येक बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र का, द्वितीय अथवा कार्यमापक बाट अथवा तौलने या मापने के यंत्र से परीक्षण कर सकता है ।

(२) किसी व्यवहार में प्रयुक्त किसी बाट या माप की शुद्धता का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक व्यवहार के दौरान में बेची गई अथवा दी गई किसी वस्तु के भार अथवा माप का भी परीक्षण कर सकता है ।"

इस तरह से निरीक्षक किसी के भी मकान में घुस कर तलाशी ले सकता है और किसी माप की जांच करने के लिये किसी मौके पर भी उसको रोक सकता है । इस तरह से एक्सेस आर्बिट्रेरी पावर्स उसको दिये गये हैं । यद्यपि नयी प्रक्रिया नियमावली में दी हुई है कि जो भी पावर डेलिगेटेड किये जायेंगे वे हाउस के अन्दर रखे जायंगे और हो सकता है कि बाद में वह हाउस के सामने आवे तो उसको हम देख सकें । यह बिल तो सारा का सारा डेलिगेटेड पावर्स से ही भरा पड़ा है, हर स्टेप पर डेलिगेशन है कि कौन अधिकारी, किस स्थान पर किस समय माप आदि का निरीक्षण कर सकता है । खेती तो अच्छी दिखायी देती है, लेकिन जब उसमें से सांप और बिच्छू निकलेंगे तब मालूम होगा कि असलियत क्या है । निरीक्षण करने वाले को इसमें यहां तक अधिकार दिया गया है कि वह माप की जांच करने के लिये कोई तौली

हुई चीज को दोबारा तौलवा सकता है। अब आप स्वयं सोचें कि किस तरह से सारे जीवन को अस्त-व्यस्त किया जा सकता है। इस तरह से निरीक्षण करने वाले आफिसरों का भूत हरदम जनता के सामने मौजूद रहेगा जिससे एक भयंकर तूफान पैदा हो सकता है। कहा गया है कि अगर आप एक तूफान पैदा करेंगे तो उस तूफान का मुकाबला आपको ही करना पड़ेगा। तो यह एक तूफान पैदा करने की प्रवृत्ति जो हमारे सामने रखी जा रही है वह बहुत ही गलत चीज है। इसमें जो दंड की व्यवस्था रखी गयी है वह भी किसी रूप में कम नहीं है। दंड की जो व्यवस्था की गयी है वह मैक्जिमम ६ महीने की सजा और ५०० रुपये जुर्माना है। इसका नतीजा यह होगा कि कचहरियों के अन्दर जाकर जनता को तमाम परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आजकल जिस तरह की दिक्कतें अदालतों में होती हैं कि आदमी मुसीबतों में पड़ जाता है और अपनी जान बचाना भी उसके लिये मुश्किल हो जाता है। आज कल जो अधिकारी हैं ये व्हिम के अन्दर काम करते हैं और अगर कोई उनके सामने जाकर माई-बाप कह कर अपनी जान बचा ले तो बचा ले, नहीं तो कदम कदम पर आफिसरों की तरफ से रुकावटें पैदा की जाती हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वे टेररार्इजिंग वे में काम करते हैं। उसको शायद हमारे माननीय सदस्यों को पढ़ने का मौका इसलिये नहीं मिल पाया है कि अभी यह मेज पर रखा गया है और प्रथम दिन होने के कारण बहुत से सदस्य आये भी नहीं हैं। संशोधन देखने से पता चल जायगा कि यह विधेयक हमारे दैनिक जीवन पर असर डालता है और इससे बड़ी अस्तव्यस्तता पैदा होने वाली है। हो सकता है कि इससे लोगों में बड़ी अशान्ति पैदा हो जाय। इसलिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे क्रान्तकारी विषय को इतनी जल्दी में पास न करें।

मुझे यह भी मालूम है कि मीट्रिक सिस्टम का बिल जब लोकसभा में पास हुआ तो वहां भी जल्दी में पास हुआ और हमारे हाउस की तरह वहां भी बहुत ही कम लोग हाउस में बैठे हुए थे। वहां भी लोग इसके प्रास ऐण्ड कान्स को नहीं समझ पाये थे। मैं राजगोपालाचार्य के शब्दों को याद दिलाना चाहता हूं जिनमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि यह सरकार मुहम्मद तुगलक के रास्ते पर चल रही है और जिसको वह नहीं करा सकी उसको यह कराने की कोशिश कर रही है और कहीं इसका वही परिणाम न हो जो उस बादशाह के जमाने में हुआ। मैं राजगोपालाचार्य की बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अज्ञान व व्यवहार को देखकर मैं इतना कह सकता हूं कि वे इन चीजों को जल्दी समझ नहीं पायेंगे।

इसका विरोध मैं इसलिये भी करना चाहता हूं कि सरकार इसकी आड़ में हम पर टैक्स लादना चाहती है। मैं तीन बातों के कारण इस बिल का विरोध करता हूं एक तो यह टैक्सेशन बिल है, दूसरे इस बिल के द्वारा अधिकारियों को आप निरंकुश अधिकार दे रहे हैं, तीसरे यह बिल इतनी जल्दी में पास किया जा रहा है कि बजाय जनता का हित करने के यह हानिकारक साबित होगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस बिल को उपस्थित न करे और जनमत के लिये इसे वितरित करे। यद्यपि मेरा प्रस्ताव इस संबंध में यह नहीं है, मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार इसे शीघ्रता से पारित नहीं करेगी। सरकार के पास कोई कानून नहीं था जिसकी वजह से वह इसे लाई। यों तो बड़े-बड़े कानून उसके पास पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल को मुख्य मंत्री जी ने नवम्बर-दिसम्बर में लाने के लिये वादा किया था।

श्री अधिष्ठाता---आप इसी पर सीमित रहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस बिल को सरकार बहुत आवश्यक समझती है और सबसे पहले लाना चाहती है और बहुत जल्दी में पास करना चाहती है। इन तीनों बातों को देख कर मालूम होता है कि सरकार के पास कोई सोचने वाली बात रह नहीं गयी है और वह यह समझती है कि यही सबसे उत्तम तथा सरल बिल है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री का ज्ञान शायद मैदानी क्षेत्रों के संबंध में अभी बहुत कम है। उनकी भाषा व बातचीत बतलाती है कि वे मैदानी क्षेत्र में मोटर पर चढ़ कर जाड़े में यदाकदा गये होंगे, तपती हुई धूप में नहीं गये होंगे, उन्होंने जलते हुए छप्पर नहीं देखे होंगे, इसीलिये वह इस बिल को लाये। ऐसा न हो कि उनको इसमें सफलता न मिल कर असफलता मिले और उनको यह दोष लगाने का मौका मिले कि पोलिटिकल पार्टीज इसे असफल बनाना चाहती हैं। क्योंकि यही एक हथियार उनके पास रह जाता है जब उनके पास कोई और हथियार नहीं रहता। यह प्रस्ताव है जो बहुत सीधा सादा है, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि इसे हम प्रवर समिति के सुपुर्द करें और मौका दें जिसमें प्रवर समिति में बैठकर उसको देख लें। मैंने उसके लिये १ माह की अवधि रखी है, उसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिये, जनता के सुख के लिये इतनी जल्दी में पास न करें जिससे आगे चल कर वह चीज आपके लिये बुरी साबित हो। मैं चाहूंगा मंत्री जी ध्यान देंगे। यों तो मंत्री जी दूसरे की बात सुनना पसन्द नहीं करते हैं, पिछले दो साल के अनुभव से कह सकता हूं कि इधर से जो संशोधन सदिच्छा से भी आये उनको भी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिये मैं फिर जोर दे कर कहना चाहता हूं कि सरकार इस सुन्दर प्रस्ताव को स्वीकार करे और अपनी सद्बुद्धि का परिचय दे।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैंने अपने से पहले वक्ता का भाषण बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने इस विधेयक का तीन आधारों पर विरोध किया। मेरा विचार है कि इस विधेयक में टैक्सेशन की कोई खास बात नहीं है। यह जरूर है कि जो नये बाट और नाप के साधन बनेंगे उनमें कुछ गड़बड़ न हो जाय इसके नियन्त्रण के लिये अधिकारी वर्ग की स्थापना जरूरी है जो रखी गई है और मेरा विचार यह है कि अधिकारी वर्ग जब तक नहीं रखा जायगा तब तक यह सुधार नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस विधेयक में उनका रखना जरूरी था। जब अधिकारी वर्ग को रखेंगे तो नापों के नियंत्रण के लिये वह व्यवस्था करेंगे और जो उन नियंत्रणों को तोड़ेंगे उसमें जो थोड़ा बहुत अर्थ दंड होगा उसकी भी व्यवस्था करना आवश्यक था। इसलिये इन छोटी बातों के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता। मैं यह जरूर मानता हूं कि जब से दुनिया बनी या जब से राज्य शासन कायम हुआ है मुद्रा का तो अधिकार राज्य के पास था लेकिन बांट और नाप का अधिकार अभी कुछ दिनों से सरकारों ने अपने हाथ में लिया। हमारे देश में बाट सैकड़ों किस्म के हैं। मेरा अनुभव यह है कि सिक्के के बारे में जो भारत सरकार ने किया उसके लिये भी उन्होंने तीन वर्ष की अवधि दे करके जनता को उन कठिनाइयों से बचाया है जो उसके सामने आ सकती थीं। इसके साथ ही उसमें कुछ अधिक परिवर्तन नहीं किया। रुपया, आना, पैसा यह तीन चीजें थीं, जिसमें से दो चीजें रख लीं और दशमलव प्रणाली में उनको रखा। अब जो बाट के बारे में सरकारी योजना बनायी जा रही है उससे जनता को कष्ट होने वाला है। नाप कपड़ा या दूसरी चीजों में होता है और वह थोड़ी ही चीजों में होता है उसका हम नये ढंग से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बाट के संबंध में, मैं एक छोटी सी व्यापारिक संस्था का काम करता हूं जिसके अनुभव पर मैं यह समझता हूं कि बाटों के परिवर्तन में दिक्कतें पेश हो सकती हैं। खास कर उस हालत में जब कि नाम विदेशी होंगे। हिन्दी में एक कहावत है, ५२ तोला पाव रत्ती, चावल, रत्ती, माशा, तोला इन सबको बदल कर केवल अंग्रेजी ढंग के नाप या बाट रखना मेरी राय में जनता के लिये ठीक नहीं है। जिस प्रकार भारत सरकार पैसे के मामले में कुछ और सोचती थी लेकिन जनता की मांग को देख कर उसने नया पैसा नाम रख करके अपने को उस संकट से बचाया। मेरी राय में तोला, सेर, पंसेरी आदि जो नाम हैं उनको फिर भी कायम रखा जा सकता है। अभी मैं कुछ देर पहले डाकखाने में था। वहां पर किलोग्राम का एक विज्ञापन चिपका हुआ था। उसके नीचे लिखा है कि एक किलोग्राम बराबर है १ सेर ६ तोले के। अगर परिवर्तन करना है तो सरकार ऐसा कर सकती है कि वह नया सेर रख दे और उसको एक किलोग्राम के बजाय एक सेर

रखे और मौजूदा ८० के बजाय ८६ तोले का वह हो जाएगा। इस प्रकार से जो जनता में भ्रांति पैदा हो गई है, उसका निवारण किया जा सकता है। मेरा प्रयोजन मोटे तौर पर यह है कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उसमें जो परिवर्तन है दशमलव की प्रणाली का उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारा देश अंधाधुंध बहुत सी चीजों को पकड़ना चाहता है, वह उचित नहीं है। हमारे इस संसार में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने आज भी दशमलव प्रणाली को अपने यहां स्वीकार नहीं किया है। क्या वहां ठीक तरह से काम नहीं होता है? अगर वहां हो सकता है, पच्चीसों देशों में हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। लेकिन जब हमारी सरकार ने दशमलव प्रणाली को स्वीकार कर लिया है तो इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया है कि हम अपनी भारतीय रूपरेखा को न छोड़ें। मैं समझता हूं कि भारत सरकार से विधेयक स्वीकार होने के बाद शायद हमारे मंत्री जी के लिये यह संभव नहीं होगा, लेकिन वह भारत सरकार के इससे संबंधित मुहकमे तक इस बात को पहुंचा सकते हैं कि इनका नाम मिलीमीटर, सेंटीमीटर इत्यादि न हो, और उनके देशी नाम रक्खे जा सकते हैं और सुविधा से उनका प्रसार किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विधयक का स्वागत करता हूं।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक जो आज प्रस्तुत किया गया है, उसे पढ़कर मुझे महान् ताज्जुब हुआ। अवस्थी जी ने प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन रक्खा है जो संशोधन एक पार्लियामेंटरी पद्धति के पूर्ण अनुकूल था, लेकिन मुझे यह सुनकर भी महान् ताज्जुब हुआ और हैरत हुई कि हमारे वयोवृद्ध नेता श्री दीनदयालु जी शास्त्री को वह संशोधन स्वीकार नहीं है और उन्होंने उसका विरोध किया। अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि उन्होंने भी इस विधेयक का दबे शब्दों में विरोध किया है।

एक बात पुनः अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय तथा सदन के सभी सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अवस्थी जी का संशोधन स्वीकार करें या न करें, लेकिन आपको एक बार कम से कम इस विधेयक को सरसरी नजर से पढ़ने की कृपा करनी चाहिये। अगर आपने सरसरी नजर से भी इस विधेयक को पढ़ने का प्रयत्न किया तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग ही नहीं बल्कि इस मांग के लिये विवश होना पड़ेगा कि यह विधेयक तुरन्त वापस ले लिया जाय। इस प्रजातंत्र के युग में असीम तानाशाही अधिकार इस विधेयक के द्वारा दिये जा रहे हैं। मैं अपने उन वयोवृद्ध राणा साहब जो कि मेरे तानाशाही शब्द कहने पर व्यंग कर रहे हैं, उनका ध्यान पृष्ठ ८ पर अध्याय ४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो उन शब्दों को सदन के समक्ष पढ़कर सुना दूं। इसमें २२ वें खंड में लिखा है:—

> "जो व्यक्ति इस धारा के प्रारम्भ में तीन मास के पश्चात् व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार के दौरान में किसी वस्तु को मानक बाटों तथा मापों से भिन्न बाट या माप के अभिधान से बेचता है या बिकवाता है अथवा देता है या दिलवाता है, वह प्रथम अपराध के लिये अर्थ-डंड से दंड्य होगा, जो ५०० रुपये तक हो सकता है तथा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये, कारावास, से जो तीन मास तक हो सकता है, अथवा अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।"

मैं विनम्र शब्दों में आदरणीय राणा साहब से, जो इस सदन में कुर्सी पर बैठे व्यंग कस रहे थे, जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसके खंड २२ को पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो वह सदन में बतायें कि इसमें जो यह साफ लिखा है कि "जो व्यक्ति इस धारा के प्रारम्भ से ३ मास के बाद भी इन बाटों का प्रयोग न करेगा अपराधी घोषित होगा और जुर्माने का भागी होगा और उसे दंड दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जायगा। मैं इस सदन में बैठे हुये मंत्री से लेकर मेम्बर तक को चैलेंज करता हूं कि अगर किसी में साहस हो तो नई प्रणाली के जो बाट प्रयोग होने जा रहे हैं उनके विषय में बताने की कृपा करें कि उन बाटों के नाम क्या हैं और उनका परिवर्तन पुराने बाटों से किस प्रकार होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बगैर इस किताब को देखे हुये सदन का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। उनको स्मरण शक्ति से सुनाना तो दूर रहा उनकी संख्या भी कोई नहीं बता सकता।

अधिष्ठाता महोदय, देश में दशमलव प्रणाली के सिक्कों का प्रचलन हुआ और उसके लिये पहले से ही काफी प्रचार किया गया, रेल में, बाजार में हर जगह सरकारी कार्यालयों में विज्ञापन, पोस्टर्स और साइनबोर्डों आदि के द्वारा प्रचार किया गया कि इस तरह से उनका प्रचलन होगा और उसमें एक बुद्धिमानी यह बर्ती गई कि उसके छोटे सिक्के का नाम 'नया पैसा' रखा गया लेकिन नाप और बाटों के सम्बन्ध में कोई हिन्दी नाम मीटर प्रणाली लाने वाले सज्जनों को नहीं मिला। अंग्रेजी के महान् विद्वान् जिनका जीवन अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी अंग्रेजियत और अंग्रेजी के मोह को नहीं भूला, उन्होंने देश की जनता में अपनी उस विदेशी भाषा का प्रचार करने के लिये आम जनता के जीवन में फिर से अंग्रेजी लाने के लिये, अंग्रेजी शब्दों की रचना करके आज पुनः अंग्रेजी के प्रचार की घोषणा की है। आप चाहे अंग्रेजी का प्रचार करें चाहे राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रचार करें यह प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि इस देश की जनता आज की स्थिति में उन शब्दों का ठीक उच्चारण भी कर सकेगी जिनका हम लोग तक उच्चारण नहीं कर सकते ? जिनको कभी सुना नहीं, जिनकी जानकारी नहीं उनका नाम हमारे सामने आ रहा है।

इसके अतिरिक्त जब हमारे यहां नये सिक्कों का प्रचालन किया गया था तो इस तरह का कोई अर्थ-दंड नहीं रखा गया था और न कोई जेल जाने की बात थी और उसको क्रिमिनल आफेंस नहीं माना गया था कि यदि कोई नये सिक्कों का प्रयोग नहीं करेगा तो उसको सजा दी जायगी। लेकिन २२ वीं धारा के बढ़ाने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि नये बाटों का प्रयोग न करना क्रिमिनल आफेंस होगा और ऐसे केसेज पर साधारण न्यायाधीशों द्वारा विचार न होगा बल्कि उस पर विचार करने के लिये कम से कम प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट होना चाहिये। तो जब प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश साधारण अभियोगों की जांच या सुनवाई नहीं करते, बड़े-बड़े आफेंस, बड़े-बड़े अभियोग ही उनके सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं तो यह नये बाट और उन बाटों का योग एक प्रकार का क्रिमिनल आफेंस घोषित किया जा रहा है कि प्रथम श्रेणी से कम का मैजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई भी नहीं कर सकेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर तीन महीने बाद इस देश के अगर किसी साधारण खोमचे वाले या एक साधारण किसी सब्जी बेचने वाले के पास वह मीटर प्रणाली के सरकार द्वारा घोषित बाट नहीं हुए तो उसको गिरफ्तारी से कैसे बचा सकेंगे ? क्योंकि इसमें तो आफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर खरीदते या बिक्री करते हुए कोई व्यक्ति दूसरे बाटों के द्वारा बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। तो एक ऐसा तानाशाही का अधिकार इस सदन के द्वारा इस बाट और नाप की प्रणाली के द्वारा हस्तगत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रदेश के साढ़े छः करोड़ जनता का सम्बन्ध नाप और बाट से है। उसके समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, सूझ-बूझ की आवश्यकता है, जनता को उसकी ट्रेनिंग, शिक्षा-दीक्षा देने की आवश्यकता है। आज जबकि भारत के चारों ओर तानाशाही राज स्थापित होता जा रहा है। तो इस प्रदेश की सरकार भी क्यों पीछे रहे ! चाहे इस देश में तानाशाही कायम हो या न हो, लेकिन कम से कम हमारी सरकार में, इस विधेयक को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कि तानाशाही मनोवृत्ति आ चुकी है। सैनिक तानाशाही हो या न हो, लेकिन हमारे मंत्री महोदय अपनी तानाशाही मनोवृत्ति का पूर्ण परिचय देते हुए इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका फल क्या

होगा ? मैं नहीं कह सकता। देश के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर एक छोटे से छोटा इस देश का व्यक्ति तानाशाही के विरोध में है। वह नहीं चाहता कि तानाशाही कायम हो।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अभी कुछ दिनों पूर्व जबकि हमारे प्रदेश के राज्यपाल आगरे पधारे थे तो हम लोग उनसे मिले। पाकिस्तान की तानाशाही कायम होने के बाद हमने उनसे एक प्रश्न किया कि आपकी इसमें क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि अब चाहे सैनिक तानाशाही हो या कम्युनिस्ट तानाशाही वह बड़ी तेजी से एशिया में स्थापित होती जा रही है। प्रजातंत्र के लिए एक दीपक सिर्फ भारत में टिमटिमा रहा है, पता नहीं यह कब बुझ जाय। आज यह दीपक आशा की किरण है, इसी के द्वारा प्रजातंत्र की रक्षा होने की कोई आशा की जाती है। अगर यह भारत में भी बुझ गया तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिये प्रजातंत्र का नाम मिट जायगा।

लेकिन इस विधेयक के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करने लगे हैं कि हमारे इस प्रदेश की सरकार भी जनता पर प्रचार, विज्ञापन और कानून का कोई प्रयोग न करके अब तानाशाही मनोवृत्ति कायम करके प्रदेश की जनता से अपनी बात मनवाना चाहती है। आज माप और बाटों का प्रचार करने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए सिर्फ ३ महीने का समय देने के बाद उनका प्रयोग न करने वालों के लिए क्रिमिनल आफेंस डिक्लेयर करना, कारावास और जेल का अर्थ दंड देना यह इस मनोवृत्ति का परिचायक है कि अब हमारी सरकार तानाशाही हथकंडों के द्वारा देश की जनता से अपनी बात मनवाना चाहती है।

देश में दशमलव प्रणाली के सिक्कों का प्रचलन काफी प्रचार के बाद किया गया, लेकिन आज लगभग २ वर्ष इस सिक्कों की प्रणाली को लागू होते हुए हो गये, आज अभी पूरे सिक्के भी जनता के सामने नहीं रखे गये। एक नये पैसे, दो नये पैसे, ५ नये पैसे, १० नये पैसे के सिक्के ही आम जनता के सामने आये हैं, लेकिन २५ नये पैसे और ५० नये पैसे के सिक्कों को सरकार ने ढालना अभी प्रारम्भ नहीं किया। नये सिक्कों के लिये तीन वर्ष की अवधि रखी गयी थी और यह बतलाया गया था कि इस अवधि के दौरान में जनता नये और पुराने दोनों सिक्कों का आदानप्रदान कर सकती है और उसके लिये एक परिवर्तन तालिका भी निश्चित की गयी थी। सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि तीन वर्ष के उपरान्त सरकार पुराने सिक्कों को वापस ले लेगी और देश में पूर्णतया नये सिक्कों का ही प्रचलन होगा लेकिन हमें यह आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब दो वर्ष में सरकार पूरी तरह से नये सिक्कों को ढाल भी नहीं सकी तो इस तीन वर्ष की अवधि को भी बढ़ा देगी। इन दो वर्ष के दौरान में आम जनता ने नये सिक्कों को पूरे तौर से अंगीकार भी नहीं किया जबकि पहले से उनका काफी प्रचार और विज्ञापन किया गया था। लेकिन इस नयी माप और बाटों की प्रणाली के लिये जिसका सम्बन्ध देश के हर क्षेत्र में होगा केवल तीन महीने का अवकाश दिया गया है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो प्रचार किया जा रहा है उसमें देश के इस समय प्रचलित बाट और नये बाटों की परिवर्तन तालिका भी दी गयी है। लेकिन जब तीन महीने के बाद वर्तमान बाटों का कोई प्रयोग ही हम नहीं कर सकेंगे, आप तीन महीने बाद यकायक एक आज्ञा निकाल देंगे कि इन बाटों का प्रयोग करने वाला अपराधी घोषित कर दिया जायगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी तो फिर इस परिवर्तन तालिका का प्रचार करने से लाभ ही क्या है ?

यही नहीं, मैंने जो तानाशाही की बात कही उस सम्बन्ध में आगे बताना चाहता हूं कि यदि आप इन धाराओं को और देखें तो आप पायेंगे कि माप के निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी वाणिज्य, व्यवसाय के गोदाम में या व्यवसायी के घर में जाकर जांच कर सकता है और वहां पर रखे हुये समस्त बाटों को अपने अधिकार में ले सकता है और उनको नाप तौल सकता है। इसमें ऐसा कोई भी प्राविजन नहीं है कि वह व्यापारी से या व्यापारिक केन्द्र के कर्मचारियों से किसी प्रकार की आज्ञा भी लेगा या नहीं कि वह उस घर की तलाशी ले। वह चाहे किसी भी वस्तु को अपने कब्जे में ले लेगा। चूंकि मैं स्वयं एक

[श्री जगन्नाथ हसरी]

व्यापारी हूं उसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं जिन बाटों का प्रयोग करता हूं वे बाट यदि मेरे व्यापारिक केन्द्र स्थल में पाये जाते हैं और मीटर प्रणाली के बाट भी पाये जाते हैं तो माप निरीक्षक यह समझेगा कि मैं अपने ग्राहकों को देने के लिये पुराने बाटों का प्रयोग करता हूं और मुझे अपराधी घोषित कर देगा। इसलिये उन पुराने बाटों को किस समुद्र में फेंकने की व्यवस्था की जा रही है यह मंत्रीजी ने बताने की कृपा नहीं की। पुराने सिक्के तो सरकार अपनी टकसाल में गला देगी लेकिन ये पुराने बाट जो सदियों से इस देश में प्रचलित हैं उन्हें हम किस खजाने या बैंक में जमा करें इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह भी पता नहीं है कि हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं। सिर्फ आपकी इस आज्ञा के द्वारा हमें इन बाटों को किसी कब्रिस्तान में या ऐसे स्थान पर दफना देना चाहिये कि वह निरीक्षक-कर्त्ताओं की आंखों से ओझल हो जायं। अगर कहीं हमारे व्यापारिक केन्द्र में वह बाट मिल गये तो हम अपराधी घोषित कर दिये जायंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की यह तानाशाही मनोवृत्ति नहीं है तो और क्या है? इससे ज्यादा तानाशाही के और अधिकार आप क्या चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि आज सरकार एक नया व्यापार चालू करना चाहती है। सरकार इन बाटों पर लाइसेंसिंग फीस लगायेगी। इससे सरकार को आर्थिक लाभ होगा। ठीक है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद वह रुपया जनता के हित के कामों में व्यय किया जायगा। लेकिन एक अजीब चीज है कि आज सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और जो नये विभाग कायम किये जा रहे हैं उनके हर एक कर्मचारी, अपनी नियुक्ति होते ही स्वप्न देखने लगता है कि वह शीघ्र ही लखपती बन जायगा।

आज इन बाटों के प्रयोग के लिये जैसा कि अभी तक कर्मचारियों का कोई प्राविजन नहीं था, कोई भी विभाग नहीं था लेकिन अब एक नया विभाग बनेगा और उसमें अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे और वह हमारे जीवन की नितान्त आवश्यकताओं से खिलवाड़ करेंगे और वह बाटों को देखेंगे और माप को देखेंगे।

श्रीमन्, मुझे एक बात याद आ गई। पुरानी कहावत है और हमारी रियासतों के संबंध में यह मशहूर था कि रियासतों में पोल है। एक व्यक्ति ने एप्लाई किया कि उसे नौकरी दे दी जाय। मगर उसको कोई नौकरी नहीं मिली। अन्त में वह राजा के सामने खड़ा हो गया और आवेदन-पत्र दिया कि उसको कोई स्थान दे दिया जाय। राजा ने कहा कि कोई स्थान खाली नहीं है। उसने कहा कि सरकार आपकी रियासत में चारों ओर पोल है इसलिये मुझे भी उसमें घुस जाने की इजाजत दे दी जाय। राजा ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं इजाजत देता हूं कि तुम किसी पोल में घुस सकते हो। उन्होंने प्रधान मंत्री को आज्ञा दी कि इस व्यक्ति को किसी पोल में लगा दो। प्रधान मंत्री उससे असंतुष्ट था क्योंकि वह कहता फिरता था कि इस राज्य में चारों ओर पोल है। इसलिये उन्होंने कहा कि सरकारी घुड़साल में तुम लीद देखने का काम करो और उसका नाम लीद इंस्पेक्टर रख दिया गया। वह सरकारी अश्वशाला में पहुंचा। उस समय वहां सफाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि ठहरो। लीद बटोरना बंद करो। तमाम कर्मचारी घबरा गये कि आज क्या सरकारी हुक्म आया। उसने सरकारी हुक्म दिखाया कि बिना मेरी आज्ञा के लीद नहीं उठ सकती है। अब वह तराजू बाट लेकर बैठ गया और उसने कहा कि नम्बरवारी हर घोड़े की लीद मेरे सामने पेश करो। उन्होंने कहा कि हुजूर क्या कर रहे हो? उसने कहा कि सरकार ने मुझे रखा है कि तुम लोग घोड़ों को कितना घास तथा दाना देते हो, इसको देखूं। वह जानता था कि हर सईस कम घास तथा दाना देता था और बचा लिया करता था। उन्होंने कहा कि साहब किसी तरह से बचाव हो सकता है? जवाब मिला कि हां बचाव हो सकता है। तुम भी खाते हो मुझे भी खिलाओ। दस रुपया प्रति घोड़ा तय हो गया। राजा के हजारों घोड़े थे। एक दिन में लाखों रुपये आ गये। उन्होंने रुपये बिछवा कर चांदी का चबूतरा

बनवा दिया। उस पर बढ़िया कालीन बिछा कर गद्दी और तकिया लगा कर अपने बैठ गये। जब दूसरे दिन प्रधान मंत्री ने अपने दूसरे कर्मचारियों को भेजा कि जरा देखो तो कि उस लीद इंस्पेक्टर का क्या हाल है कि लीद सूंघते-सूंघते उसका दिमाग ठीक हुआ या नहीं। उन्होंने जाकर लीद इंस्पेक्टर से कहा कि आपका दिमाग कुछ ठीक हुआ या नहीं। उसने उत्तर दिया कि खुदा की कुदरत, एक ही दिन में चांदी का चबूतरा तैयार हो गया। उसने कालीन उठा कर दिखा दिया। चाहे यह सारी कथा काल्पनिक हो, लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया जायगा वह लीद इंस्पेक्टर की तरह एक ही दिन में लखपती बन सकता है। हजारों व्यापारियों से लाखों रुपया इकट्ठा कर सकता है। आज जनता को कुचलने के लिए यह विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक को पेश करते हुए, मुझे यह कहते शर्म आती है कि आप प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए, जो एक मासूम सा संशोधन है उसके लिए भी आप कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इससे अधिक लज्जा की बात कुछ नहीं हो सकती। जब कि देश की जनता इस विधेयक को पढ़ेगी और हम अपने क्षेत्रों में जायंगे तो हमें कोई जबाव देते नहीं बनेगा। इस तानाशाही मनोवृत्ति को छोड़ दिया जाय, यदि प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाना है .....

श्री उपाध्यक्ष--यह बात आप कई बार कह चुके हैं। नयी-नयी बातें पेश करें।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं सदन का ध्यान इस विधेयक की धारा २५ की ओर ले जाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है--"जो व्यक्ति धारा १२ द्वारा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई व्यापारिक बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र का निर्माण करता है, उसकी मरम्मत करता है अथवा उससे बेचता है वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।" उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा २५ इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि बाटों का जनता निर्माण नहीं कर सकेगी जब तक वह सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त न कर ले। मैं आगरे जिले का रहने वाला हूं।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---कहां के हैं ?

श्री जगन्नाथ लहरी---आगरा। आप भी अगर आगरा या बरेली के पास पहुंच जायं तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष--जिलों के नाम बताने से कोई दलील प्रभावकारी नहीं होगी।

श्री जगन्नाथ लहरी---उपाध्यक्ष महोदय, मीटर प्रणाली के प्रचार के बाद, आगरे में सैकड़ों ढलाई के कारखाने हैं, गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जो विशेषांक आगरे से प्रकाशित हुए यदि उन्हें मंगा कर पढ़ने की कृपा की जाय तो आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं और सदन के सामने सचाई प्रकट हो सकती है कि आगरा के प्रत्येक ढलाई के कारखाने ने मीटर प्रणाली के मापों और बाटों को ढालने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने हजारों रुपया इस विधेयक के आने से पूर्व व्यय करके समाचार-पत्रों में विज्ञापन किये, उन्होंने नये नये सांचे बनवाकर मीटर प्रणाली के बांटों को ढालना शुरू कर दिया। यद्यपि इस प्रदेश और देश की जनता ने अभी तक मीटर प्रणाली के बाटों को अपनाया नहीं है और उनका प्रचलन प्रारम्भ भी नहीं हुआ है लेकिन देश की जनता ने जो सरकार ने एक नया कदम उठाना चाहा है, जो यह नई नाप और तौल की प्रणाली चलाना चाहती है उसमें सहयोग देने के लिये उन्होंने विज्ञापन में हजारों रुपये खर्च करके बाटों का निर्माण शुरू किया लेकिन इस विधेयक के बनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं यही मालूम करना चाहता हूं।

इस विकास के युग म बिना किसी लाभ के एक व्यापारी ने आपका सहयोग दिया। विज्ञापन किया, बाटों की ढलाई की लेकिन उस व्यवसायी को यदि कोई लाइसेंस सरकार की ओर से नहीं मिलता है और यदि वह बाटों और नाप तौल के यंत्रों को ढालने का काम करता है तो उसे कारावास की हवा खानी पड़ेगी। उसके लिये लाइसेंस पाने के लिये इसमें कोई

[श्री जगन्नाथ लहरी]

खुलासा नहीं किया गया है। आज भी यह देखा जा रहा है कि जब सरकार कोई काम शुरू करती है या सरकार के द्वारा जो लाइसेंस पद्धति चालू होती है उसमें जनसाधारण को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। सरकार के कुछ कृपापात्र या सरकार जिनको कुछ विशेष आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहती है या अधिकारियों का कृपापात्र या वह व्यक्ति जिन्हें लक्ष्मी के बाहुबल पर विश्वास है और चांदी के जूते से जो चाहे करवाने में विश्वास करते हैं वही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो अधिकारियों या बड़े-बड़े सरकारी आफिसरों के कृपापात्र नहीं हैं या जिनके चांदी के जूते में जोर नहीं है वे लाखों प्रयत्न करने पर भी लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह कंट्रोल और परमिट की प्रणाली आज चिल्ला-चिल्ला कर बतला रही है कि लाइसेंस किन व्यक्तियों को दिया जायगा। अभी ३१ तारीख को आगरा जिले में अन्तरिम जिला परिषद् की जो बैठक हुई तो विकास और बाढ़ के नाम पर चन्द व्यक्तियों को ईंट के भट्ठे चलाने के लिये जो लाइसेंस दिये गये उसकी सूची पर अन्तरिम जिला परिषद् के माननीय सदस्यों को भी एतराज हुआ। उसमें जो १४ लाइसेंस दिये गये वे सब कांग्रेसजनों को दिये गये एक भी नान-कांग्रेसमैन नहीं हैं।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—तो आप भी कांग्रेसमैन बन जाइये।

श्री जगन्नाथ लहरी—दूसरी बात राणा साहब और सुनिये। और उसमें वह सदस्य थे जो अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य थे। लोकल बाडीज ऐक्ट के मुताबिक कोई सदस्य उस संस्था द्वारा आर्थिक लाभ नहीं उठा सकता है। मैंने बड़े विनम्र शब्दों में जिलाधीश महोदय से पूछा कि क्या उनके पास उन सदस्यों के त्यागपत्र आ गये हैं जिनके कि नाम उन ईंटों के भट्ठों को चालू करने के लिये लाइसेंस देने के लिये सिफारिश की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—इस मीटर प्रणाली से और ईंटों के भट्ठों से क्या मतलब है ?

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं उसी के सम्बन्ध में आ रहा हूं। जब मैंने ऐसा प्रश्न किया उपाध्यक्ष महोदय, तो उस समय सारे सदस्यों के सामने एक विकट समस्या उपस्थित हो गयी और जब लोगों ने उस सूची को देखा तो शरम शरम के नारे लगने लगे। तो एक विशेष वर्ग के लिये उन ईंटों के भट्ठे देने की सिफारिश की गई थी। अभी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहां कर्ज बांटे गये। अभी ३० जनवरी को 'इमरोजा' आगरा के एक पत्र को यह लिखना पड़ा कि सारा का सारा कर्जा ९५ फीसदी एक विशेष जाति को दिया गया। तो जिस समय लाइसेंस देने की पद्धति लागू होगी और लाइसेंस देने वाले अधिकारी यदि जातिवाद के शिकार हुये, जैसे कि हमारे देश में वह बढ़ता चला जा रहा है तो यह हो सकता है कि यह लाइसेंस किसी जाति विशेष के लिये ही दिये जायं। यदि कहीं हमारी इन कमेटीज के द्वारा, जैसा कि इस प्लानिंग कमेटी का उदाहरण है, लाइसेंस देने की पद्धति को चालू किया गया तो हो सकता है कि विशेष समुदाय के व्यक्तियों को ही वह लाइसेंस मिलें। यह गारन्टी नहीं है कि उनके बाटों के मुताबिक निर्माण करने वाला हर व्यक्ति जो लाइसेंस चाहता है उसको लाइसेंस मिल जायगा। तो एक नया धन्धा इस विधेयक के द्वारा चालू किया जाने वाला है। अभी तक तो लोग ईंटों के भट्ठों के परमिट पाने के लिये यहां पर दौरा किया करते थे अब उनके लिये यह भी मजबूरी हो जायगी कि वह मन्त्रालय और सचिवालय के अधिकारियों के पास नाप तौल के बांटों के निर्माण के लिये और दूसरे कार्यों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये भाग दौड़ करें। इस भागदौड़ का यह नतीजा होगा कि जहां पर आज पहले ही भ्रष्टाचार की हद बढ़ गई है वहां पर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। इसलिये हमें अगर सचमुच देश के निर्माण की आकांक्षा है और हम चाहते हैं कि देश का निर्माण हो तो वह तलवार के बल पर नहीं हो सकता है। वह तो देश के सहयोग पर ही हो सकता है। तलवार के बल पर देश में शासन स्थापित कर सकते हैं लेकिन तलवार के बल पर देश का निर्माण नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा महंगाई के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—अब राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे के प्रस्ताव पर विवाद होगा। उनका प्रस्ताव इस प्रकार है कि "राज्य के खाद्यान्न का मूल्य बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है जिस महंगाई के कारण राज्य की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है और स्थान स्थान पर गल्ले की दूकानें लूटी जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्य की शान्ति तथा शासन व्यवस्था में गड़बड़ होने की अवस्था है। इसलिये सदन इस निश्चित और आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।" इस सम्बन्ध में नियम के मुताबिक १५ मिनट हर भाषणकर्ता को मिलने चाहिये लेकिन इसमें बहुत काफी लोग भाग लेना चाहेंगे। अगर समय बांधने के लिये कोई सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—१० मिनट का समय हर सदस्य को दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्तावक को नियमानुसार १५ मिनट का समय मिल सकता है यदि वह चाहें। अन्य सदस्यों के लिये १० मिनट का समय रहेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह महंगाई की समस्या इस प्रान्त में पहले भी थी और आज तो और भी जोर पकड़ गई है। इस प्रकार के प्रस्ताव रखने में और वह भी बार बार रखने में मुझे किसी प्रकार का आनन्द अनुभव नहीं होता क्योंकि विश्वास यह था कि पिछले आन्दोलन के बाद जिस समय सर्वदलीय कमेटी बनी और उस पर विचार शुरू हुआ तो यहां हम सब को, प्रान्त के लोगों को विश्वास था कि इस कमेटी के आधार पर और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के आधार पर सरकार गल्ले के भावों को गिराने में सफल होगी परन्तु मुझे बड़ा दुःख है और अधिक दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आन्दोलन के बाद जिस प्रकार से गल्ले की महंगाई बढ़ती चली गई उस प्रकार से महंगाई कभी देखने में नहीं आई थी। श्रीमन्, अखबारों में, समाचारपत्रों और हमारे माननीय मंत्री के भाषणों और वक्तव्यों में जरूर हमको सुनने को मिलता है कि इस प्रान्त में चावल की बम्पर क्राप हुई है। बड़ा आनन्द का विषय था कि बम्पर क्राप हुई और अब जो सर्वसाधारण का स्टैपिल डायट है उसमें कुछ सस्ती होगी। परन्तु यह आशा केवल मंत्रियों के भाषणों तक ही रह गयी। बाजारों में और व्यक्ति के खरीदने में वह आशा परिणत नहीं हुई। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इसका कारण क्या है। क्या केवल स्टेटमेंट देकर, प्रस्ताव पास करके या सद्भावना का भाषण देने से ही जो भोजन के सम्बन्ध में महंगाई खड़ी हो गयी है वह रुकेगी? मेरा तो निश्चित मत है कि स्टेटमेंट्स के आधार पर महंगाई नहीं रुक सकती और इसका सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है कि बम्पर क्राप तो हुई है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। या तो यह कहना पड़ेगा कि बम्पर क्राप नहीं हुई है या मानना होगा कि जिस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने रखे गये हैं वह सही नहीं हैं। अगर वे आंकड़े सही हैं तो उनका जो परिणाम होना चाहिये था, जो गल्ला सस्ता होना चाहिये था, वह कहां हो रहा है?

इतना ही नहीं, स्थान-स्थान पर लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों से लेकर देहात का साधारण व्यक्ति तक कहता है कि जिस समय महंगाई शुरू हो रही थी उस समय आप बड़ा विचार करते थे, लेकिन आज जब महंगाई सर के ऊपर उठ गयी है तो आपका सब विचार कहां चला गया है? श्रीमन्, कल ही कानपुर में मुझे बताया गया कि अरहर की दाल ४० रुपये मन है, गेहूं का दाम ३०, ३१ रुपये मन है। आज मुझे बड़ा दुःख होता है खाद्य मंत्री जी का उत्तर सुनकर जब उनसे पूछा जाता है कि अरहर की दाल का दाम गिराने का क्या प्रयास किया गया तो उत्तर मिलता है कि तरकारी खाइये। इसी प्रकार का उत्तर फ्रांस की राज्य क्रान्ति के समय दिया गया

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

था। जब वहां की रानी मेरी आत्वनेट ने पूछा कि लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं तो वहां के डयूक लेनीकोर्ट ने बताया कि 'wadam, they want brcad' उस समय रानी ने जवाब दिया कि tell them to go and eat pudding जिनके पास गल्ला खाने के लिये नहीं है उनको कहते हैं कि तरकारी खाइये। पहले वह स्वयं अपने को बथुये के साग पर निर्वाह करके दिखायें तो हम स्वीकार कर लेंगे उनकी इस बात को। कहना आसान है दूसरे के लिये कि आलू खाइये, सब्जी खाइये, किन्तु स्वयं करना कठिन है। मुझे बड़ा दुःख हुआ उनका उत्तर सुन कर। मैं जानना चाहूंगा कि लोगों को सब्सीडियरी फूड मिल सके इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? केवल मंत्री जी के वक्तव्यों से काम चलने वाला नहीं है। अल्मोड़े का जिक्र मैं करूं। वहां की हालत सदा की खराब रही है। मैं वहां का जिक्र इसीलिये करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी वहीं से आते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी (खाद्य मन्त्री)—मैं जौनपुर की मूली का जिक्र कर रहा था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैंने अभी जाना कि मन्त्री महोदय को हमारे जौनपुर की मूली इतनी पसन्द है। तो पहाड़ी जिलों में साल भर में केवल ४, ५ महीनों के लिये ही अन्न पैदा होता है। वहां मंहगाई की हालत अत्यधिक तेज होती जा रही है और जो गल्ला वहां पहुंचता है वह ऐसा होता है कि जिसको हम कह सकते हैं 'nnfit for linmam Conusmption' केवल पहाड़ों के लिये ही क्या, यहां भी जो रेड मिलो दिया जाता है, और जिस को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, कई बार हमारे मंत्रिगण अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं और ऐसा समझते हैं कि इससे हम लोगों को मेस्मराइज कर लेंगे, वह एक प्रकार से चिकन फूड है, पशुओं को, मुर्गियों को खाने के लिये दिया जाता है। तो हमारे पुराने मंत्री जी ने तो लोगों को आम की गुठलियां ही खिलायी थीं और कहा था कि लोग जुकाम में इनको खाते हैं। एक नयी मेटैरिया मेडिका बनायी थी, लेकिन उनके साथ ही हमारे नये मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने उस रेड मिलो को जो चिकन फूड है, लोगों को खाने के लिये दिया और श्रीमन्, देहातों में जहां-जहां यह लाल बाजरा दिया गया वहां लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया और यहां कहा जाता है कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर आफटेक कम हो गया है और यहां सरकार की ओर से कहा जाय कि गल्ला इतना पर्याप्त हो गया है कि किसान लेते ही नहीं, श्रीमन्, यह सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है। श्रीमन्, मुझे एक और भी आश्चर्य हुआ, आज ही माननीय मन्त्री जी द्वारा जवाब देने पर। उन्होंने कहा कि हमने कवाल टाउन्स के लिये योजना बनाई है लेकिन देहातों के लिये उन्होंने बताया कि आटा बेच रहे हैं। क्या देहातों में महंगाई नहीं है? मुझे दुख होता है कि जब माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि नहीं है। लेकिन मैं तो खुद सुनकर और देख कर आया हूं तो फिर किस बात को मानूं।....

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने यह नहीं कहा कि देहात में महंगाई नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—आज देहात में क्या हो रहा है। अभी मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पहली जनवरी से आटा भेजने के लिये प्रोग्राम रखा है।....

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहली जनवरी से गेहूं के लिये मैंने कहा?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—गेहूं ही सही, आटे को भूल जाने दीजिये। आज ८ फरवरी है और ६ फरवरी तक की मेरी जानकारी है कि वहां पर गेहूं नहीं बल्कि केवल लाल बजरी रखी हुई थी। मैं ऐसे क्षेत्रों के नाम लेकर कह सकता हूं। मैं नहीं जानता कि सरकार कैसे आर्डर भेजती है। अगर माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं नाम भी बता सकूंगा, जहां पर केवल लाल बजरी दी गई है, गेहूं का नाम नहीं। यह कौन सा व्यवहार है। सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये कहा जाता है कि कलेक्टर रिकमेन्ड करता है। मैं जानना चाहता हूं कि जौनपुर के कलेक्टर ने कितनी दुकानें रिकमेन्ड की थीं और कितनी सैंक्शन हुईं। मैं फाइल का नम्बर तक बता सकता

हूं कि वहां से इतनी दुकानें रिकमेन्ड होकर आईं और आज तक दुकानें नहीं खुली हैं। विधान सभा भवन में माननीय सदस्यों के सामने कहा जाता है कि कलेक्टर के रिकमेन्ड करने पर दुकानें खुलेंगी और कलेक्टर कहता है कि हमने रिकमेन्ड करके गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। यह कौन सा गोरख धंधा है! मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज मुनासिब कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति और खराब हो जायेगी।

सस्ते गल्ले की दुकानों की हालत अगर आप सुनना चाहें तो लखनऊ के पड़ोस में बाराबंकी जिला है वहां का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। वहां पर रुदौली नाम का एक स्थान है जहां पर ६ हजार के करीब आबादी है, वहां पर एक भी दुकान नहीं है। एक दरियाबाद का कस्बा है जिसकी आबादी करीब १२ हजार की है, वहां पर रामसनेहीघाट एक तहसील है जिसकी आबादी करीब ४ लाख से ऊपर की है, लेकिन वहां पर सिर्फ दो दुकानें हैं। क्या आपने यह दो दुकानें पितरपक्ष के लिये खोल रखी हैं? भगवान् जाने क्या हाल है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं ऐसे स्थानों को भी जानता हूं लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता और न किसी पर आरोप लगाना चाहता हूं जहां पर कि दुकानें की भरमार हैं। उसका कारण केवल पोलीटिकल प्रोटेक्शन ही है, कोई दूसरी बात है ही नहीं। देहात के लोग कहते हैं कि क्या गेहूं खाना केवल शहर वालों के भाग्य में ही है और हमारे लिये केवल लाल बजरी ही है। अपेक्षा की दृष्टि से यह व्यवहार क्यों हो रहा है? श्रीमन्, सरकार को चाहिये कि वह सबको समदृष्टि से देखे और व्यवहार करे।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम स्मगलिंग को चेक कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट स्क्वाड वगैरह देवरिया के लिये उन्होंने बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान को जो चावल जा रहा है उसके लिये क्या कोई स्क्वाड है? क्या इस बात की सरकार को सूचना नहीं है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। क्या उनको सूचना है कि इस प्रदेश के अन्दर जितना हिस्सा नेपाल और तिब्बत से लगा हुआ है उसके द्वारा कितना चावल इस देश और प्रदेश का बाहर जा रहा है? क्यों जा रहा है, इसके लिये सरकार स्वयं विचार करे और इसकी जांच करे। क्या इसके अन्दर यह प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता कि जिस एजेन्सी के द्वारा यह जाता है उसके पीछे यह भावना हो कि इस सूबे के अन्दर एक विशेष प्रकार की राजनैतिक स्थिति खड़ी की जाय। आज उसे इनफोर्स करने के लिये सरकार ने क्या किया है? सरकार के पास इतने एनफोर्समेन्ट स्क्वाड और अफसर हैं जिनकी सुबह प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने गणना कराई, तो मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया। क्या यही नतीजा होगा कि जैसा कि आज समाचार-पत्रों में आया है? मैं नहीं जानता कहां तक ठीक है परन्तु सरकार का ध्यान उधर अवश्य आकृष्ट करूंगा—कि इतना एनफोर्समेन्ट स्क्वाड होते हुए भी गोरखपुर में सरकारी गोदाम का ७०० मन गेहूं बाजार में ब्लैक मार्केट में बिक रहा था? क्या इस सारे प्रबन्ध का अन्तिम नतीजा यही होगा? आज सुबह पूछा गया था कि कितने होर्डर्स सरकार ने पकड़े और कौन होर्डिंग कर रहा है, उसे जानने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किया? माननीय मंत्री जी ने एक लम्बी चौड़ी लिस्ट जरूर हम लोगों को सुनाई। परन्तु उन लोगों को जो समाज के जीवन के साथ अपने वैयक्तिक मुनाफे के लिये खिलवाड़ कर रहे हैं सरकार ने क्या दण्ड दिया? क्या १०, २० हजार मन की ही होर्डिंग इस इतने बड़े प्रान्त में है जो सरकार ने पकड़ी है?

कहा जाता है कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग करने जा रही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? सरकार ने गल्ले का भाव निश्चित किया, लेकिन बाजार से सारा गल्ला गायब हो गया। स्टेट ट्रेडिंग तो वह होती है कि जिस समय किसान की फसल ज्यादा पैदा हुई, जिसे सरकार बम्पर क्राप कहती है कि बम्पर क्राप धान की हुई, उस समय वह सीधे किसान से खरीदती, लेकिन इस सरकार ने एजेन्टों के द्वारा खरीदवाया। क्या गारन्टी है कि एजेन्टों ने गड़बड़ी नहीं की? आवश्यकता तो इस बात की थी कि किसान को अपनी पैदावार की इकानामिक प्राइस मिलती। क्यों नहीं सरकार ने अपनी परचेजिंग एजेन्सियों द्वारा अनाज खरिदवाया?

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

स्टाक की पोजीशन बतलाई गई । मैं चाहूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो मंत्री जी मुझे दुरुस्त कर दें । कहा गया कि १ लाख या डेढ़ लाख मन और शायद २० हजार मन बताया था, कि वह खरीद सके हैं । टार्गेट तो ऊंचा और काम नीचा । उर्दू की कहावत है कि ऊंची दूकान और फीका पकवान । यह मंत्री जी की व्यवस्था में बिलकुल प्रत्यक्ष है । इस प्रकार स्टाकिंग में देर करने से निश्चित है कि भाव बढ़ेंगे ।

बुलन्दशहर का उदाहरण है कि डिबाई जैसी जगह में एक भी दुकान नहीं है, मानों कि वहां आदमी नहीं रहते हैं । मैं शिकायतों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वे आज भी मौजूद हैं । उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया ? यह कहा गया था कि हम २५० रुपये तक आ वाले लोगों को, राशन कार्ड बनाकर देंगे । ये आप कब तक देंगे ? प्रश्न तो यह उठता है कि घर में आग लगी है आज और सरकार कुवां कल खोदने जा रही है । घर तो जल कर नष्ट हो जायगा, लेकिन कुवां खोदने के लिये जगह ही तय न होगी । फिर, सरकार कहती है कि वह टोटल राशनिंग नहीं करना चाहती है । यह भी कहा गया कि स्टाफ नहीं है जो राशन कार्ड बना सके । आपके पास स्कूलों के मास्टर और लड़के मौजूद हैं, वे इस कार्य को कर सकते हैं । क्यों नहीं आप उनसे काम करा सकते हैं ? आज आइडेंटिटी कार्ड्स में भीषण गल्तियां हैं और रिलीफ के प्रयास का दुरुपयोग हो रहा है । सस्ते गल्ले की दुकानों का बहुत सा अनाज चोरबाजारी में जा रहा है । इसका परिणाम क्या होगा ? इस मंहगाई के परिणामस्वरूप क्राइम भी बढ़ता जा रहा है । रामसनेहीघाट तहसील में चोरियां और डकैतियां इसके स्वरूप हैं । बांदा और झांसी में दुकानें लूटी गयी हैं । मंत्री जी को शायद सूचना न हो, होगी भी तो देर में होगी, जैसा उन्होंने आज उत्तर में बताया, परन्तु मैं चाहूंगा कि वह सूचना प्राप्त करें । यह कहने से काम नहीं चलने वाला है कि राजनैतिक पार्टियों ने लुटवाई हैं । यह ठीक नहीं है । एक बार यह लूट की स्थिति खड़ी हुई तो निश्चित है कि ला एन्ड आर्डर की स्थिति को सरकार नहीं सम्भाल सकेगी । प्रान्त की स्थिति भीषण हो जायगी । इसका परिणाम भीषण क्रान्ति का रूप भी हो सकता है । इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए, जो जनता के पेट की समस्या को छू रहा है, सरकार को चाहिये कि इस पर गम्भीरता से विचार करे और उपाय निकाले । केवल हैपहैजर्ड तरीके से काम नहीं चलेगा । इस प्रश्न की नीव में जाना होगा । यह देखना होगा कि इसे हम कैसे सम्भालें ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस गम्भीर विषय पर विचार करे और यदि मेरे विचार सही हैं तो सरकार उन्हें स्वीकार करे ।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दुबे जी का प्रवचन काफी गौर से सुना । उन्होंने काफी सही बातें कहीं, इस माने में कि आज गल्ले की कमी है, उसके दाम महंगे हैं, दूकानों पर आज गल्ला नहीं मिलता है । जहां तक इन सब फैक्ट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन उनसे जो नतीजा उन्होंने निकाला उससे मैं असहमत हूं । नतीजा उन्होंने यह निकाला कि सरकार, उन्हें ऐसा मालूम देता है, लोगों को भूखा मारना चाहती है, खराब गल्ला देना चाहती है और उसके दो ही कारण हो सकते हैं, ताकि दुबे जी को ये बातें बतलाने का मौका मिले । मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार---यह सरकार तो लोगों की राय भी लेती है, डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करती है---जानबूझ कर अपने लोगों को भूखा मारना नहीं चाहती है और न दाम बढ़ाना चाहती है । अगर आज देश में ऐसी स्थिति है तो उस पर काफी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये और उसका उपाय निकालना चाहिये । इसलिये मैंने यह कहा कि मैंने उनकी स्पीच को इस ख्याल से और ज्यादा सुना कि आखिर वह सुझाव क्या देते हैं । सुझाव उन्होंने यह दिया जो एक ही उनके सारे वक्तव्य में है, कि इस सरकार को गल्ला सीधे किसान से खरीदना चाहिये । ठीक बात है । दुबे जी की पार्टी ही शायद स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ है । बाकी, इस सिद्धान्त को सरकार ने मान लिया है

और मानना है उसे, पार्टी ने मान लिया है, कि गल्ले की समस्या को हल करने के लिये कुछ आमूल परिवर्तन अनाज की पैदावार में और तिजारत में करने होंगे । मैं दुबे जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई उपाय वह बतलाते तो उस पर अवश्य गौर किया जाता । सही बात है कि गल्ले का प्रश्न आज मुख्य प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी किसी एक पर ही नहीं है । कुछ कुदरती वाक्यात भी ऐसे हैं कि ३, ४ वर्ष से इस प्रदेश में---यह हमारी बदनसीबी हो सकती है---कुदरत ने खेती करने वालों का उस मात्रा में साथ नहीं दिया जैसा कि साधारणतया होता था । नतीजा यह हुआ कि यह प्रश्न आज भयानक हो गया है । इसमें दो खयाल हैं । कुछ लोगों का खयाल है कि गल्ला है और कुछ ने दबा रखा है । मैं भी थोड़ा बहुत खेती से संबंधित हूं । मेरा खयाल है कि गल्ला नहीं है । अगर सरकार को केवल स्केप गोट बनाने की बात हो तब दूसरी बात है । उसका कोई इलाज नहीं है कि लोग सरकार को कहें कि उसके ही कारण यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन मालूम पड़ता है कि गल्ले की कमी है । अगर नहीं है तो कोई भी सरकार उसको आसमान से पैदा नहीं कर सकती । उसके लिये तो समूची एकोनोमिक पालिसी और अनाज पैदा करने की पालिसी या तरीका बनाना होगा ।

अब रहा सवाल दूकानों के जरिये इंतजाम करने का । उसके लिये लोगों का एक प्रकार का दिमाग तैयार करना होता है । लोगों में यह प्रवृत्ति है कि वे राशन कार्ड को बाजार में बेच देते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं । यह चीज किसी भी कानून से दूर नहीं की जा सकती । समूचे देश के जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्हें लोगों को तैयार करना होता है । अभी मिसाल दी गयी कि आगरा की तरफ से पेडी बाहर भेजी जा रही है । यह एक ऐसी चीज है जिस पर हावी होना बड़ा मुश्किल है । पाकिस्तान और हिन्दोस्तान के अन्दर इतनी तनातनी है लेकिन फिर भी स्मगलिंग का प्रोसेस बना हुआ है । अगर हो सकता है तो इसी प्रकार से जनमत तैयार करने से हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के लोगों ने इस प्रकार की चीज आज तक नहीं की । मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा नहीं कर पाये लेकिन मैं दुबे जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अथवा उनकी पार्टी के लोगों ने जनता को समझाया है कि उनको प्राफीटीयरिंग नहीं करनी चाहिये, राशन कार्ड्स बाजार में नहीं बेचने चाहिये, मुनाफा नहीं करना चाहिये, क्या इस तरह की कोई पब्लिक ओपीनियन को ऐजूकेट करने की कोशिश की जाती है । अतः किसी एक की ओर से नहीं बल्कि इस मसले को हल करने के लिये चौतरफा मार की जरूरत है । यह मैं मानता हूं कि बावजूद १०-११ साल के प्रयत्न करने के, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हम इस मसले पर हावी नहीं हो पाये हैं । यह हकीकत है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन वे क्या कारण हैं जिनके ऊपर हावी होने से इस समस्या का हल हो सकता है, अपने दिमाग में पहले इस बारे में साफ हो जाना है । मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं स्वयं समझता हूं कि गल्ले की स्थिति भयानक है । उसके लिये अवश्य ही हमें कुछ कदम उठाने होंगे । यह उपदेश का सवाल भी नहीं है और गल्ले के प्रश्न को कोरे उपदेशों से हल नहीं किया जा सकता, बिना हाथ पैर हिलाये काम नहीं चलने का । इसके लिये तो हमें लोगों के दिल दिमाग को मजबूत करना होगा । इसके अलावा यह चीज स्थायी नहीं है । दो-तीन सालों से कुदरत के साथ न देने से यह चीज भयानक रूप धारण कर गयी है और मैं आशा करता हूं कि अगले चार-छै महीने में यह चीज वैसी न रहेगी और उसके ऊपर हावी हुआ जा सकेगा । इसलिये हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिसमें लोगों में तकलीफों का मुकाबला करने की जो शक्ति है वह कमजोर हो, इस ख्याल से मैंने दो-चार शब्द कहना मुनासिब समझा । वैसे स्थिति तो स्पष्ट ही है, उससे इन्कार करना हकीकत से इन्कार करना होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मान्यवर महोदय, मैंने माननीय गोविन्दसहाय जी के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

आपस में एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से, यह गंभीर समस्या हल नहीं हो सकती और यह तभी हो सकती है जब कि हम सब मिल कर गंभीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करें और उसको सुलझाने और हल करने का उपाय ढूंढ़ें। लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से पूछना चाहूंगा कि कुदरत के नाम पर और देश की परिस्थिति के नाम पर सरकार की वकालत करना और दुबे जी की आलोचना करना क्या समस्या का गंभीरतापूर्वक अध्ययन है। समस्या के गंभीरतापूर्वक अध्ययन के लिये हमें सूचना और सामग्री की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि माननीय गोविन्द सहाय जी और उनकी सरकार हमको ऐसे कार्य में सहायता देगी। माननीय खाद्य मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार ने अब तक इस बात का कोई हिसाब लगाया है कि समुचित शोध और अध्ययन के बाद हमारे प्रदेश के लिये कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है? अगर लगाया है तो वह क्या है? और जो अनुमान उन्होंने लगाया है आवश्यकता का वह किस आधार पर लगाया है अर्थात् कितना गल्ला प्रति व्यक्ति के आधार पर लगाया है? आज से कुछ समय पहले मैंने एक प्रश्न इसी विधान सभा में किया था और यह पूछा था तत्कालीन खाद्य मंत्री महोदय से कि क्या सरकार के पास इस बात के आंकड़े हैं? तो माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि सरकार के पास इस बात के कोई आंकड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात की कोई शोध या खोज नहीं की है कि हमारे प्रदेश की जनता की आवश्यकता के लिये कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय खाद्य मंत्री महोदय से कि अन्धेरे में कूदने से हम किस प्रकार से समस्या का हल कर सकते हैं, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। अभी तक हमारी सरकार को इतना तक पता नहीं लगा कि हमें कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है और कितनी कमी है।

दूसरी बात जो दुबे जी ने कही और माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी कही और माननीय मंत्री महोदय भी कहते रहते हैं कि मुनाफाखोरी को रोकने के लिये सख्त कदम उठाये जायेंगे और इस तरह से मुनाफाखोरी को बन्द करके अन्न की कमी के साथ ही साथ अन्न की महंगाई को भी कम करने में हमको सहायता मिलेगी। मैं फिर माननीय खाद्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर मुनाफाखोरी की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है तो वे कृपा करके यह बतलायें कि क्या कारण है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्यवाही उन्होंने नहीं की? सरकार ने मुनाफाखोरी को रोकने के लिये अब तक जितने भी कदम उठाये हैं, माननीय मंत्री जी बतलावें कि क्या वे कारगर हैं और क्या इस सख्ती से काम निकल सकता है? अगर माननीय खाद्य मंत्री महोदय की मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में यह धारणा है कि उसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है तो इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अभी तक मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? माननीय मंत्री महोदय इन सब बातों को बतलाने की कृपा करें तो पता चले कि जो स्मगलिंग के जरिये, चोरी से इस प्रदेश का अन्न जो दूसरे प्रदेशों में जाता है वह भी इसका एक कारण है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिये सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने देश की समस्या को सभी पहलुओं से सोचने के लिये कुछ सूचनायें, सामग्री और आंकड़े दिये जायं जिससे हम उसके कारणों का पता लगा सकें और उन कारणों को दूर करने के लिये कोई सफल और कारगर उपाय करें जिससे जनता की समस्यायें हल हो सकें।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं खासतौर पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि यह सरकार के हित में है और जनहित में भी है कि सरकार और माननीय मंत्री महोदयों के जो वक्तव्य हों, जो उत्तर हों उनका जनता में मान हो, आदर हो और जनता का उन पर विश्वास हो। लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है, कि विशेषकर खाद्य

समस्या के सम्बन्ध में पिछले ९ वर्ष के इतिहास को देखने से पग पग पर यह प्रमाणित होता है कि सरकार की ओर से जो भी वक्तव्य समय-समय पर दिये गये उनसे जनता के विश्वास पर चोट पहुंची । जो खास खास वक्तव्य दिये गये हैं, मैं सिर्फ उनकी ही थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं । सन् १९५१-५२ में यह दावा किया गया था आम चुनाव के समय कि खाद्य समस्या को हल कर लिया गया और आज १९५९ में खाद्य समस्या के ऊपर यहां बहस हो रही है, आन्दोलन होते हैं, सर्वदलीय समिति कायम होती है और प्राकृतिक प्रकोप की बात कही जाती है । जैसे पहले कुदरत थी ही नहीं । और कुदरत में इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप होते कब नहीं थे ? कृषि के सम्बन्ध में जो कोई भी साधारण जानकारी रखते हैं वे जानते हैं प्रदेश में साइकिल्स आते हैं प्राकृतिक प्रकोपों के जिनसे हानियां होती हैं । कोई नई बात नहीं है कि अब हुई हो । आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से यह बात होती रही है । कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें प्रकृति का प्रकोप होता है, फसल अच्छी नहीं होती और कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें बम्पर क्राप्स होती हैं । सरकार की यह अद्भुत नीति है कि जब बम्पर क्राप होती है तो सारा श्रेय सरकार को होता है । रबी योजना और अधिक अन्न उपजाओ योजना से फसल बढ़ी, लेकिन अगर प्राकृतिक प्रकोपों से कम हो गयी तो सरकार तो दूध की धुली हुई है, इसमें प्रकृति का दोष है, उसे सजा मिलनी चाहिये, जनता का दोष है, सरकार का कोई दोष नहीं है । ४० वर्ष पहले जब मैं विद्यार्थी था तो रिपवेन विंकिल के जीवन के सम्बन्ध में पढ़ा था कि जब उससे कोई काम अपने घर का नहीं होता था तो कोई न कोई बहाना वह बतला देता था कि आज पानी बरसा, या आज धूप ज्यादा निकली । तो हमारी सरकार भी इन्हीं बातों पर आ गई है । माननीय गोविन्द सहाय जी उसकी ताईद करते हैं कि सरकार की योजना इसलिये सफल नहीं हुई कि मक्खी छींक गई थी और बिल्ली रास्ता काट गई थी । यह जो मनोवृत्ति है कि अपने सारे कामों का दोष दूसरों पर डालना, यह समस्या के गम्भीर हल का द्योतक नहीं है ।

यह भी मुझे मालूम है, अपने प्रदेश को ही आप ले लें, अपने प्रदेश के भूतपूर्व और वर्तमान खाद्य मंत्री के बयानों को ले लें, उनमें अक्सर यह कहा जाता है कि कोई चिन्ता की बात नहीं है । चिन्तनीय बात तो है, लेकिन परिस्थिति काबू में है । कोई विशेष गम्भीर बात नहीं है । भाव गिर रहे हैं, गिरेंगे और गिरने की प्रवृत्ति है । जिस प्रकार कि वार बुलेटिन निकलता था लड़ाई के जमाने में ऐसा मालूम होता है कि उसकी हूबहू कापी की जा रही है । इस प्रकार के वक्तव्य देने में मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा और मंत्रिमंडल व सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अपने वक्तव्यों के प्रति जनता का आदर प्राप्त करने के लिये उन्हें अपने पद, प्रतिष्ठा व सरकार की प्रतिष्ठा और जनता के ज्ञान का ध्यान रखना चाहिये और इस प्रकार जनता का अपमान नहीं करना चाहिये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनाज की समस्या जो हमारे प्रदेश में उपस्थित है मैं समझता हूं कि हम लोगों को उस पर पार्टी-पालिटिक्स को दूर रख कर विचार करना चाहिये । अनाज की समस्या की प्रधानता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जो वह डिजर्व करती है । अक्सर हमारे प्रदेश व हमारे भारतवर्ष की यह दशा रही है कि हमने मुल्क के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है । हमने मुल्क को पार्टी-पालिटिक्स के बेसिस पर उसके उत्थान व पतन की कसौटी पर रखने की कोशिश की है । हमारे लम्बे-चौड़े भाषण विधान सभा में या भारतवर्ष की पार्लियामेंट में हुआ करते हैं, उनमें कोई तत्व नहीं होता । कुर्सी का सदन में ऐसा जादू चलता है कि जो आज उस तरफ बैठा हुआ है अगर उसकी सरकार की तरफ कुर्सी बदल जाय तो भाषण भी उसका बदल जाता है । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कुर्सी बदलने से मुल्क की परिस्थितियां भी बदल गयीं ? मैं ऐसे भाषणों की कद्र नहीं करता जिनमें मुल्क की परेशानियों, दिक्कतों व उसकी समस्याओं की झलक न हो, मैं इसे मुल्क के साथ धोखा समझता हूं । मैं समझता हूं कि

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कोई भी व्यक्ति जो झूठे आरोपों पर विश्वास करता है, जो पोलसन बटर के डिब्बों को इस्तेमाल करता है और मुल्क की तबाही नहीं देखता और केवल अपने व्यक्तिगत इंट्रेस्ट को देखता है और वैसे ही भाषण देता है वह मुल्क को धोखा देता है ।

मैं समझता हूं कि आज हमारी खाद्य समस्या अत्यन्त जटिल होती चली जा रही है। पोलिटिक्स को छोड़िये । हमें मुल्क के सामने अपने को और अपने उत्तरदायित्व को पेश करना है। मैं कहता हूं जो इस मुल्क के लिये उत्तरदायी हैं उनको बिफोर दी बार आफ़ दी पब्लिक ओपीनियन अपनी पोजीशन ऐक्सप्लेन करनी चाहिये । क्या कारण है कि ११ वर्ष होते हुए हम इस खाद्य समस्या में कोई परिवर्तन नहीं कर पाये ? समस्या दिन प्रति दिन बदतर होती चली जा रही है। हमने प्रार्थना की, एक बार नहीं, हजार बार कि हम पार्टी पौलिटिक्स में मुल्क को और उसकी समस्याओं को नजर-अंदाज न करें । इसलिये मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से और खास कर खाद्य मंत्री जी से कि जो गवर्नमेंट की पालिसी बनायी जाती हैं क्यों हम उन पर आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं ? कहा जाता है सहकारिता की बुनियाद पर हम अपने मुल्क का उत्थान करने जा रहे हैं, विकास करने जा रहे हैं । देखिये आज बटवारा दूकानों का। कोआपरेटिव सोसाइटीज को दूकानें नहीं दी गईं और अगर दी गईं तो उसका नक्शा देख कर खेद होता है । गरीबों को उन बड़े-बड़े तिजारतियों के हवाले कर दिया ताकि उनकी लूट और खसोट चल सके। कोआपरेटिव सोसाइटीज को उन चीजों का कोटा दिया गया जैसे सूजी वगैरह का जो बड़े-बड़े आदमियों के काम की चीजें हैं। गरीबों के लिये अनाज की दूकानें व्यक्तियों को दी गई । जब हम कोआपरेटिव बेसिस पर मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कारण है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रीफरेंस नहीं दिया जाता है? सरकार की पालिसी को क्यों नजरअंदाज किया जाता है ? हम इसका जवाब चाहते हैं ।

मैंने अपने टूर के दौरान में एक पत्र मंत्री जी को लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर, गढ़वाल ने एक कोआपरेटिव सोसाइटी, तहाबाजार में बनाने को कहा ।

कोआपरेटिव सोसाइटी कायम हो गई उनको गल्ला देने के लिये कहा गया, सिपारिश की गई, बावजूद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिपारिश के कोआपरेटिव सोसाइटी को गल्ला न दिया जा कर व्यक्तियों को दिया गया । यह क्या माने रखता है हम आपसे जवाब मांगते हैं । हमसे कहा जाता है कि जिला मैजिस्ट्रेट से बात कीजिये वह जवाब देंगे । हम आपसे पूछते हैं कि तनख्वाह हम आपको देते हैं जनता के खजाने से। आपको हमको जवाब देना है । हम जनता के प्रतिनिधि हैं । यह गुस्ताखी जनता के साथ नहीं होनी चाहिये । यहां तर्क होते हैं कि सुझाव नहीं आया । आप जो दूसरों को नसीहत देते हैं आप बतायें कि आपने क्या सुझाव दिये ? ओवर नाइट गेहूं और चावल की उपज को बढ़ाया नहीं जा सकता, यह हम सब मानते हैं । ठीक है सरकार की तरफ से अभियान हो रहे हैं चारों तरफ जिलों में, यह हम भी जानते हैं, हमने भी पार्टिसिपेट किया है । लेकिन हम मुल्क की कमियों को जानते हैं । क्या आपने जनता में काम करने का ऐनथ्यूजिएज्म पैदा किया है ? मैं कहता हूं कि हरगिज नहीं । आप फेल हुए हैं, बिल्कुल फेल हुए हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—'आप' शब्द का प्रयोग आप किसके लिये कर रहे हैं ? इसको आप साफ़ कर दें, क्योंकि मेरी पोजीशन बड़ी ऐमबारेसिंग हो जाती है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं आपके द्वारा ही अपनी बातों को कहना चाहता हूं । जब मैं जानता हूं कि दरवाजा बहुत तंग है तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाषण के प्रकाश की रश्मियां आपके दिमाग के अन्दर जरूर पहुंचें ।

मैं बताना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि प्रकृति ने खेतिहरों का साथ नहीं दिया, लेकिन यह बात जरूर है कि भाषण देने वालों का साथ प्रकृति ने जरूर दिया है ।

इसका मुझे बड़ा खेद है कि आप देखेंगे मुल्क में कितने लोग बेकार फिर रहे हैं, उन्हें काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। उस ह्यूमैन एनरजी को क्यों नहीं आर्गेनाइज किया गया? सैसत बांटने से आप किसी नेशन को तन्दुरुस्त, तगड़ा और स्वस्थ नहीं बना सकते। इसमें मेरा विश्वास नहीं है, इसलिये मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि जनता के साथ सरकार तो बहुत आगे भागी चली जा रही है और जनता पीछे पड़ी हुई है--चलिये। आप समझ रहे हैं कि अपनी गाड़ी आगे ले जा रहे हैं लेकिन जनता तो पीछे छूट गई है। मुल्क को आगे ले जाने वाले क्या इस तरह से काम करते हैं? मैं समझता हूं कि जिनको अपने मुल्क का दर्द है, जिसको ६॥ करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों से प्रेम है, वह इस तरह के कदमों पर विश्वास नहीं रखता। मैं समझता हूं एक्सपेरीमेन्टेशन में हमने अपनी शक्ति को खत्म किया है। नये-नये एक्सपेरीमेन्ट्स किये गये जो कोई मानी नहीं रखते हैं। मुहम्मदबिन तुगलक की तरह अगर हम मुल्क की समस्याएं चलाएं और एक दौलताबाद बसाएं, क्या इससे हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। मुझे खेद है कि लोगों को एक्सपेरीमेन्ट करने के लिये लम्बी रस्सी दी गई है, ए लांग रोप फार एक्सपेरीमेन्टेशन। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ फिर यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पालिसी का सबसे पहले ध्यान रक्खें। मुल्क को संगठन के साथ आगे बढ़ाना है तो सहकारिता की दुकानों को सबसे पहले गरीबों के हवाले करें, बड़े-बड़े सेठों के हवाले गरीबों को न करें।

दूसरी बात अनाज का अगर प्रबन्ध करना है तो--भाई गोविन्द सहाय जी ने कहा लेकिन चोरी हुआ ही करती है। हम इस बात को नहीं मानते। आप चोरी को मिनीमाइज कर सकते हैं। अगर बारह आने चोरी होती है, आप उसको स्ट्रिक्ट विजीलेन्स अगर आपके पास है, तो चार आने के बराबर दर घटा कर उसको ला सकते हैं। क्या यह मुल्क के धन और दौलत की रक्षा नहीं है? मैं कहता हूं कि जो कालोसल वेस्ट है उसको स्टाप क्यों नहीं किया जाता। अब रहा अनाज, खेद इस बात का है कि जो अनाज आ रहा है वह सड़ा गला है और अनफिट फार ह्यूमेन कंजम्पशन है। खैर जो कुछ भी हो, उसके लिये मैं सरकार को अधिक दोष नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने कंट्रोल के जमाने में देखा कि हजारों, लाखों मन जो गल्ला भरा हुआ था उसकी कोई केयर नहीं की गई। मैं नहीं कहता कि जान-बूझ कर गलाया गया, लेकिन अगर आपकी लापरवाही से गल गया तो आप नेशन के सामने जवाब देने के जिम्मेदार हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त हुआ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यादवेन्द्र दत्त जी ने जो प्रदेश में खाद्य समस्या से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं उसी संबंध में कुछ विचार व्यक्त करता चाहूंगा। श्री गोविन्द सहाय जी को सुनने का मौका अक्सर मिला करता है। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि क्या सुझाव दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके द्वारा माननीय गोविन्द सहाय जी से ही नहीं बल्कि सदन के सम्मानित सदस्यों से और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा। सन् १९४६ से जब से इस सूबे में कांग्रेस सरकार आई है तब से आज तक उसकी गति विधि का यदि अवलोकन किया जाय, उसकी खाद्य नीति और दान नीति दोनों को सम्मुख रखते हुये, तो सरकार की असफलता सर्वदा नजर आयेगी। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जब खाद्य मंत्री थे, आपको स्मरण होगा कि कम्पलसरी फूड प्रोक्योरमेंट हुआ था, जबरदस्ती गल्ला वसूली हुई थी। उस वक्त भी हम ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि यह कम्पलसरी गल्ला वसूली कामयाब न होगी, हमने पूरे आंकड़े भी दिये कि इन तरीकों से अगर चाहते हो तो गल्ले की वसूली करो और इस तरह से न करो लेकिन हमारी बात

[श्री राजनारायण]

को उस वक्त सुनी अनसुनी कर दिया गया, काफी गोलियां चलाई गईं और कई जानें भी गईं और अन्त में सरकार उस नीति को त्यागने पर मजबूर हुई। उसके बाद प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से गल्ला पैदा करने की नई शक्ल रखी गई कि गमलों में खेती करो और मकान की छतों पर खेती करो और उसी सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले के हाते में स्वायललेस (बिना मिट्टी) खेती के एक्सपेरीमेंट्स (परीक्षण) भी किये गये परन्तु फिर भी अन्न की स्थिति ठीक न हुई। इस तरह से जब गमलों की खेती और छत की खेती से भी खाद्य समस्या हल न हुई तब खुलकर प्रकृति पर दोष मढ़ा जाने लगा कि हम क्या करें सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, पत्थर पड़ गये।

इस सबको छोड़ दिया जाय, अगर सरकार के सामने यह प्रश्न नहीं है कि गल्ला है या नहीं है और श्री गोविन्द सहाय जी की बात को ही मान लिया जाय कि इसमें दो राय हो सकती हैं, किसी के कथनानुसार गल्ला काफी है, किसी के खयाल से कम है इसको जानने का प्रयत्न न सरकार ने ही किया है और न हमने ही ठीक-ठीक किया है, हमारे पास तो वह साधन भी नहीं हैं जिस सम्पन्नता के साथ सरकार चाहे तो पता लगा सकती है कि गल्ला कम है या अधिक है। सवाल यहां पर यह है कि मुनाफाखोरी किसको माना जाय। मैं पालीवाल जी से कहूंगा कि इस चीज की सफाई होना चाहिये कि मुनाफा क्या है, क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है कि गल्ला इस भाव पर खरीदा जाय और इतना अधिक से अधिक मुनाफा लेकर इस भाव पर बेचा जाय? जब तक सरकार की तरफ से यह नीति नहीं तय होगी तब तक मुनाफा १०,२०,३० या किस को माना जायगा? यहां की सरकार के दिमाग में तो अगर आढ़तिया १२ रुपया मन खरीदकर ३० रुपया मन भी बेचे तब भी वह मुनाफाखोरी नहीं है लेकिन मैं पालीवाल जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की मुनाफाखोरी रुके कैसे? इसी के लिये हम १० मई सन् १९५७ से बराबर सरकार को सचेत कर रहे हैं, श्री गोविन्द सहाय जी भी अखबार पढ़ते होंगे, मैंने कहा था कि एक निश्चित नीति हो कि जिस भाव पर किसान अपने खलियान का गल्ला बेचे उस पर ४ पैसा सेर से अधिक मुनाफा लेकर गल्ले की बिक्री न हो। इससे दोनों बातें होंगी, एक तो किसान को समुचित कीमत मिलेगी और आढ़तिये जो साजिश में रहते हैं कि किसान को मजबूर कर के सस्ती कीमत पर गल्ला लेकर संचित करें और अधिक से अधिक मुनाफा लें वह चीज रुक जायगी और जब आढ़ती यह समझेगा कि ४ नये पैसे सेर से अधिक कीमत नहीं मिल सकती तो वह इस तरह की साजिश, चोरी या मुनाफाखोरी में नहीं लगेगा। अगर किसान खलियान के वक्त १२ रुपया मन गेहूं बेचता है तो किसान को भी और दूसरे लोगों को भी बाद में १४ रुपया मन मिल सकता है। इसलिये जब तक हमारी कोई निश्चित नीति नहीं है कि मुनाफा हम किसको कहते हैं तबतक हम किसी निश्चित मत पर नहीं आ सकते कि मुनाफा हम १५ रुपए को, २० रुपए को या २५ रुपए को किसको मानें। इसलिये माननीय गोविन्द सहाय जी सरकार को पुनः कष्ट न दें कि वह देखे कि गल्ला काफी है या नहीं बल्कि वह उसे इस नीति पर ला दें कि सरकार एक निश्चित दाम तय करे कि इससे अधिक कीमत पर गल्ला हमारे सूबे में नहीं बिकने पायेगा। यदि यह नीति निश्चित हो जाय तो बहुत सी लड़ाई और झंझट खत्म हो जायगा। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि सरकार को अब तो यह नीति निर्धारित कर ही देनी चाहिए कि सदा जिस भाव पर किसानों का गल्ला खरीदा जाय, ४ पैसे सेर अतिरिक्त मुनाफा लेकर उससे अधिक पर किसी भी अन्य समय में गल्ले की बिक्री न हो।

मुझे आज बड़ी खुशी हुई माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे को सुन कर। उन्होंने कहा कि एक सम्पूर्णानन्द कमेटी बनेगी जिसको कभी कभी सर्वदलीय कमेटी का नाम दिया जाता है तो वह परिस्थिति का समाधान कर सकेगी। लेकिन यह आशा निराशा में परिणत हुई। मैं आज पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमको आज दो जुबान की बात छोड़ देनी चाहिए।

कनफ्यूशियस जो एक बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसने बारबार इस बात को प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को अपने शब्दों से जाना जाना चाहिए। जब तक शब्दों से किसी को नहीं जाना जायगा तब तक समाज कभी भी सुसंस्कृत और सभ्य नहीं हो सकता। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जैसा कि कहा गया, लम्बे-चौड़े बयानात अखबारों में जाना मगर करना कुछ नहीं है।

सारी बातों को छोड़ दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी हमारे क्षेत्र में पद यात्रा करने गये थे और मुझे प्रसन्नता हुई कि शायद उनके जा से गल्ले की दूकानों की चोरी तो रुक जायगी। श्रीमन्, कल मैं आ रहा था, दो आदमी मिले। दारोगा परेशान है। उसका कहना है कि मैं करूं क्या। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कुछ बिल्ले लगाकर लोग खड़े हो गये जो खुद चोरी करवाते हैं। अगर गिरफ्तार करते हैं तो हमारी आफत आ जाती है। खाली एक जिला बनारस ले लिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी और कमलापति जी दोनों वहां से आते हैं। वहां जितना भ्रष्टाचार है शायद दूसरे जिले में नहीं होगा। केवल एक-एक उदाहरण आपको दूंगा। चन्दौली है। श्रीमान् कमलापति जी त्रिपाठी का क्षेत्र है। उसमें एक दूकानदार जो कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं लाइसेंस लिए हुए हैं। लगातार हमारे साथियों ने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से निवेदन किया कि वह चोरी का गेहूं दूसरे घरों में रखे हुए है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तहसीलदार के पास गये, लेकिन वह नहीं सुनता, कलेक्टर नहीं सुनता, सप्लाई आफिसर नहीं सुनता क्योंकि वह कांग्रेस का पदाधिकारी है, उसके पीछे सरकार की ताकत है, हैवानी और शैतानी ताकत है जो उसको ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करती है तो समाधान हो कैसे? मैं चाहूंगा माननीय गोविन्द-सहाय जी से कि जरा एक जिला चुन लें और देखें कि सस्ते गल्ले की दूकानें उन्हीं को दी जाती हैं, वही मम्मा, नन्ना, श्वसुर-दामाद।

(लाल बत्ती होने पर)

जरा थोड़ा समय और बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—समय बढ़ाने का नियम नहीं है। आपके २ मिनट शेष हैं।

श्री राजनारायण—तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं हर्गिज इस बात को पसन्द नहीं करता कि बार बार कहूं कि 'भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है' मगर हम बाध्य हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार की धारा ऊपर से चल रही है और जब ऊपर से चलती है तो द्रुत गति से चलती है। अगर हमारे साथ सम्पूर्णानन्द जी बनारस चलें तो हम उनको ऐसे लोगों को पकड़वा कर रहेंगे। वह मठाधीश जिनके पास सरकारी ताकत है वह भी आज भ्रष्टाचार कराने पर तुले हुए हैं और जो जितना बड़ा है वह उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचारी बना हुआ है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फूड प्राइस पालिसी (गल्ले की दाम सम्बन्धी नीति) निर्धारित होनी चाहिए। सस्ते गल्ले की दूकानें किस किस को दी जायं और उनका बटवारा कैसे हो यह तय होना चाहिए और उसके साथ निश्चित रूप में कह देना चाहिए कि जो सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला देहातों से शहर में ले जाते हैं वह बन्द होना चाहिए। हम कई लोगों को पकड़ चुके हैं। कहते हैं कि फलाने के घर जा रहा है। वह क्यों न दूसरी जगहों से खरीदें? जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उन्हीं पर से बड़े-बड़े लोगों और अफसरान खरिदवा कर रख लेते हैं, इसकी रोक होनी चाहिए और एक कमेटी जो बनती है, माननीय मंत्री जी किस स्वप्न में विचरण कर रहे हैं जो कहते हैं कि एक सलाहकार कमेटी हर जिले में बनी हुई है। मैं नहीं जानता हमारे यहां कोई बनी हुई है। कुछ प्राइवेट सेक्रेटरी जो मंत्रियों के थे वह बैठकर अफसरान को हिदायतें करते हैं कि इनको सस्ते गल्ले

[श्री राजनारायण]

की दूकानें दो या न दो। यही कारण बना हुआ है कि गल्ला नहीं मिल पा रहा है। मैं कल बनारस से आ रहा हूं। हमारे क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानों से सड़ी छोटकी जोन्हरी मिल रही है, गेहूं नहीं मिल रहा है और यहां लखनऊ में सदन में बैठ कर कहा जा रहा है मंत्री जी के मुखारविन्द से कि पहली जनवरी से गेहूं दिया जा रहा है। इसलिये अगर प्रदेश की खाद्य समस्या या और किसी समस्या का समाधान करना है तो हमारी वाणी और कर्म में एकरूपता होनी चाहिए और जनहित की दृष्टि से होना चाहिए। पार्टी पालिटिक्स संकुचित रूप से अगर कोई चला रहा है तो यह सरकार चला रही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चला रहा है और न कोई दूसरी पार्टी चला रही है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो दो-तीन भाषण सुनने को मिले उनसे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न बहुत है और उसका वितरण ठीक से नहीं हो रहा है इसलिये प्रशासन पर दायित्व है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् १९५०–५१ में राशनिंग समाप्त होने के बाद सन् १९५३ ही ऐसा वर्ष था जिसमें इस प्रदेश में खाद्यान्न कुछ अधिक हुआ और उसके बाद से सन् १९५४ से लगा कर सन् १९५९ तक एक न एक आपत्ति किसी न किसी रूप में आती रही। यह सभी को मालूम है कि इस प्रदेश में अगर सारी फसल अच्छी हो तो प्रत्येक आदमी को खाने को ठीक से मिल सकेगा, सरप्लस नहीं होगा। यह यहां की भूमि और यहां की सवा ६ करोड़ की आबादी का ध्यान रखते हुये स्पष्ट है।

(इस समय ५ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अब इसमें अगर कोई विपदा आ जाती है तो परिस्थिति बिगड़ जाती है। लगातार पिछले ५–६ वर्ष से परिस्थिति बिगड़ती रही है और हमें केन्द्र से सहायता लेनी पड़ती है। भारतीय सरकार बाहर से अन्न मंगा रही है। हम सभी सदस्यों को और प्रदेश के लोगों को मालूम है कि पौने तीन सौ करोड़ का अन्न गत वर्ष आया था और यहां की आयात की स्थिति, मुद्रा की स्थिति और जो नियोजन चल रहा है उसे दृष्टि में रखते हुये केवल खाद्यान्न ही मंगाया जाय और सारे नियोजन के काम बन्द कर दिये जायं और सरकार दैवी आपदाओं पर नियंत्रण करके सब के घर में अन्न पहुंचाये यह मनुष्य की शक्ति के बाहर मालूम होता है। जो भी शासन में बैठेगा, चाहे वह राजनारायण जी हों या पालीवाल जी हों, उसको प्रदेश का ध्यान रख कर बातें करनी होंगी। जो हमारे प्रदेश के साधन हैं उन्हीं के अन्तर्गत सरकार को कार्य करना होगा। वितरण ठीक न हो तो प्रशासन का दोष हो सकता है।

खाद्य समस्या के दो पहलू हैं। एक तो खाद्यान्न पूरा है इस प्रदेश में या नहीं। दूसरे जो केन्द्र से सहायता मिलती है वह काफी मिलती है या नहीं और उसका वितरण ठीक हो रहा है या नहीं। अगर प्रशासन ने इस बीच में खाद्यान्न के उत्पादन के संबंध में कुछ न किया हो तो यह कहा जा सकता है कि उसका दोष है। बार-बार इस सदन में कहा जा चुका है कि केन्द्र से इस सरकार ने ज्यादा मांगा नहीं। यह भी कहा गया है कि तब भी केन्द्र ने पर्याप्त सहायता उत्तर प्रदेश को दी है। बंगाल में गत वर्ष कमी पड़ी, केरल को चावल चाहिये, बिहार को सहायता चाहिये, पंजाब सरकार को गेहूं चाहिये। भिन्न-भिन्न सरकारें अपने प्रदेश की स्थिति की दृष्टि से केन्द्र से खाद्यान्न की सहायता ले रही हैं और भारत की ३६ करोड़ जनता में उत्तर प्रदेश की सवा ६ करोड़ जनता का जो हिस्सा है वह मिल रहा है। हमने राशनिंग तो की नहीं है क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न थोड़ा है। प्रदेश में सरकार ने केवल सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं। केवल इसमें बात यह थी कि जो खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ता चला जा रहा था या मरने की स्थिति पैदा हो जाती यदि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें न खुलतीं। इस बढ़े हुये मूल्यों को कंट्रोल करने के लिये यह दुकानें खोली गई हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि शहरों में बड़ी कठिनाई हैं क्योंकि देहातों में तो गेहूं के अलावा और भी अनाज पैदा हो जाते

हैं जिनसे वहां के लोग अपना काम चला लिया करते हैं। लेकिन हमारे यहां शहरों में गेहूं आदि अनाज नहीं होते हैं इसलिये बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये शहरी लोगों को विशेष सुविधा दी गई है।

मैं जानता हूं कि अभी बजरी हम लोग दिलवा रहे थे। मिलों को लोग खरीद रहे थे। गेंहूं तो ऐसे लोग ही खरीदते थे जो ब्लैक करते थे या पैसे वाले थे। इसलिये इस बात को सोचना चाहिये कि मरता हुआ आदमी मिलो खा सकता है। विरोधी पक्ष के लोग जो कहा करते हैं कि इस प्रदेश के पूर्वी भाग के लोग गुठली खाकर, गोबर खाकर अपना काम चलाते हैं तो मैं कहूंगा कि इन चीजों से मिलो कहीं अच्छी है? हमने इस बात को देखा भी है कि गरीब लोग मिलो खरीदते थे। अगर सरकार के पास काफी गेहूं और चावल होता और सरकार उस समय इनको न देकर मिलो देती तब तो सरकार दोषी थी। लेकिन यह कहा जाता है यह सब वस्तु स्थिति से परे है।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं और विरोधी पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की सरकार के पास गेहूं का स्टाक बहुत है, क्या सरकार के पास चावल का स्टाक बहुत है? अगर वाकई सरकार के पास इन चीजों का स्टाक काफी होता और फिर जनता को वितरण न किया जाता तब तो उनका कहना ठीक था। अगर वह लोग इस चीज को साबित कर सकें तब तो हम समझ सकते हैं कि सरकार दोषी है और वितरण की व्यवस्था में खामी है।

प्रदेश के पूर्वी भागों में खाद्यान्नों की कमी हमेशा से रही है। इसीलिये वहां पर २५०-३०० दूकानें खोली गई हैं। पश्चिम में भी रबी की फसल में इतनी बाढ़ आई कि जो गेहूं के उत्तर प्रदेश के भंडार थे उनकी हालत दैवी प्रकोप के कारण बहुत बिगड़ गई। अब आप लोग बताइये कि दैवी प्रकोपों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? कोई ऐसा मुख्य मंत्री या खाद्य मंत्री हो सकता है जो दैवी प्रकोपों को रोक सके? मनुष्य के साधनों के अन्तर्गत जो काम हो सकते हैं वह हम करते हैं। इसलिये आज ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मेरी समझ में तो यह आता है कि यह सब पोलिटिकल स्टन्ट है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। खाद्यान्नों की समस्या के सम्बन्ध में दो वर्षों से विरोधी पक्ष के लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं। क्या उन्होंने उसको सुलझाने के लिये कोई आंदोलन चलाया। क्या उन्होंने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि अनाज की कमी है इसलिये ज्यादा अनाज पैदा करो। उन्होंने तो गल्ले को लूटने का आन्दोलन चलाया, घेरा डालो' आन्दोलन चलाया गन्ना आन्दोलन और ऐसे ही आन्दोलन चलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक दूसरे को बुरा भला कहने से तथा एक दूसरे की निन्दा करने से और एक दूसरे की टीका-टिप्पणी करने से क्या अन्न पैदा हो सकता है? लोगों में श्रम की आदत डालनी होगी तब हमारा काम चल सकता है। मैं जानता हूं कि आज आपकी प्रवृत्ति ही बदल गई है और हर बात में हमारी टीका-टिप्पणी की जाती है। हम लोग सब यहां बैठकर निश्चय करते हैं कि नियोजन का काम करेंगे, लेकिन श्री राज-नारायण जी उसकी टीका-टिप्पणी करते हुये सुने गये। आखिर क्या बात है। खेतिहर समझता है कि ज्यादा पैदा करने से मूल्य को गिराना है तो जब उसकी ऐसी भावना है तो मेहनत ही क्यों करेगा? वह समझता है कि प्रशासन को ही अन्न लाकर उसे खिलाना है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जो उनकी पालिसी है वह गलत है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस समस्या को समझें और खाद्यान्नों की समस्या को सुधारने में आप लोग सहयोग नहीं देंगे और एक दूसरे की निन्दा करते रहेंगे और खाली टीका-टिप्पणी करते रहेंगे तो यह समस्या कभी नहीं सुलझ सकती। इससे हमारे प्रदेश की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। मैं तो श्रीमन्, इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन जो मुख्य चीज है उसको छोड़ कर उसको राजनीति का रूप दिया जा रहा है। इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है कि यह क्या बात है, क्या टीका टिप्पणी है? माननीय पालीवाल जी जैसे वयोवृद्ध नेता जब ऐसी बात कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। माननीय नेता जनसंघ ने जौनपुर

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

की बात कही कि वहां दुकानें नहीं हैं। दूकानों की क्या जरूरत है ? क्यों नहीं आन्दोलन चलाते कि एक भी दूकान नहीं लेंगे हम ऐसी योजनायें बनायें जिससे हम आत्म निर्भर हो जायं, अगर प्रशासन ने कहीं उत्पादन बढ़ाने में जो सुविधायें प्रदान की हैं, केमिकल्स में और दूसरी चीजें प्रदान करने में कोई ढिलाई हो, यदि बजट में व्यवस्था न की होती तो आप कह सकते थे कि प्रशासन दोषी है। लेकिन दैव पर कोई दोष नहीं दे सकता। चाहे खाद्य मंत्री आप हों या मैं हूं यह परिस्थिति सामने रहेगी। उनके पास जो सुझाव हों उसके लिये वह दें। हमारी आबादी कुछ देहातों में रहती है और कुछ शहरों में। देहात के लोग खेती करते हैं। इसलिये उनके पास मोटा अन्न रहता ही है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सुझाव दें कि किस तरह से प्रदेश की बिगड़ी हुई खाद्य स्थिति को सुधारा जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव जन संघ के माननीय नेता ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरी निश्चित राय है कि इस सरकार की खाद्य नीति, फूड पालिसी १६ आने असफल हुई है। इरादा था। ऐलान था। कोशिश की गयी। हर तरह की कोशिश की गयी। उन लोगों की भी सलाह ली गयी जो सरकार में नहीं हैं, उसके विरोधी हैं। महज बात यह थी कि अनाज के दाम बढ़ने न पायें बल्कि घटें और उस कीमत पर अनाज बाजार में बिके जो मुनासिब कीमत हो। मुनासिब कीमत का ऐलान भारत सरकार ने जिस पर इस सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की १९५५ के जून के महीने में किया था कि अगर दस रुपये मन गेहूं बिके तो वह उसको मुनासिब कीमत समझती है। आज ७ फरवरी का हापुड़ का भाव २६–२८ रुपये तक गेहूं का है। जाहिर है कि दस रुपये से मुकाबिला किया जाय तो पौने दो सौ फीसदी ज्यादा है। अगर मई, १९५८ से मुकाबला किया जाय तो गेहूं का भाव १५ रुपये मन था। १५ रुपये से २६–२८, लगभग ८० फीसदी का इजाफा है। कभी भी जब अन्न की पैदावार खराब भी हुई है। तो इतना वेरिएशन अन्न के दामों में हुआ है या नहीं यह सोचा जाय। कहा गया कि कुदरत ने वफा नहीं की। सही बात है। लेकिन जहां तक खरीफ की फसल का सवाल है एक स्वर से, सरकारी और असरकारी दोनों हल्कों से यह आवाज उठी कि धान, मक्का, ज्वार की फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन यह मंहगाई पिछले डेढ़ पौने दो महीने के अन्दर हुई है। यह अगहनी की फसल जब बाजार में आ गयी उसके बाद हुई है। फसल खराब नहीं हुई। सरकार ने दूकानें भी खोलीं। विरोधी जिनकी सरकार चलाने की जिम्मेदारी नहीं है उनका मशविरा भी लिया गया लेकिन दाम बढ़ते ही चले गये और कोई रुकावट का चिन्ह आज के दिन तक नजर नहीं आता। इसलिये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की फूड पालिसी खाद्य नीति असफल रही और यह आवश्यक है कि उस पर नये सिरे से विचार किया जाय कि क्या कारण हैं? मान्यवर, गौर करें कि छोटी ज्वार कभी बिकी है साढ़े १५ रुपये मन थोक के भाव में अभी दिसम्बर के शुरू में इसका भाव था ९ रुपये मन और जो बढ़ा दिसम्बर से तो साढ़े १५ रुपये मन पहुंच गया। चावल का यही हाल है। जो चावल १५ रुपये, १४ रुपये और १३ रुपये मन बिकता था वह २२ रुपये मन पर बिक रहा है और यह मोटिया चावल की बात है।

कारण क्या है ? जो मेरी समझ में है उसको मैं अर्ज करना चाहता हूं। सरकार ने २८ नवम्बर को स्टेट ट्रेडिंग का नारा दिया। सरकार की ओर से समझा गया कि अनाज का भाव बढ़ने में बनिये का बहुत बड़ा हाथ है वह हेरफेर करता है। दूसरों की भी राय थी। महज सरकार की ही यह राय नहीं है दूसरों की भी राय है लेकिन बगैर किसी आल्टरनेटिव मैशीनरी को क्रियेट किये हुये स्टेट ट्रेडिंग का नारा दिया गया। याद करें इस सदन के माननीय सदस्य कि २८ नवम्बर को दिल्ली से आवाज उठी स्टेट ट्रेडिंग की और २९ नवम्बर से ही भाव बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब सात आठ दिन के अन्दर तस्वीर साफ होते ही गल्ले का भाव बढ़ा। बनिये, माफ कीजिये बनिया में गलत कह गया अनाज का व्यापार करने वाले लोग समझदार लोग हैं। जब सरकार ने यह योजना बनाई जिस योजना का समर्थन

असरकारी तरीके से भी हुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने भी उसका समर्थन किया कि स्टेट ट्रेडिंग हो व्यापारी ने कहा कि इस वर्ष वह रामेश्वरम्, द्वारिका और जगन्नाथ की यात्रा करेगा। सरकार सब काम अपने जरिये से करे। नतीजा ? नतीजा बाजार ठप हो गया। गवर्नमेन्ट कोई भी योजना इस खाली हुई जगह को पूरा करने के लिये तैयार नहीं कर पायी और न अभी साल, छः महीने में तैयार कर पायेगी। तो फिर यह बात क्यों कह दी गयी ?

बाजार का हाल क्या है ? दाल अरहर १ रुपये सेर क्योंकि मालूम हो गया कि जब स्टेट ट्रेडिंग होगी तो ये महज गेहूं और चावल में ही नहीं करेंगे ये अरहर, मूंग और उड़द में भी करेंगे। उड़द का भाव २६ रुपये मन हो गया। अरहर का हापुड़ का कोटेशन है २५ रुपये मन जबकि मई में १२.१२ यानी लगभग १२ रुपये २ आने मन था उससे २५ रुपये मन यानी सौ फीसदी बढ़ोत्तरी अरहर के दाम में। मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर विचार करें, पुनर्विचार करें। यह एक वाकया है और वह ऐसा जिससे सबका ताल्लुक है।

दूकानों का जहां तक ताल्लुक है सरकार ने शहरों में दूकानें खोलीं लेकिन क्या सरकार को मालूम नहीं है कि गांवों में ३० फीसदी ऐसे उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं जिनके पास भूमि नहीं है ? उनकी रिहायश का क्या इन्तजाम किया गया ? आज वे भूखों मर रहे हैं। यह कहना कि आनाज न खावें सब्जी खावें बहुत आसान है लेकिन इसको व्यवहार में लाना आसान नहीं है। शहरों में तो सब्जी मिले लेकिन देहातों में कहां परवल, लौकी, तुरई और टमाटर। क्या गांव में इतने सब्जी के खेत हैं ? कै फीसदी खेत कछियाने के हैं ?

ईमानदारी से सही बात को तसलीम करना चाहिये, हिम्मत के साथ कहना चाहिये कि गल्ती हुई। स्टेट ट्रेडिंग का नारा सफल नहीं हुआ। मान्यवर, गौर करें, कि एक तरफ तो यह कहा गया कि सर्विस कोआपरेटिव बनेंगी और दूसरी तरफ स्टेट ट्रेडिंग की योजना। यह सर्विस कोआपरेटिव क्या करेंगी, वह मार्केटिंग भी तो करेंगी, हल बैल, सप्लाई करेंगी, सीड देंगी और गल्ले को ठीक दाम पर बेचेंगी। तो फिर स्टेट ट्रेडिंग क्यों ? सर्विस कोआपरेटिव्ज और स्टेट ट्रेडिंग असंगत बातें हैं।

अभी समय है और कोई घबराने की बात नहीं। आदमी से गलती होती है और सरकार से भी गलती होती है। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को इस दृष्टि से सरकार के पक्ष की तरफ से न देखा जाय कि कोई उसकी निन्दा करने के लिये लाया गया है। यह जनहित की बात है और जनता का हित इसी में है कि जो सरकार की खाद्य नीति है उस पर पुनः विचार किया जाय।

आंकड़ों से यह बात साबित होती है कि लगभग १० छटांक सीरियल एक व्यक्ति की रोजाना खूराक है। शहरों में उनको ४ छटांक सरकारी दूकानों में मिलता है। बाकी ६ छटांक वह कहां से लायें ? उन्हीं मंहगी दूकानों से लेना पड़ता है। यह कहना कि होर्डिंग बहुत है, अगर है तो उसे पकड़ते क्यों नहीं ? असल में व्यापारी का नानकोआपरेशन, सरकार के साथ उनका असहयोग है। जो बाजार को चलाने की एजेन्सी थी उसका असहयोग अगर सरकार के साथ रहता है तो लाले पड़ जायेंगे। अगर मैं यह कहूं कि स्थिति पर काबू पाना असम्भव हो जायगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से प्रयत्न होना चाहिये और जो सरकार की खाद्य नीति है उस पर पुनः विचार होना चाहिये और ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे कुछ सुधार हो। मैं यह निश्चितरूप से कहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है अगर सर्विस कोआपरेटिव को सफलतापूर्वक चला दें। दूसरे इन्टर डिस्ट्रिक्ट्स पाबन्दी को हटा दें जैसे रायबरेली से लखनऊ धान नहीं आ सकता। इससे लखनऊ में दाम बढ़े और फिर रायबरेली में। और यह चक्र चलता ही रहा। इसलिये इन्टर डिस्ट्रिक्ट पाबन्दी खत्म होनी चाहिये। इसके अलावा कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट धान का खत्म होना चाहिये। खुले बाजार में जितना चाहें खरीदें। यदि ऐसा किया जाय तो मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द अन्न के दाम गिरेंगे और अगली चैत की फसल में यह दिक्कत नहीं रह जायगी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि माननीय सदस्यों ने, जो बात मैंने कही थी, उसको कुछ सही रूप में नहीं समझा। मैंने कभी यह नहीं कहा कि अन्न की जगह पर सब्जी खाइये। मैंने तो यह कहा था कि दाल की जब आपने कमी बतलाई तो मैंने कहा कि उसकी पूर्ति करने के दूसरे उपाय हैं और वह सब्जी है। अब आप न खाइये, कोरा अन्न खाइये, मुझे इससे मतलब नहीं है।

जहां तक भावों की बात है पिछली दफा किन्हीं वजहों से सारे भारतवर्ष के अन्दर भाव तेज हुये। हमारे पड़ोस दिल्ली में भी भाव बढ़े और पंजाब में भी भाव बढ़े। उस समय हमारे सूबे में १ सेर १२ छटांक गेहूं बिक रहा था और मुझे यह आशा थी कि यह २ सेर तो कम से कम शीघ्र हो जायगा और यह भी आशा थी कि अगर दिल्ली में भाव बढ़े और पंजाब में बढ़े तो उसका असर कुदरतन हमारे यहां भी पड़ेगा। हम उसको समझते थे कि इसका असर पड़ेगा। इसलिये हमने तुरन्त उचित कार्यवाही करनी चाही और की। हमने दूकानों की संख्या पश्चिमी इलाके में और पूर्वी इलाके में भी और मध्य में भी बढ़ाई। शहरों में भी दूकानों की संख्या बढ़ाई। उसका नतीजा अगर आप देखें तो काफी असर पड़ा। जो कदम हमने उठाये उसका प्रभाव काफी पड़ा। हापुड़ के मार्केट में ३० जनवरी को गेहूं का भाव २७ रुपया ५० नया पैसा था। वह इस वक्त २६ रुपया २५ नया पैसा है। १ रुपया २५ नया पैसा भाव उसका घटा। इसी तरह से सहारनपुर में करीब ५० पैसे घटा, बुलन्दशहर में भी ५० पैसे घटा, अलीगढ़ में १ रुपया घटा। इसका अगर आपको विश्वास न हो तो मैं क्या करूं। आप किसी भी शहर या जिले को देखें, हर जगह १ रुपये या डेढ़ रुपये के करीब भाव घटा है। यह हमारे प्रयत्न का फल था। आज अधिकांश दूकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और बताता हूं कि गत वर्ष कुल अन्न ७१ लाख ३६ हजार के करीब बंटा था, लेकिन इस साल ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं कुल मिला कर १ करोड़ २८ लाख मन के करीब बांटा गया. . . .

एक सदस्य--भूसा भी बांटा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जहां जानवर मर रहे थे वहां भूसा भी बांटा गया। जहां तक गांवों की बात है, हमने हर जगह पूर्वी क्षेत्र में भी और पश्चिमी क्षेत्र में भी मात्रा बढ़ा दी और इसके अतिरिक्त हमने वहां गेहूं देना भी शुरू कर दिया ताकि हमारे ग्रामीण भाई गेहूं और लाल ज्वार मिला कर खा सकें। आप फरमाते हैं कि हम ३,४ जगह गये लेकिन वहां नहीं बंट रहा है। कल तक हमारे पास कोई भी पत्र या शिकायत नहीं आयी। अगर शिकायत आती तो हम जरूर जांच करते। केवल कह ने से ही काम नहीं चलेगा कि नहीं बंट रहा है। आप शिकायत करते कि बावजूद प्रेस स्टेटमेन्ट के नहीं बंट रहा है, तो हम उस पर कार्यवाही करते। पालीवाल जी ने जिस बात को कहा कि आंकड़े क्या हैं और किस आधार पर हम कहते हैं कि हमको इतनी आवश्यकता है उसको हम सामने रख दें। पिछले ५ सालों से बराबर हमारे प्रदेश पर प्रकृति का प्रकोप रहा है और इस साल के लिये भी १४ प्रतिशत की कमी पहले ही बता दी गयी थी। मुझे आंकड़ों से जहां तक मालूम है १ लाख टन के करीब शायद आपके यहां अन्न होता है और यह पैदावार नार्मल तरीके पर रहती है तो आप इसमें ७ करोड़ आदमियों के खाने का हिसाब लगाइये। लगभग सवा ५ छटांक फी आदमी पड़ता है। अब सवाल यह है कि एक आदमी के लिये प्योर अन्न की कितनी आवश्यकता है सेल्फ सफीशियेन्सी के नाम पर। अगर आप सब्जी की बात का बुरा मान रहे हैं, दूध, मछली और अंडा खाना बुरा समझते हैं और उसके लिये कहने का उल्टा मतलब लगाते हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाय तो हमारा डायट कितना नरशिंग रह जायगा इसको तो कोई डाक्टर ही बता सकता है। अभी जेल का हवाला दिया गया और कहा गया कि १० छटांक होना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि क्या डायट फिक्स होना चाहिये, लेकिन जो स्थिति है उसको मैं बताता हूं। इस वक्त अगर सवा ५ छटांक के हिसाब से जोड़ा जाय तो सेल्फ सफीशियेन्सी है। कांग्रेस की सेल्फ सफीशियेन्सी की बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस साल हम ८ लाख टन के करीब बांट

रहे हैं और वही मैंने हिसाब लगा कर देखा कि १४ परसेंट की कमी की वजह से यह आता है। अब सवाल यह आता है कि हम चाहे पूरा अन्न भी पैदा कर दें लेकिन वह मार्जिनल ही होगा, जरा भी प्रकृति का प्रकोप हुआ नहीं कि कमी पड़ जायगी। और आप लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि अपने भारतवर्ष में बच्चों की कितनी पैदावार होती है। मुझे ऐसा पता चला कि अगर सारे हिन्दुस्तान का हिसाब लगाया जाय तो एक दिन में एक मुरादाबाद बस रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पादन उसी रेशियो से हो रहा या नहीं। उत्पादन की बात दूसरी है मगर जैसी हमारे यहां कमी है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आप सारे का सारा किसानों से पर्चेज कर लें फिर भी बहुत कमी रहेगी। कोई भाई कह रहे थे कि डाइरेक्ट किसानों से खरीदा जाय, शायद दुबे जी ने यह सुझाव दिया था। तो अगर डाइरेक्टली भी गल्ला खरीद लिया जाय फिर भी डिमान्ड और सप्लाई के हिसाब से पूर्ति करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कमी तो फिर भी है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर दैवी प्रकोप किसी साल पड़ जाय तो कमी तो पड़ती ही है। तो मेरा निश्चित मत है कि हमारे प्रदेश के अन्दर ५०० लाख टन की आवश्यकता पड़ेगी, जब तक कि हम अपने यहां की एकड़ दुगनी पैदावार करनी शुरू न कर दें। तो जब इतनी कमी किसी दैवी प्रकोप से हो जाती है तो भाव अवश्य बढ़ेंगे। लोग यह भी कहते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर.....

श्री राजनारायण---आप एक इंफार्मेशन दे दें। आपने पहले कहा कि १०० लाख टन पैदा होता है और अब आप कहते हैं कि ५०० लाख टन हो तब आपकी पूर्ति होगी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आपने ५ छटांक के बजाय ८ या १० छटांक खाना चाहा, अपनी मात्रा बढ़ानी चाही तो उसके लिये पैदावार भी बढ़ानी पड़ेगी, खाली पेट ही बढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) यह सवाल यदि कोई दूसरा करता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने सारे प्रदेश का हिसाब लगाया तो इतनी कमी पड़ती है। कमी तो जौनपुर में भी पड़ेगी। आपने अभी शिकायतें कीं कि बैरियर खड़े कर रखे हैं। वहां पर भी बैरियर हैं, आगरे में भी बैरियर रखे हैं। वहां पर ७०० मन पकड़ा भी गया। गोरखपुर के लिये कहा गया कि आज अखबार में है कि वहां पर भी पकड़ा गया तो वहां पर भी हमारे इन्सपेक्टर ने ही पकड़ा। यहां पर झांसी का किस्सा उठाया गया। मुझे तो अफसोस मालूम होता है कि वहां पर ३० तारीख को जो पी० एस० पी० की यूथ आर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली थी उसके दूसरे रोज वहां पर औरतों से, उसी मुहल्ले की औरतों से दूकानें लूटी गई.....

श्री त्रिलोकीसिंह---वह मीटिंग ३० को नहीं, ३१ और पहली को थी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---त्रिलोकी सिंह जी कहते हैं कि हम को फिर से लूटना पड़ेगा और जनता में बांटना पड़ेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह---वह रिपोर्ट गलत है, मुझे इन्क्वायरी का मौका दिया जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इन्क्वायरी तो होगी ही।

श्री अध्यक्ष---(श्री त्रिलोकी सिंह से) मैं आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दूंगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---दूसरे दिन वालंटियर्स कहते फिर रहे थे। लेकिन फिर भी वे औरतें कुछ लूट नहीं पायीं, दूसरे लोगों का गेहूं उन्होंने बखेर दिया। मेरी जानकारी इसी प्रकार

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

है जिसके आधार पर मैंने सुबह कहा जिसके लिये कहा गया कि मैंने दो जवाब दिये । मैंने यही कहा कि उन्होंने कोशिश की और बखेर दिया, एक आध औरत ने कुछ उठा भी लिया होगा शायद । लेकिन बाद में वह मामला साफ हो गया । रेलवे वाले मजदूरों ने किया, यह बात कही गयी, लेकिन उसका यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं था । इन बातों से यह स्पष्ट है कि इसका फूडग्रेन्स के शार्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि यह पोलीटिकली स्पान्सर्ड झगड़ा था ।

जैसा मैंने पहले कहा, हमने कोशिश की और जहाँ तक हमसे बन पड़ा पूर्णतया कोशिश की कि कीमतें कम हो जायें, क्योंकि उनकी बढ़ती से लोगों को दुख होता है । इसी वास्ते हमने २५ मन के बजाय तादाद ३५ मन कर दी और करीब ७०० दूकानों की संख्या बढ़ा दी । आज के भाव भी मैंने कोट कर दिये हैं कि वे भी घटे हैं । हर जगह डेढ़ रुपया मन घट गया है । तो जितना ह्यूमनली पासिबिल हो सकता था वह हमने किया और आप शीघ्र ही देखेंगे कि भाव घट कर रहेंगे और फूड रायट्स नहीं हो सकते इस बारे में जो हमारी पालिसी है वह सही है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितनी भी तरकीबें इसके लिये हम निकाल सकते थे वे हमने निकालीं । स्टेट ट्रेडिंग का गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो लोगों का कहना है कि मुसीबत बढ़ा दी, कोई कहता है कि नुकसान हो जायगा । आखिर कोई न कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा । आज विरोधी दल की ओर से व्यापारियों का पक्ष लेकर लारी जी बोल रहे थे । आप एक स्टेंड तो लीजिये जिसके द्वारा आप गवर्नमेंट से कुछ कह सकें कि आप इस नीति को अपनाइये । राजनारायण जी इसके खिलाफ हैं कि सीधा-सीधा वसूल किया जाय ।

श्री त्रिलोकीसिंह——माननीय अध्यक्ष, मैं आपका आभारी हूं कि जो लांछन मेरे ऊपर लगाया गया है उस के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने का आपने अवसर दिया । माननीय खाद्य मंत्री का यह कहना कि मैंने झांसी नगर की किसी सभा में ३१ जनवरी, १९५९ को यह कहा कि दूकानें लूटी जांय, यह बात बिलकुल गलत है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी——मैंने पहली तारीख के सम्बन्ध में कहा था कि आपने उस मीटिंग में भाषण किया ।

श्री त्रिलोकीसिंह——पहली तारीख को तो मैंने कोई भाषण ही नहीं दिया, लेकिन पहली को मैं वहां था इसलिये मैं इसको भी माने लेता हूं, लेकिन उस दिन मैंने कोई भाषण झांसी शहर में नहीं दिया ।

मान्यवर, आपके द्वारा एक बात की तरफ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं—चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट हो, चाहे किसी और अधिकारी की रिपोर्ट हो, अगर कोई अदालत से फैसला ऐसा हुआ है जो अपील में भी रद्द न हुआ हो तो अदालत के फैसले को छोड़ कर किसी सम्मानित सदस्य के बारे में ऐसी बात का यकीन करना और उनका इस सदन में कहना, उस सदस्य के साथ ज्यादती तो है ही, लेकिन मुझे भय है कि वह इस सदन का अवमान भी है । मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के बारे में इस तरह की बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो बात यहां कही जाती है उसकी सफाई बाहर तो हो नहीं सकती है । अगर मैं आज गैरहाजिर होता तो फिर यह रेकर्ड में आ जाता और मुझे सफाई देने का कोई मौका भी नहीं होता । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात जो मेरे सम्बन्ध में कही गयी है, वह गलत है और मैं मशकूर हूंगा माननीय मंत्री का अगर वे किसी जुडिशिअल आफिसर के सुपुर्द चाहे वह मुन्सिफ ही क्यों न हो उसकी इनक्वायरी करें । मैं सहर्ष अपनी इस बात की पुष्टि में शहादत पेश करके सफाई देने को तैयार हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं सूचना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावें कि किस तारीख से किस-किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के राशन की दूकानों पर ३५ मन अन्न प्रति दिन बंट रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पश्चिमी जिलों के लिये मैंने कहा था कि बढ़ा कर ३५ मन कर दिया गया है, इधर कुछ कम है।

श्री उग्रसेन—किस तारीख से बढ़ाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह से बढ़ाया गया है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य की अत्यन्त गम्भीर समस्या ने अब राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लिया है और वह संकट उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। आज से ठीक ३ महीने पहले दिल्ली से इस बात की घोषणा की गयी कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम को चालू करेंगी लेकिन यह बतलाये जाने के बाद भी उसकी पूरी और स्पष्ट रूपरेखा विस्तार के साथ देश के सामने अभी तक नहीं आ सकी है। परिणाम वही हुआ जिसकी आशंका थी। खून के व्यापारी और मौत के सौदागरों ने जनता के जीवन के साथ खुल कर खिलवाड़ करना शुरू किया और खुले आम कानूनी लूट का बाजार गर्म होने लगा। परिणाम यही है जिसकी चर्चा आज इस सदन में की जा रही है। बड़ी तेजी के साथ खाद्यान्न के दाम बढ़ते चले गये हैं। मननीय खाद्य मंत्री इस बात से प्रसन्न हों कि फलां शहर में एक रुपया या डेढ़ रुपया या चार आना, दो आना भाव गल्ले का घट गया है, दो आने और चार आने भाव के घटने से कुछ नहीं होने वाला है यह तो यही बात हुई कि जैसे बच्चें खिलौने पाकर प्रसन्न हो भूल जाते हैं उसी तरह से खाद्य मंत्री एवं सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। वे अपने मन में भले ही प्रसन्न हों, आत्म तुष्ट हो ल, लेकिन यह आत्म प्रवंचना ही सिद्ध होगा। चाहिये यह था कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार स्टेट ट्रेडिंग की पूरी रूपरेखा पर विस्तार से विचार करके उसे तैयार कर २४ घंटे में देश भर में लागू कर देतीं। यह सरकार की मुस्तैदी, कार्य क्षमता का परिचायक होता। यह ठीक वैसी ही घटना है, कटु घटना है जैसे हमारे देश में जमींदारी अबालीशन के वक्त में हुई थी। सात वर्ष पहले ऐलान कर दिया गया था कि जमींदारी तोड़ी जायगी। नतीजा हुआ कि लाखों एकड़ जमीन उनके असली मालिकों के हाथों से, जिनके हाथों में वह जमीन थी, निकल गयी इससे पहले कि जमींदारी तोड़ी गयी। इसी तरह से स्टेट ट्रेडिंग का ऐलान होने पर ३ महीने का मौका मिला। खुली लूट करने का मौका मिला। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की लूट कराने की इसमें कोई नीयत थी। इस घोर संकट को हल करने के दो ही रास्ते हैं। या तो पूंजीवादी रास्ता है या पूर्ण समाजवादी रास्ता है। बीच की मिक्सड एकोनामी बिलकुल असफल सिद्ध हो चुकी है। पिछड़े हुए जो भूतपूर्व अर्द्ध उपनिवेश हैं, जहां स्वतंत्रता ने नया-नया जन्म लिया है और वह हाल में प्राप्त की गई है और उन्हें मजबूत किया जा रहा है, पूंजीवाद का वहां विकास हो रहा है। लेकिन वहां पर मिश्रित अर्थ प्रणाली असफल सिद्ध हो चुकी है। आज संसार के उन्नतिशील देशों व हमारे देश में जो प्रथायें चली हुई हैं उनसे यह सिद्ध हो। जा रहा है कि मिश्रित अर्थ प्रणाली सफल नहीं हो सकी है।

हमारे देश की सरकार व हमारे राज्य की सरकार एक ही पार्टी की है। हम दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। केन्द्र पर जिम्मेदारी फेंक दी जाय हम इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जो सरकार यहां बैठी है उसी पार्टी की सरकार आज केन्द्र में भी बैठी हुई है अगर दोनों जगह दो सरकारें होतीं तब तो हम कुछ और सोच सकते थे। स्टेट ट्रेडिंग जिसका ऐलान किया गया उसको लागू नहीं किया गया, अमल में लाया गया होता तब तो कह सकते थे

[श्री झारखंडे राय]

कि स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम सफल हुई या असफल हुई और तब कह सकते थे कि इसकी जगह यह आल्टरनेटिव खोजा गया है या नहीं खोजा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी नागपुर कांग्रेस सेशन में कोआपरेटिव खेती का नारा दिया गया, उसके खिलाफ देश भर में प्रतिगामियों की आवाजें उठ रही हैं । आप स्वयं महसूस करते होंगे कि यह विरोध कितना प्रतिगामी कदम है । तरक्की के हर कदम को पीछे ढकेलने वाला यह कदम है । ऐसी हालत में स्टेट ट्रेडिंग का ऐलान करके उसे बेकुअम में छोड़ देना यह देश को ऐसी जगह ले जाना है जहां भयानक गर्त है, अन्ध कूप है, वहां देश का विनाश हो जायगा और जनता भूखी मरेगी जैसे कि बंगाल में १५ साल पहले मर चुकी है ।

कुछ दिन पहले सरकार को इस बात की बड़ी आशा थी कि खरीफ की फसल जब हो जायगी तो कुछ दाम घटेंगे । एक मात्र आशा का केन्द्र बिन्दु था धान की फसल । बहुत वर्षों के बाद इस साल धान की फसल कुछ संतोषजनक हुई है । इसका ऐलान मैंने भी खास-खास जगहों पर किया था लेकिन उसके बाद दाम जहां के तहां हैं, कोई कमी नहीं है, अब आशा किस पर है, किसी पर भी नहीं । समस्या समाधान के लिये हर तर्क वैसा ही होता है जैसे नदी चलती है और रेगिस्तान में जा कर सूख जाती है । यह सरकार लुंज पुंज सी होकर कुछ लुटेरों और गल्ला चोरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कहती है कि गली-गली व दरवाजे-दरवाजे पुलिस और फौज नहीं पहुंच सकती । मैं कहता हूं कि भेजना पड़ेगा । दरवाजे-दरवाजे और गली-गली कोई अनाज के भंडार नहीं हैं । चन्द बड़े व्यापारी, मुट्ठी भर लोग, चन्द फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके यहां ऐसे गोदाम हो सकते हैं जिनमें अनाज ५० मन, १०० मन या १,००० मन भरा हो । उनके यहां आपको पुलिस व फौज भेजनी होगी । डेमोक्रेसी के नाम पर जनता को मारा नहीं जा सकता । डेमोक्रेसी जनता का साध्य नहीं है, साधन है । उच्चतम मानवता की स्थापना के लिये डेमोक्रेसी एक साधन है, उसके नाम पर जनता को मिटाया नहीं जा सकता ।

मैं कहना चाहता हूं कि चन्द गल्ला चोर इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं । और ऊपर से नीचे तक यह सरकार लुंज पुंज खड़ी हुई है उनके सामने । मैं समझता हूं यह आत्म ग्लानि की चीज है, शर्म एवं अपमान की बात है । इस चुनौती को सरकार को स्वीकार करना चाहिये । चुनौती मुट्ठी भर सौदागर दें । माननीय गोविन्द सहाय जी नहीं महसूस करते कि गल्ला मुल्क में ज्यादा है । हमारे बड़े-बड़े माहिर बतलाते हैं कि केवल ९ प्रतिशत देश में अन्न की कमी है । यह कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है इतने बड़े मुल्क को देखते हुए । तो गल्ला कहां गया ? बम्पर क्रॉप हुई चावल की लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है । आखिर यह गल्ला कहां जा रहा है । यह सौदागर चालाकी करते हैं, बाजार में उतना ही गल्ला लाते हैं जिससे दाम बढ़े । अध्यक्ष महोदय, यह वह समुदाय है जिसने ३५ लाख आदमियों को एड़ियां रगड़-रगड़ कर कलकत्ता के फुटपाथों पर भूखों मरने दिया बंगाल में, कलकत्ते की सड़कों पर टामियों के हाथ देश की औरतों को पेट की क्षुधा मिटाने के लिये बेचना पड़ा अपने को, अपने बच्चों को । यह वही समुदाय है । इसको बेरहमी से कुचल देना पड़ेगा, इस जहरीले सांप के मस्तिष्क को तोड़ देना पड़ेगा, चाहे जो तरीका अपनाना पड़े । इसलिये सरकार जखीरेबाजों के विरुद्ध सख्त कदम उठाये ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, इधर के और उधर के, जिन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया। मुझे दो, तीन बातों ही के सम्बन्ध में कहना है ।

स्टेट ट्रेडिंग का बहुत नारा लग रहा है, लेकिन वह स्कीम असफल रही है यह स्पष्ट है । यह कहा जाय कि वैकुअम के कारण दाम बढ़े तो मैं माननीय सदस्यों को सरकार की सीमेंट की स्टेट ट्रेडिंग की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें जो ६, ७, ८ करोड़ रुपये का प्राफिट हुआ वह किस ब्लैक मार्केटिंग के आधर पर किया गया था ? तो यह कोई गारन्टी नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग होने के बाद ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी । मेरा जो सुझाव था वह यह था कि किसान को खेत कटने के समय जो उसको अपना गल्ला बेचना पड़ता है उसको बेचने की दृष्टि से सरकार डायरेक्टली खरीदे, लेकिन मंत्री जी ने कुछ और ही समझा, मुझे आश्चर्य है । इसके साथ नार्मल चैनल्स को भी आपरेट करने देना चाहिये जिससे दोनों में कम्पटीशन रहे और उस कम्पटीशन के कारण उपभोक्ताओं को सस्ता गल्ला मिल सके ।

मंत्री जी ने कहा कि आगरे के चेक पोस्ट पर ७०० मन चावल पकड़ा गया, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है । कितना चावल वहां से राजस्थान गया, पहले इसका पता लगा लें । मैं कह सकता हूं कि जितना वहां का चावल है आधे से अधिक ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा इनके अधिकारियों की नाक के नीचे से राजस्थान गया ।

जो प्रश्न आज यहां किया गया उसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार की नीयत पर कोई आक्षेप हो । हमारा तो कहना यह है कि सरकार की पालिसी और उसको कार्यान्वित करने में यह सरकार अफसल रही और इसको सरकार स्वीकार करे ।

कहा गया, बड़ा हल्ला मचाया गया कि हम सेल्फ सफिशियेंट हो गये, राज्यपाल महोदय के भाषणों में कहा गया । लेकिन वह सेल्फ सफिशियेंशी कहां गई ? अब जो यह कहा जाता है कि प्रकृति का प्रकोप रहा तो १९५४-५५ में भीषण बाढ़ आयी थी उसके बाद भी जो २००, ३०० प्रतिशत दाम बढ़े इसका क्या कारण है ? इस प्रकार प्रकृति की आड़ में अपनी असफलता को छिपाने से काम नहीं चलने वाला है ।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने इकोनामिक मोटिव का बड़ा हल्ला मचाया । तो मैं कहता हूं कि आप भारत सरकार के अर्थ मंत्री को सजेशन दें कि इकानामिक मोटिव इतना पावरफुल है कि चोरी होती रहेगी, सभी कुछ होता रहेगा इसलिये इन सब को खत्म कर दो। इकानामिक मोटिव इतना पावरफुल है कि स्मगलिंग होती ही रहेगी, चोरी होती रहेगी, कस्टम का इवेजन होता रहेगा, इसलिये सारा कस्टम समाप्त कर दिया जाय । सब को खुली छूट दे दें, और हमारे गृह मंत्री जी भी सुझाव दें कि चोरी करना बड़ा इकानामिक कम्पल्शन है इसलिये पुलिस को भी समाप्त कर दें । ऐसा सुझाव गोविन्द सहाय जी का है तो वह बधाई के पात्र हैं । श्रीमन्, वास्तव में इकानामिक मोटिव रहता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उस कम्पल्शन को रोकने का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता । मेरा विचार पहले था और अब भी है कि इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आपका स्क्वाड, आपकी इन्फोर्समेन्ट बाडी, उस गड़बड़ी को रोकने में असमर्थ है । हमारे गोविन्द सहाय जी ने बार-बार कहा कि मैंने कोई सुझाव नहीं दिया । सुझाव तो श्रीमन् इस पक्ष से डेढ़ वर्ष से हो रहे हैं इसी विषय के ऊपर, लेकिन करें क्या जिस घास का पौदा ही नहीं उसमें पानी देने से क्या फायदा ? सुझाव देते-देते थक गये, मैं तो समझता हूं कि सरकार भी सुझाव सुनते सुनते थक गई, और सुझाव सुनने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देते तो लोगों को बाध्य होकर जो वास्तव में स्थिति है उसका नग्न-चित्र प्रकट करने के लिये बाध्य होना पड़ता है ।

आज श्रीमन्, यह स्पष्ट है---मैं माननीय गोविंद सहाय जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया है---कि गल्ले की समस्या है । तो उसको हल कैसे किया जाय ? केवल विचार

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

यह रक्खा गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यह व्हाइट वाशिंग इन जनरल से काम नहीं चलेगा। यह सन्तोष की बात नहीं है। आज यह समस्या कैसे हल की जाय। यह कहा जाय कि एक आदमी या १० आदमी सोचें, सबको मिल कर सोचना पड़ेगा। यह कहा जाय कि कम्पल्सरी प्रोक्योरमेन्ट हो, हम लोग इसके खिलाफ हैं। इससे करप्शन और ब्राइबरी होगी। श्रीमन्, मैंने सीधी सी एक बात कही कि लोगों को आइडेन्टिटी कार्ड देहातों में भी दिये जांय। मंत्री महोदय ने कहा कि राशन कार्ड से गड़बड़ होगी। सवाल यह है श्रीमन्, कि आज हमारी जो स्थिति है, जो गड़बड़ी हो रही है इसको कैसे रोकें। आज अपनी असफलता को दूर करने के लिये आपकी कोई नीति नहीं है और एक नीति बताई कि बच्चे कम पैदा करो। मैं श्रीमन् उस पर और तो कुछ नहीं कहता परन्तु यूरोप के एक बड़े भारी इकानामिस्ट जिसने बर्थ कन्ट्रोल के ऊपर पुस्तक लिखी है, उसकी ओर ध्यान दिलाऊंगा :—

"Those who talk of birth control for reducing population are men who were thought to have failed to find solution for the problem and in the absence of solution they talk something which is meaningless."

श्रीमन्, बर्थ कंट्रोल की बात कही जाती है, लेकिन क्या बर्थ कंट्रोल ही सुप्रीम है ?

श्री गोविन्दसहाय—अन्न ज्यादा पैदा करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिये कोई कदम उठाया गया ? जापान में एक एकड़ और दो एकड़ के प्लाट हैं और किसान वहां पर यहां से दुगना तिगुना पैदा करता है। सुमात्रा के अन्दर इंटेंसिव कल्टीवेशन के अन्दर आपके यहां से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। परन्तु हमारे यहां तो खाली स्लोगन ही रहा। स्लोगन के पहले विचार नहीं होता और फिर विचार करना शुरू होता है कि क्या किया जाय। क्या आपने कभी विचार किया कि इंटेंसिव कल्टीवेशन के ऊपर कोई कदम उठाया जाय ? रबी अभियान हुआ, खरीफ अभियान हुआ, बम्पर क्राप हुई, फिर भी महंगाई बढ़ी। इसलिये श्रीमन्, मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और इस विश्वास से कि इस जटिल प्रश्न के ऊपर हम लोग नान पार्टी इश्यू बनाकर सरकार के सामने इस समस्या को रक्खें ताकि बाध्य होकर वह इस विषय में एक सफल पालिसी बना सके।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, दुबे जी ने जो कहा कि वे सुझाव देते-देते थक गये और हम सुनते-सुनते थक गये ठीक है लेकिन सुझाव जो आते हैं वह अलग-अलग। एक तो कहते हैं कि सब छीन लो, दूसरे कहते हैं कि फ्री ट्रेडिंग जारी रहनी चाहिये। नेता विरोधी दल फ्री ट्रेडिंग चाहते हैं, कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग अच्छी नहीं है। तीसरे कहते हैं कि अनाज सीधे ले लो। इस तरह की अलग-अलग बातें हैं कोई निश्चित मत नहीं है। अगर सचमुच टोटल राशनिंग हो जाय तो जनता परेशानी में पड़ जाय और लड़ाई के जमाने में जैसे गल्ले के लिये क्यू लगते थे वह लगने लगें। आज भी फेयर प्राइस शाप्स के बारे में यह कहा जाता है, अगर यह हो जाय तब भी सरकार की शिकायत की जायगी। हम तो वही करते हैं जो आम जनता चाहती है। इसमें शक नहीं कि हमारे व्यापारी, नागरिक, सरकारी नौकर सभी जनता में हैं, लकिन जब भी कोई व्यापारी बात करेगा तो वह अपने दृष्टिकोण को ही जनता की आवाज पुकारेगा और दूसरे भी अपनी आवाज को जनता की आवाज कहेंगे, लेकिन सरकार सबके दृष्टिकोण को देखते हुए काम करती है। सरकार भी समझती है कि जो हमारी जनता अधिकांश ग्रामों में बस रही है उसका क्या हित है। हमने पूर्वी जिलों में इसीलिये खाने की और आटे आदि की व्यवस्था की कि वहां तक भी सामान पहुंच जाय। हमने भावों को घटाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन यह देशव्यापी चीज थी, उस पर एक दम से कंट्रोल नहीं हो सकता। कहा गया कि मक्खी मार कर बन गये, तो केवल बातों से ही काम

नहीं चलता, हम कुछ करते तो हैं आप तो बात बनाने के अलावा कुछ नहीं करते, काम करने से होता है केवल बातों से नहीं होता। हम सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिये कि मुनाफाखोरी कोई न कर सके। मैं अब अधिक नहीं कहूंगा, केवल २ चीजें मुझे और कहनी थीं।

कहा गया कि पूर्वी जिलों में ऐसा गल्ला दिया गया कि जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिये फिट नहीं था। लेकिन १४,००० टन गल्ला पूर्वी जिले के लोग खा कर बैठ गये, कुछ नहीं हुआ और सब खप गया। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि वह खराब हो। अगर मैंने सब्जी खाने के लिये कहा तो बुरा क्यों मानें। तो मैं जिस बात को कह रहा था कि इस वक्त जितने गल्ले की आवश्यकता है उसके लिये हमने दम भर कर कहा भी कि हमारे पास काफी मात्रा में है, मगर भाव पर जैसा मैंने कहा अगर आप सब गल्ला खरीद भी लें, चाहे किसानों से सीधे खरीदें या दूसरे तरीके से खरीदें, हमारे पास गल्ला काफी मात्रा में हो भी और वह पूरी बढ़ती हुई आबादी के साथ में कम पड़ा रहे तब भी तो भाव चढ़ेंगे? उसका आप क्या उपाय सोचते हैं?

एक सदस्य—बेचने वाले आप होंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बेचने वाले तो हम होंगे मगर पैदा करने वाले तो आप होंगे। बच्चे पैदा होने की जिम्मेदारी तो आप नहीं लेंगे, उसके लिये तो आप दूसरा कानून सिखा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ फरवरी, १९५९।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

स्थान/नगर का नाम	चालू दूकानों की संख्या
नैनीताल नगर ..	.. ५
हल्द्वानी ..	.. १०
काठगुदाम ..	.. २
लालकुआं ..	.. १
चोरगलिया ..	.. १
कलादहुगी ..	.. १
सुपी (रामगढ़) ..	.. १
गठिया सैनीटोरियम ..	.. १
रामगढ़ ..	.. १
ज्योलीकोटी ..	.. १
गरमपानी ..	.. १
सुयालबारी ..	.. १
प्यौरा ..	.. १
पहाड़पानी ..	.. १
मुक्तेश्वर ..	.. १
भुवाली ..	.. २
बल्दियाखान ..	.. १
सरगाखेत ..	.. १
भीमताल ..	.. १
टनकपुर ..	.. १
खटीमा ..	.. १
रुद्रपुर ..	.. ३
किच्छा ..	.. १
काशीपुर ..	.. ६
टुमरियाडाम ..	.. १
रामनगर ..	.. ३
जसपुर ..	.. ३
नरायणपुर ..	.. १
दिनेशपुर ..	.. १
फतेहपुर ..	.. १
योग ..	५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०२ पर)

विभिन्न रीजनों में उन स्थानों की, जहां चना तथा मटर रिक्वीजीशन किया गया, मात्रा सहित सूची

१— रीजन लखनऊ—

स्थान		मात्रा मन	से०	छ०
	चना			
१—चंदौसी ..	.. ..	१,३५०	०	०
२—अमरोहा	.. ..	२,१००	०	०
३—सम्भल ..	.. ..	१,५००	०	०
४—बरेली ..	.. ..	११,०००	०	०
५—मुरादाबाद ..	.. ..	८,७००	०	०
	योग ..	२४,६५०	०	०

२—रीजन मेरठ—

	चना			
१—बुलन्दशहर ..	.. ..	५०८	०	०
२—जहांगीराबाद	.. ..	५००	०	०
३—डिबाई ..	.. ..	१,१४२	०	०
४—खुर्जा ..	.. ..	१,०८६	१८	४
५—गुलावठी ..	.. ..	२,७७५	०	०
६—दनकौर ..	.. ..	१,८२५	३५	१४
७—सिकन्दराबाद	.. ..	१,५७७	०	०
८—दादरी ..	.. ..	१,३६२	०	०
९—सियाना ..	.. ..	२०५	०	०
१०—आगरा ..	.. ..	२२,५८६	२०	०
११—अलीगढ़ ..	.. ..	९८८	०	०
१२—शामली ..	.. ..	२४,९०९	०	०
१३—खतौली ..	.. ..	७,२६०	२०	०
१४—मुजफ्फरनगर	.. ..	२४,६७८	२०	०
१५—कांधला ..	.. ..	१,५७१	०	०
१६—कोसीकलां	.. ..	४,७०५	०	०
१७—गाजियाबाद	.. ..	७,३४९	३०	०
१८—मवाना ..	.. ..	१,९९५	०	०
१९—हापुड़ ..	.. ..	११,२४४	०	०
२०—मेरठ ..	.. ..	१२,९४१	२०	०
२१—अग्रवाल मंडी	.. ..	५३२	२०	०
२२—खेकड़ा ..	.. ..	१,६००	०	०
२३—छपरौली ..	.. ..	७१०	०	०
२४—बठौल ..	.. ..	१०,५७७	०	८
	योग ..	१,४४,६२९	२४	१०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

मटर

स्थान			मात्रा मन	से०	छ०
हापुड़ ..	..	..	२९,६१२	०	०

३—रीजन कानपुर—

चना

१—कानपुर ..	..	..	१८,९१७	०	०
२—बिन्दकी ..	..	..	७००	०	०
३—मौदहा ..	..	..	६००	०	०
४—सुमेरपुर ..	..	..	५६३	०	०
५—चरखारी ..	..	..	१,४८९	०	०
६—कबराई ..	..	..	३१५	०	०
७—बांदा ..	..	..	४५२	०	०
८—अतर्रा ..	..	..	२८२	०	०
९—करवी ..	..	..	१७०	०	०
१०—मौरानीपुर	..	..	५४६	०	०
११—झांसी ..	..	..	१,५१५	०	०
१२—चिरगांव	..	..	३५४	०	०
१३—ललितपुर	..	..	७९५	०	०
१४—उरई ..	..	..	७९९	०	०
१५—कालपी ..	..	..	४,६७९	०	०
१६—कौंच ..	..	..	३,६२५	०	०
१७—कायमगंज ..	..	..	६४३	२०	०
		योग ..	३६,४४४	२०	०

मटर

१—औरईया ..	..	..	१०,८५०	०	०
२—भर्थना ..	..	..	३,७०२	०	०
३—इटावा ..	..	..	८००	०	०
		योग ..	१५,३५२	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर)

जिला बुलन्दशहर में १९५६–५७, व १९५७–५८ में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु किये गये विशेष कार्यों की सूची

क्रम-सं०	विवरण	१९५६–५७	१९५७–५८
१	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना	..	१
२	ग्राम समूह योजना केंद्रों की स्थापना	..	६
३	कृत्रिम ढंग से गर्भित पशुओं की संख्या	१६७	६३७
४	ग्रामीणों को उत्साहित करने के लिये अच्छे नस्ल वाले बछड़े तथा बछियों को १० प्रतिमास प्रति बछड़े के दर से राज्य सहायता	१७	२२
५	शुद्ध वंशीय पशु जो ग्रामीणों व गौशालों को तकावी पर दिये गये	९०	८२
६	ग्रामों में प्रजनन हेतु शुद्ध वंश के सांड़ वितरित किये गये:—		
	हरियाना	१३	२८
	मुरी	४	११
	बकरा	४ साहीवाल	१
	सुअर	९ मेढ़ा	१३
७	बछड़े तथा अनुपयोगी सांड़ों को बधिया किया गया	२,५७०	२,८०१
८	पशु-निरीक्षक केन्द्रों की स्थापना	..	१
९	गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी गई	..	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नथी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१४ पर)

Statement showing districtwise total area under the Tobacco Crop during the year 1956-57.

District	Area in acres
Dehra Dun	324
Saharanpur	978
Muzaffarnagar	344
Meerut	1,613
Bulandshahr	1,063
Total, Meerut Division	4,322
Aligarh	1,499
Mathura	606
Agra	540
Mainpuri	1,222
Etah	4,176
Total, Agra Division	8,043
Bareilly	1,387
Bijnor	516
Budaun	1,609
Moradabad	1,723
Shahjahanpur	427
Pilibhit	57
Rampur	217
Total, Rohilkhand Division	5,936
Farrukhabad	13,067
Etawah	258
Kanpur	689
Fatehpur	201
Allahabad	491
Total, Allahabad Division	14,706
Jhansi	310
Jalaun	33
Hamirpur	391
Banda	319
Total, Jhansi Division	1,053

District	Area in acres
Varanasi	75
Mirzapur	137
Jaunpur	584
Ghazipur	42
Ballia	142
Total, Varanasi Division	979
Gorakhpur	29
Deoria	107
Basti	17
Azamgarh	171
Total, Gorakhpur Division	324
Nainital	116
Lucknow	318
Unnao	361
Rae Bareli	245
Sitapur	1,938
Hardoi	386
Kheri	312
Total, Lucknow Division	3,560
Faizabad	361
Gonda	52
Bahraich	211
Sultanpur	128
Pratapgarh	272
Bara Banki	605
Total, Faizabad Division..	1,529
Total, Uttar Pradesh	40,568

मत्स्यपालन मंत्रालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

क्रम-संख्या	काश्तकार का नाम व पता जिनको तकावी दी गई	कितना कर्ज दिया गया	कितने रकबे में बाग लगाना था	कितने क्षेत्र में जुलाई, १९५८ तक बाग लगे	कितने क्षेत्र में बाग लग चुका, अक्टूबर, १९५८ तक	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
		रु०	एकड़		एकड़	
१	श्री महेन्द्र कुमार सिंह पुत्र हाकिम सिंह, हजरतगंज ..	७,५००	२५	..	२०	
२	श्री मोहम्मद इकराम पुत्र इबने हुसेन, सहसवान	६,०००	२०	..	—	
३	श्री देवकी नन्दन पुत्र प्रेम सहाय, मोहउद्दीनपुर, सहसवान	१,५००	५	..	५	
४	श्री बद्री प्रसाद पुत्र सालिग राम, बिसौली	६,०००	२०	..	१२	
५	श्री राम नाथ पुत्र बद्री प्रसाद, बिसौली	१,५००	५	..	२	
६	श्री मुशाहिद अली खां पुत्र साहिद अली खां उसेना	७,५००	२५	..	२२	
	श्री मोहम्मद नसीम, बदायूं					
७	श्री नवल किशोर जौहरी, बदायूं	७,५००	२५	..	२५	
८	श्री केहरी सिंह पुत्र खमांर सिंह, गुलडिया	७५०	२.५	..	..	
९	श्री डोरीसिंह पुत्र केदारसिंह,	३००	१	..	..	
१०	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र चुन्नीलाल	६००	२	..	..	
११	श्री गोबिन्दसिंह पुत्र टीकाराम	३००	१	..	..	
१२	श्री मोहनसिंह पुत्र हीरा सिंह ..	२,२५०	७.५	..	२.५	
१३	श्री होरीसिंह पुत्र बिहारी सिंह	४५०	१.५	..	१.५	
१४	श्री सियाराम पुत्र गंगा प्रसाद ..	६००	२	..	..	
१५	श्री नौबत सिंह पुत्र पूरन मल	६००	२	..	१.५	
१६	श्री हर प्रसाद पुत्र बलवन्त सिंह	७५०	२.५	..	..	
१७	श्री नत्थू सिंह पुत्र बल्देव सिंह ..	३००	१	..	..	
१८	श्री जौहरी सिंह पुत्र मैकू सिंह किसरवा	३००	१	..	..	
१९	श्री नेरथ सिंह पुत्र विशनु सहाय, सिताबनगर ..	३००	१	..	१	
	योग ..	४५,०००	१५०	..	९२.५	

नत्थी 'च'

(देखिये आगे पृष्ठ ६३६ पर)

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९

मानक बाटों और मापों को प्रचलित करने तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि मानक बाटों और मापों को प्रचलित करने तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों, अथवा विभिन्न क्षेत्रों, अथवा व्यवसाय संस्थाओं के विभिन्न वर्गों अथवा माल के विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

२—प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होने पर इस अधिनियम में :—

(क) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ (८) में यथापरिभाषित सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) से है ; ऐक्ट १०, १८९७

(ख) "व्यापारिक बाट या माप" का तात्पर्य उस बाट अथवा माप से है जो व्यापार अथवा वाणिज्य के किसी व्यवहार में प्रयुक्त मानक बाट अथवा माप समझा जाता हो ;

(ग) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा १४ के अधीन नियुक्त बाट तथा माप नियंत्रक से है तथा इसके अन्तर्गत उप-नियंत्रक अथवा सहायक नियंत्रक भी होंगे;

(घ) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा १४ के अधीन नियुक्त बाट तथा माप के निरीक्षक से है;

(ङ) "मापक यंत्र" का तात्पर्य तोलने के यंत्र से भिन्न किसी भी मापक यंत्र से है तथा लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन अथवा धारण-शक्ति मापने का कोई भी यंत्र इसके अन्तर्गत है;

(च) "टकसाल" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार की टकसाल (mint) से है;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "मानक बाट या माप" का तात्पर्य स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स एण्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (१) में ऐक्ट ८९, १९५६

उल्लिखित वन अथवा माप की किसी इकाई से है तथा पूर्वोक्त ऐक्ट की धारा १४ की उपधारा (१) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग के लिये अनुज्ञात कोई भी अन्य बाट तथा माप इसके अन्तर्गत हैं;

ऐक्ट ८९, १९५६

(झ) "निर्देश मानक" का तात्पर्य स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ की उपधारा (२) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये मानक बाटों तथा मापों के सेट (set) से है ;

(ञ) "मुद्रांकन" का तात्पर्य ऐसी रीति से चिन्ह बनाने से है कि वह यथासाध्य अमिट हो जाय तथा ढलाई, नक्काशी, अम्ल लेखन और छाप लगाना भी इसके अन्तर्गत है ;

(ट) बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र के संबंध में प्रयुक्त, व्याकरण-संबंधी परिवर्तनों सहित, "परीक्षण" के अन्तर्गत बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र की तुलना, जांच अथवा परीक्षा की प्रक्रिया है तथा पुनः परीक्षण भी इसके अन्तर्गत है ;

(ठ) "तोलने का यंत्र" का तात्पर्य तोलने के किसी यंत्र से है, तथा तुला और उसके बाट, तुला-दंड, तराजू, स्प्रिंगदार तराजू, लोहे के गज तथा तोलने की अन्य मशीनें भी इसके अन्तर्गत हैं ।

अध्याय २

मानक बाट या माप

कार्य-मानक

३—(१) व्यापारिक बाटों और मापों तथा व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त तोलने या मापने के यंत्रों की शुद्धता के परीक्षण के लिये राज्य सरकार जितने आवश्यक समझे उतने प्रमाणीकृत मानक बाटों तथा मापों के सेट तैयार करा सकती है जिन्हें "कार्यमानक" कहा जायगा और चांदी-सोने तथा रत्नों के लिये कार्यमानकों के विशेष सेट तैयार किये जा सकते हैं ।

(२) कार्यमानक ऐसे पदार्थ से तथा ऐसी प्ररचनाओं तथा विशिष्टताओं के अनुसार बनेंगे तथा ऐसे माध्यम द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से मुद्रांकित तथा प्रमाणीकृत किये जायेंगे, जो नियत किये जायं ।

(३) कार्यमानक ऐसे स्थानों पर, ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे जो नियत किये जायं ।

(४) कार्यमानक का द्वितीय मानक से परीक्षण होगा तथा उसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समयान्तर से तथा ऐसी रीति से चिन्हित किया जायगा जो नियत किये जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि सोने-चांदी तथा रत्नों के लिये विशेष कार्यमानक का परीक्षण निर्देश मानक से किया जायगा ।

(५) कोई कार्यमानक जो नियत अवधि के भीतर इस प्रकार परीक्षित तथा चिन्हित नहीं हुआ हो वैध नहीं माना जायगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा ।

(६) कोई कार्यमानक जो दोषपूर्ण हो गया हो, उस समय तक वैध नहीं माना जायगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त न होगा जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित तथा चिन्हित न किया गया हो।

द्वितीय-मानक

४--(१) कार्यमानकों की शुद्धता के परीक्षण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार टकसाल में जितने आवश्यक समझे उतने प्रमाणीकृत मानक बाटों तथा मापों के सेट तैयार करा सकती है। ये "द्वितीय मानक" कहलायेंगे।

(२) द्वितीय मानक ऐसे पदार्थ से तथा ऐसी प्ररचना तथा विशिष्टताओं के अनुसार बनेंगे जो नियत की जायं तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जिसका केन्द्रीय सरकार निदेश दे, मुद्रांकित तथा प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

(३) द्वितीय मानक ऐसे स्थानों पर, ऐसी अभिरक्षा में और ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे जो नियत किये जायं।

(४) द्वितीय मानक का प्रति पांच वर्षों में कम से कम एक बार निर्देश मानक से परीक्षण किया जायगा तथा उस पर नियत रीति से ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा, जिसका राज्य सरकार निदेश दे, परीक्षण का दिनांक अंकित किया जायगा।

(५) द्वितीय मानक, जो पूर्वोक्त अवधि के भीतर इस प्रकार परीक्षित तथा अंकित न हुआ हो, वैध नहीं माना जायगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

निर्देश-मानक

५--निर्देश-मानक ऐसे स्थानों पर, ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे जिनका राज्य सरकार निदेश दे।

तोलने तथा मापने के मानक यंत्र

६--(१) व्यापारिक बाट तथा माप और व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त तोलने तथा मापने के यंत्रों की शुद्धता के परीक्षण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार तोलने तथा मापने के यंत्रों के उतने सेट तैयार करवा सकती है जितने वह आवश्यक समझे।

(२) ये यंत्र ऐसे प्रकार के होंगे और उतनी संख्या में रक्खे जायेंगे तथा ऐसी रीति से परीक्षित तथा मुद्रांकित किये जायेंगे, जो नियत किये जायं।

(३) ये यंत्र ऐसे सभी स्थानों में रक्खे जायेंगे जहां द्वितीय मानक या कार्यमानक रक्खे जाते हैं।

मानक बाटों तथा मापों से भिन्न बाटों तथा मापों के प्रयोग का निषेध

७--(१) किसी अन्य विधि या रुढ़ि, प्रथा या चलन में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे क्षेत्र में, अथवा माल या व्यवसाय-संस्थाओं के ऐसे वर्ग के जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में या किसी व्यवहार या संविदा या किये जाने वाले किसी कार्य में अथवा बेचे जाने वाले या दिये जाने वाले किसी माल के लिये मानक बाटों या मापों के अतिरिक्त कोई धन अथवा माप की इकाई प्रयोग में नहीं लाई जायगी।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन मास बाद किया गया कोई व्यवहार, अथवा संविदा, जहां तक वह उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो, शून्य होगा।

(३) ऐसी कोई रूढ़ि, प्रथा, चलन या रीति, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो किसी व्यापार में किसी व्यापारी, विक्रेता को अथवा क्रेता को उस बाट अथवा माप के अनुसार, जिसके आधार पर उस वस्तु के सम्बन्ध में संविदा या व्यवहार हुआ हो, निश्चित मात्रा से अधिक अथवा कम मात्रा में उक्त वस्तु मांगने या प्राप्त करने अथवा मंगवाने या प्राप्त कराने की अनुमति देती हो, शून्य होगी।

कुछ दशाओं में केवल बाट अथवा केवल माप का प्रयोग नियत करने का अधिकार

८—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, यह निदेश दे सकती है कि किसी निर्दिष्ट व्यापार अथवा व्यापारों के वर्ग में कोई व्यवहार, अथवा संविदा, यथास्थिति, बिना बाट अथवा माप के नहीं किया जायगा ।

(२) इस धारा के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति ऐसे क्षेत्र में, ऐसे दिनांक से और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उसमें निर्दिष्ट किये जायं, प्रभावी होगी ।

अध्याय ३

बाटों तथा मापों का परीक्षण तथा मुद्रांकन

व्यापारिक बाटों तथा मापों पर अभिधान अंकित करना

९—व्यापारिक बाट अथवा माप के रूप में प्रयोग के लिये निर्मित प्रत्येक बाट तथा माप पर उस भार अथवा माप का वर्णन, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, सुपाठ्यरूप में अंकित होगा ।

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों की बिक्री तथा प्रयोग का निषेध

१०—कोई भी बाट अथवा माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र तब तक न बेचा जायगा, न दिया जायगा और न व्यापार या वाणिज्य में प्रयुक्त किया जायगा, जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित अथवा पुनः परीक्षित न हो गया हो अथवा उसे निरीक्षक न नियत रीति से परीक्षण-मुद्रा से मुद्रांकित न कर दिया हो ।

राज्य सरकार का विमुक्ति का अधिकार

११—यदि किसी व्यापारिक बाट अथवा माप का आकार ऐसा हो कि उसके कारण उस पर धारा ९ के उपबन्धों के अधीन अभिधान (denomination) का अंकन अथवा धारा १० के उपबन्धों के अधीन मुद्रांकन अव्यवहार्य हो, तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे बाट अथवा माप को उस अंकन अथवा मुद्रांकन से विमुक्त कर सकती है ।

बिना लाइसेंस के बाट या माप के निर्माण आदि का निषेध

१२—नियत रीति से प्राप्त लाइसेंस के बिना, कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलन या मापने क यत्र का निर्माण, अथवा उसकी मरम्मत या उसका विक्रय नहीं करेगा ।

सीलबन्द पात्र पर भार अथवा माप का अंकन

१३—कोई भी व्यक्ति सील बन्द पैकेट अथवा पात्र में कोई वस्तु तब तक न बेचेगा, न बिक्री क लिय प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित करगा, और न बिक्री क लिये अपने कब्जे में रक्खेगा, जब तक कि उस पैकेट अथवा पात्र पर अथवा उस पर सुरक्षित रूप से लगे लेबिल पर उसमें बन्द वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप अंकित न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध उस वस्तु की बिक्री या उसके बिक्री के लिये प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित किये जान या बिक्री के लिये कब्जे में रखे जाने पर लागू न होंगे जो साधारणतया व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में भार या माप के अनुसार न बेची जाती हो ।

नियंत्रक, उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षकों की नियुक्ति

१४—(१) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों द्वारा अथवा उनके अधीन उन्हें प्राप्त अथवा उन पर आरोपित अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिये राज्य सरकार राज्य के लिये एक बाट तथा माप नियंत्रक तथा आवश्यक संख्या में बाट तथा माप के उप-नियंत्रक और सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक नियुक्त कर सकती है ।

(२) राज्य सरकार, साधारणतया विशेष आदेश द्वारा उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकती है जिनके भीतर प्रत्येक उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों द्वारा या उनके अधीन उसे प्राप्त अथवा उस पर आरोपित अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बाट तथा माप के समस्त उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक और निरीक्षक अपने कृत्यों का सम्पादन, नियंत्रक के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण में करेंगे, और बाट तथा माप के नियंत्रक, उप-नियंत्रक और सहायक नियंत्रक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें प्राप्त अथवा उन पर आरोपित अधिकारों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त, किसी भी ऐसे अधिकार का प्रयोग अथवा कर्तव्य का पालन कर सकेंगे, जो इस प्रकार निरीक्षकों को प्राप्त हो अथवा उन पर आरोपित किया गया हो ।

निरीक्षकों द्वारा परीक्षण तथा मुद्रांकन

१५—(१) प्रत्येक निरीक्षक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों के परीक्षण के लिये अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों में और ऐसे समय पर उपस्थित रहेगा जो नियंत्रक तदर्थ निश्चित करे ।

(२) निरीक्षक परीक्षण के लिये अपने पास गये प्रत्येक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का परीक्षण करेगा और यदि वह ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को शुद्ध तथा स्टैंडर्ड्स आफ वेट्स ऐन्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ के तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुरूप पाता है तो वह उसे नियत रीति से, परीक्षण की मुद्रा से मुद्रांकित कर देगा । ऐक्ट ८९, १९५६

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

१६—(१) निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में समस्त उचित समयों पर ऐसे बाट, माप तथा तोलने और मापने के यंत्रों का, जो व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होते हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति के कब्जे में हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी भू-गृहादि में हों, निरीक्षण कर सकता है, तथा प्रत्येक ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का, द्वितीय अथवा कार्यमानक बाट अथवा तोलने या मापने के यंत्र से परीक्षण कर सकता है ।

(२) किसी व्यवहार में प्रयुक्त किसी बाट या माप की शुद्धता का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक व्यवहार के दौरान में बेची गयी अथवा दी गई किसी वस्तु के भार अथवा माप का भी परीक्षण कर सकता है ।

(३) निरीक्षक, समस्त उचित समयों पर, किसी व्यापारी या किसी व्यापारी के किसी कर्मचारी अथवा अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उन समस्त बाटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्रों को, जो उसके द्वारा प्रयोग किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा जो व्यापार के लिये प्रयुक्त होने वाले किसी भू-गृहादि में रक्खे हुए हों, तथा तत्सम्बन्धी समस्त लेख्यों और अभिलेखों को निरीक्षण के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत करे, तथा उक्त व्यापारी, कर्मचारी, अथवा अभिकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(४) निरीक्षक किसी ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र का, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया प्रतीत हो अथवा जो कोई ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त किया गया प्रतीत हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो, अभिग्रहण कर सकता है और उसे रोक रख सकता है और ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र द्वारा बेची गई अथवा दी गयी अथवा बिकवाई या दिलाई गयी किन्हीं वस्तुओं का भी, तत्सम्बन्धी लेख्यों अथवा अभिलेख सहित, अभिग्रहण कर सकता है तथा उन्हें रोक रख सकता है ।

(५) जब निरीक्षक के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि सील बन्द पैकेट या पात्र में किसी वस्तु का वास्तव में उतना शुद्ध भार या माप नहीं है जो उसमें होना प्रकट होता है, तो निरीक्षक सील बन्द पैकेट या पात्र को खोल सकता है और उसके भीतर की वस्तु का परीक्षण कर सकता है और यदि ऐसा परीक्षण करने पर उक्त वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप ठीक पाया जाय और यदि उसमें रक्खी वस्तु को बिना क्षति पहुंचाये ऐसा करना सम्भव हो, तो निरीक्षक उक्त पैकेट या पात्र को फिर से सीलबन्द कर देगा, तथा उसके साथ एक प्रमाण-पत्र संलग्न कर देगा जिसमें उस वस्तु का शुद्ध भार या माप दिया होगा, परन्तु यदि उस वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप ठीक न पाया जाय तो निरीक्षक उक्त पैकेट अथवा पात्र को तथा उसमें रक्खी हुई वस्तु का अभिग्रहण कर सकता है तथा उसे रोक रख सकता है।

(६) ऐसे निरीक्षण के प्रयोजन के लिये निरीक्षक, समस्त उचित समयों पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहां बाट, माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों को व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त किया जाता हो अथवा प्रयोग के लिये रखा जाता हो, तथा ऐसे बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण कर सकता है।

निरीक्षक का बाटों तथा मापों का समायोजन करने का अधिकार

१७—जब राज्य सरकार को यह वांछनीय प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में किसी निरीक्षक को बाटों अथवा मापों या तोलने अथवा मापने के यंत्रों का समायोजन करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिये, तो वह, यदि उचित समझे, उक्त निरीक्षक को बाटों तथा मापों या ऐसे यंत्रों का तदनुसार समायोजन करने का प्राधिकार दे सकती है।

निर्माण कर्त्ताओं आदि द्वारा अभिलेखों तथा लेखों का रखा जाना

१८—(१) बांटों तथा मापों अथवा तोलने या मापने के यंत्रों का प्रत्येक निर्माणकर्ता, मरम्मत करने वाला या व्यापारी तथा प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में उनका प्रयोग करता हो, ऐसे अभिलेख तथा लेखे रखेगा, जो नियत किये जायं तथा निरीक्षक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर उक्त अभिलेखों तथा लेखों को उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय हो कि किसी ऐसे निर्माणकर्ता, मरम्मत करने वाले या व्यापारी द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उक्त उपधारा के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।

अपीलें

१९—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए:—

(क) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध अपील नियंत्रक को, तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक के प्रत्येक निर्णय के, जो खंड (क) के अधीन की गयी अपील पर निर्णय न हो, विरुद्ध अपील राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को की जायगी।

(२) ऐसी प्रत्येक अपील निर्णय के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी।

(३) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, अपील पर निर्णय देगा तथा अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

शुल्कों का उद्ग्रहण

२०—राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये ऐसे शुल्क ले सकती है, जो नियत किये जायं—

(क) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों के निर्माण, मरम्मत या बिक्री के लिये धारा १२ के अधीन लाइसेंस प्रदान करना, तथा

(ख) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का परीक्षण, अंकन अथवा चिन्हित करना, मुद्रांकन और समायोजन ।

यथाविधि मुद्रांकित बाटों तथा मापों की वैधता

२१—इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक द्वारा यथाविधि मुद्रांकित कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र, जब तक कि वह मिथ्या या त्रुटिपूर्ण न पाया जाय तब तक वह उन समस्त स्थानों में जहां यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया हो, वैध बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र होगा तथा उसे केवल इस कारण पुनः मुद्रांकित न किया जायगा कि वह किसी ऐसे स्थान से भिन्न स्थान में प्रयुक्त किया जाता है जहां उसे मूलतः मुद्रांकित किया गया था ।

अध्याय ४

शास्तियां

मानक बाट या माप से भिन्न बाट या माप से बिक्री करने या माल देने के लिये शास्ति

२२—जो व्यक्ति इस धारा के प्रारम्भ से तीन मास के पश्चात् व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार के दौरान में किसी वस्तु को मानक बाटों तथा मापों से भिन्न बाट या माप के अभिधान से बेचता है या बिकवाता है अथवा देता है या दिलवाता है, वह प्रथम अपराध के लिये अर्थ-दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, तथा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये, कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों की बिक्री के लिये शास्ति

२३—जो व्यक्ति किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा किसी तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार परीक्षण या पुनः परीक्षण अथवा मुद्रांकन न हुआ हो, बेचता है या देता है, वह अर्थदंड से दंड्य होगा जो, पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों के प्रयोग के लिये शास्ति

२४—जो व्यक्ति किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा किसी तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार परीक्षण या पुनः परीक्षण अथवा मुद्रांकन न हुआ हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में प्रयुक्त करता है, अथवा ऐसे प्रयोग के लिये अपने कब्जे में रखता है, वह प्रथम अपराध के लिये अर्थ-दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है तथा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

स्पष्टीकरण— (१) जब कोई ऐसा बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र किसी व्यापारी या ऐसे व्यापारी के कर्मचारी अथवा अभिकर्ता के कब्जे

में पाया जाय, तो जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाय तब तक यह माना जायगा कि उक्त व्यापारी, कर्मचारी या अभिकर्त्ता ने ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को वाणिज्य या व्यापार के व्यवहारों में प्रयोग के लिये अपने कब्जे में रक्खा था ।

स्पष्टीकरण---(२) जब किसी व्यापारी की ओर से उसके कर्मचारी अथवा अभिकर्ता द्वारा इस धारा का उल्लंघन करके कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र प्रयुक्त किया जाय अथवा कब्जे में रक्खा जाय तो उक्त व्यापारी भी, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि इस अधिनियम के अधीन अपराध उसके कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा बिना उसकी जानकारी या सम्मति के किया गया था, अपराध का दोषी समझा जायगा ।

बिना लाइसेंस के बाटों आदि के निर्माण के लिये शास्ति

२५---जो व्यक्ति धारा १२ द्वारा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का निर्माण करता है, उसकी मरम्मत करता है अथवा उसे बेचता है वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दण्ड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

धारा ८ का उल्लंघन करके बाट या माप के प्रयोग के लिये शास्ति

२६---जो व्यक्ति धारा ८ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वह अर्थ-दंड से दंडय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

सीलबन्द पात्रों पर भार या माप अंकित न करने पर शास्ति

२७---जो व्यक्ति धारा १३ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

बाटों तथा मापों आदि के कपटपूर्ण प्रयोग के लिये शास्ति

२८---जो व्यक्ति किसी ऐसे मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का कपट पूर्वक प्रयोग करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थदण्ड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

मिथ्या बाट या माप आदि कब्जे में रखने के लिये शास्ति

२९---जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, इस अभिप्राय से अपने कब्जे में रखता है कि उसका कपटपूर्वक प्रयोग किया जा सके, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

मिथ्या बाट तथा माप आदि निर्मित करने या बेचने के लिये शास्ति

३०---जो व्यक्ति किसी मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को, यह जानते हुए कि वह मिथ्या है, असली के रूप में प्रयोग के निमित्त या यह जानते हुए कि उसके असली के रूप में प्रयुक्त होने की सम्भावना है, निर्मित करता है, बेचता है या निस्तारित करता है अथवा निर्मित करवाता है, बिकवाता है या निस्तारित करवाता है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।

कम तोलने या मापने के लिये शास्ति

३१---जो व्यक्ति किसी वस्तु को तोलकर या मापकर बेचते समय क्रेता को जितना अभिप्रेत हो उससे कम देता है या दिलवाता है और ऐसी कमी भूल की नियत सीमा से अधिक हो जाती है, वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो तीन सौ रुपये तक हो सकता है ।

३२—(१) जो व्यक्ति किसी ऐसे मुद्रांक की, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र के मुद्रांकन के लिये प्रयुक्त होता है, कूट रचना करता है या कूटकृति करता है अथवा किसी ऐसे कूटकृत मुद्रांक को अपने कब्जे में रखता है, या किसी मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र से मुद्रांक हटा देता है तथा उसे दूसरे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र में लगा देता है अथवा इस प्रकार मुद्रांकित बाट या माप को जान-बूझ कर बढ़ाता है अथवा घटाता है, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंड्य होगा। कूटरचित बाटों, मापों आदि की रचना करने आदि के लिये शास्ति

(२) जो व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को, जिस पर ऐसा कूट रचित या कूट कृत मुद्रांक हो, या इस प्रकार बढ़ाये गये या घटाये गये बाट अथवा माप को प्रयुक्त करता है, बेचता है, निस्तारित करता है अथवा बिक्री के लिये प्रदर्शित करता है, वह कारावास से, जो छः मास तक का हो सकता है, अथवा अर्थदंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।

३३—जो व्यक्ति—

(क) किसी ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र अथवा उससे सम्बन्धित किसी लेख्य या अभिलेख को जो उसके कब्जे में हो अथवा उसके भूगृहादि में हो, धारा १६ के अधीन निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से इनकार करता है या उसमें अपेक्षा करता है; अथवा

(ख) निरीक्षक को किसी ऐसे बाट, माप, यंत्र, लेख्य या अभिलेख का निरीक्षण तथा परीक्षण करने के लिये अनुमति नहीं देता है; अथवा

(ग) धारा १६ के अधीन निरीक्षक के प्रवेश करने में बाधा डालता है; अथवा

(घ) निरीक्षक के इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अन्य किसी प्रकार से बाधा डालता है या रोकता है,

वह अर्थ-दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है। बाट या माप आदि को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने में उपेक्षा करने या उससे इनकार करने के लिये शास्ति

३४—यदि कोई निरीक्षक इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन करके, जानबूझ कर किसी बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को मुद्रांकित करता है, तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा। निरीक्षक द्वारा कर्तव्य-भंग के लिये शास्ति

अध्याय ५

प्रकीर्ण

३५—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त बाट तथा माप के नियंत्रक, या किसी उपनियंत्रक या सहायक नियंत्रक या किसी निरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में, जो उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया हो अथवा जो इस प्रकार किया गया प्रकट हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

३६—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रक, प्रत्येक उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में लोक-सेवक (Public Servant) समझे जायेंगे।

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रक आदि लोक-सेवक होंगे ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

३७—(१) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंड्य अपराध के सम्बन्ध में तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि नियंत्रक या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी लिखित परिवाद प्रस्तुत न करे।

अपराधों आदि के संबंध में संज्ञान

(२) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से निम्नश्रेणी का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंड्य अपराध का परीक्षण नहीं करेगा।

३८—इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन यथाविधि मुद्रांकित कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र जो किसी न्यायालय में किसी ऐसे निरीक्षक द्वारा जिसके अवधान में वह हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो नियंत्रक के सामान्य या विशेष प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, प्रस्तुत किया जाय, तब तक शुद्ध माना जायगा, जब तक कि उसकी अशुद्धता सिद्ध न हो जाय।

मुद्रांकित बाटों आदि को शुद्ध माना जायगा

३९—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति समवाय (कम्पनी) हो, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय समवाय के कार्य का अवधायक तथा समवाय के प्रति उसके कार्य-संचालन के लिये उत्तरदायी रहा हो तथा समवाय भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दंड दिया जा सकेगा :

समवायों द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई उक्त व्यक्ति दंड का भागी न होगा यदि वह यह प्रमाणित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने को रोकने के लिये समस्त यथोचित प्रयास किया था।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन किसी समवाय द्वारा अपराध किया गया हो और यह प्रमाणित हो जाय कि अपराध किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता (connivance) से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो समवाय का उक्त संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "समवाय" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य किसी साझेदार से है।

४०—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई अधिकार, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में तथा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो

अधिकारों का प्रतिनिधान

उक्त निदेश में निर्दिष्ट किये जायं, उसके अधीनस्थ उस अधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय ।

४१---स्टैंडर्ड्स आफ वेट्स एण्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन तदर्थ बनाये जाने वाले किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में भूल की अनुज्ञेय सीमायें नियत कर सकती है जो क्षम्य होगी :---

बाटों तथा मापों के संबंध में भूलों की क्षम्य सीमायें ऐक्ट ८९, १९५६

(क) धारा ४ में उल्लिखित द्वितीय मानक;

(ख) धारा ३ में उल्लिखित कार्यमानक;

(ग) व्यापारिक बाट तथा माप के सम्बन्ध में या भार या माप द्वारा वस्तुओं के बिक्री के सम्बन्ध में सामान्यतया या किसी व्यापार या व्यापार के वर्ग के संबंध में; तथा

(घ) तोलने या मापने के यंत्र ।

४२---बाटों और पैमानों का ऐक्ट, संयुक्त प्रांत, १९४७ ई० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट १,१९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर लागू होंगे ।

निरसन सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २३, १९४८
सं० प्रा० ऐक्ट संख्या १, १९०४

४३---(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों में से सभी या किसी एक के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(क) जो तोलने तथा मापन के यंत्र रक्खे जायेंगे उनकी संख्या, रीति जिसके अनुसार उनका परीक्षण, अंकन, चिन्हांकन तथा मुद्रांकन किया जायगा तथा उन्हें रखा जायगा और उनके सम्बन्ध में आवश्यक विवरण;

(ख) रीति जिसके अनुसार बाट तथा माप निर्माण कर्त्ताओं द्वारा चिन्हित या अंकित किये जायेंगे;

(ग) आकार तथा रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों के निर्माण, मरम्मत अथवा विक्रय के निमित्त लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे;

(घ) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षकों की सामान्यतया अर्हतायें, कृत्य, तथा कर्त्तव्य;

(ङ) बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का परीक्षण और मुद्रांकन तथा वह अवधि जिसके भीतर उनका पुनः परीक्षण किया जाय;

(च) व्यापार तथा वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण;

(छ) उन बाटों तथा मापों के जो इस अधिनियम द्वारा अनुमत नहीं हैं, अभिग्रहण, उन्हें रोक रखना तथा उनका निस्तारण;

(ञ) बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों से सम्बन्धित बहियां, लेखे तथा अभिलेख जो रखे जायेंगे तथा रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे या प्रस्तुत किये जायेंगे;

(झ) आकार तथा रीति जिसके अनुसार निरीक्षकों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी तथा अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया;

(ञ) व्यापारिक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का पदार्थ, आकार तथा विशिष्टतायें और उनका निर्माण तथा विक्रय;

(ट) कोई अन्य विषय जो नियत करना हो या जो नियत किया जा सकता हो ।

(३) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय राज्य सरकार यह व्यवस्था कर सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ-दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

(४) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहेगा कि नियम सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायं ।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बन जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान-मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रक्खे जायं ।

उद्देश्य तथा कारण

आजकल इतने प्रकार के बाट तथा माप प्रचलित हैं कि भ्रम उत्पन्न होने लगता है । न केवल विभिन्न क्षेत्रों के बाट तथा माप विभिन्न हैं, बल्कि एक ही स्थान में विभिन्न वस्तुओं के लिये विभिन्न बाट और माप प्रयोग में लाये जाते हैं तथा एक ही नाम के बाटों तथा मापों में एक दूसरे से बहुत अन्तर होता है ।

दाशमिक प्रणाली के अनुसार बाटों और मापों के समान मानकों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टैंडर्ड्स आफ वेट्स एन्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ अधिनियमित किया है । इस अधिनियम में निर्धारित मानकों को प्रचलित करने के निमित उपयुक्त विधायन आवश्यक है । तदनुसार, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ पुरःस्थापित किया जाता है ।

जगमोहनसिंह नेगी,
मंत्री, खाद्य तथा रसद विभाग ।

नत्थी 'छ'

(देखिए आगे पृष्ठ ६३६ पर)

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१

इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ का संशोधन किया जाय ; यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

२—इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (जिसे आगे चलकर 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा २ में : यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (एए) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान खंड (एए) को खंड (एएए) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

"(*aa*) 'Centre' means an institution or a place fixed by the Board for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto."

(२) खंड (बी बी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (बीबीबी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*bbb*) 'Invigilator' means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations at a Centre."

(३) खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (जी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*g*) 'Superintendent of a Centre' means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent and an Associated Superintendent"

३—मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १४-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय : यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ में एक नयी धारा १४-ए का बढ़ाया जाना।

"14-A. (1) A Superintendent of a Centre and an invigilator shall be deemed to be a public servant under section 21 of the Indian Penal Code, 1860, during the course of examination or examinations conducted by the Board and for a period of one month prior to the commencement of, and of two months immeidately following, such examination or examinations.

XLV of 1860

(2) An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent of a Centre or an invigilator during the period mentioned in sub-section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions and shall be a cognizable offence."

उद्देश्य तथा कारण

इधर कुछ वर्षों में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने से राज्य भर में परीक्षा केंद्रों तथा इन केन्द्रों में परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। परीक्षाओं के समय अधीक्षकों (Superintendents) तथा अभीक्षकों (Invigilators) को यह उत्तर दायित्व सौंपा जाता है कि वे परीक्षाओं का संचालन राज्य के किसी भी अन्य लोक-सेवक (Public Servants) के समान अत्यधिक सावधानी, गोपनीयता तथा समय-निष्ठा के साथ करें।

इस उद्देश्य से कि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन दृढ़ता तथा विश्वास के साथ सफलतापूर्वक करने में समर्थ हों, उन्हें परीक्षाओं की अवधि में तथा उनके एक मास पूर्व तथा दो मास पश्चात् तक लोक-सेवक घोषित करने का निश्चय किया गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है।

अतएव यह विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३१४ एल० ए०—१९५९—८४५